लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित सस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र / Eleventh Session]

[खंड 41 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XLI contains Nos. 31--40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय-सूची

अंक 39,—गरुवार, 15 अप्रैल, 1965/25 चैत्र, 1887 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
877	विदेशों से सहयोग	3659—61
878	क्षय रोग में वृद्धि .	3661—63
879	गैर-सरकारी समवायों की पूंजी .	3663—65
880	पंचेश्वर में बांध	3665—66
881	गंडक परियोजना	3666—68
882	एकाधिकार आयोग	3668—70
883	जीवन बीमा निगम . .	3670—74
884	बच्चों के लिए अनुपयोगी पोषक औषधि	3674—77
886	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो .	3677—78

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या		
10	चम्बल बिजलीघर .	3679—82

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित

प्रश्न संख्या		
885	जीवन बीमा निगम	3682
887	बर्ड एण्ड कम्पनी .	3682—83
888	उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	3683—84
889	दिल्ली वृहत् योजना .	3684
890	विद्युत् चालित शमशान .	3685
891	मूल्य-नियंत्रण हटाये जाने का अध्ययन	3685
892	सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	3685—86
893	उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	3686
894	दोहरे कराधान का परिहार	3686—87
895	सिन्धु जल सन्धि	3687
896	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम . .	3687
897	माल के बीजक बनाना . .	3688
898	दिल्ली में भूमिगत जल	3688—89

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 39—Thursday, April 15, 1965/Chaitra 25, 1887 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
877	Collaboration with foreign countries	659—61
878	Increase in T.B. Cases	3661—63
879	Capital of Private Companies	3663—65
880	Dam in Pancheshwar	3665-66
881	Gandak Project	3666—68
882	Monopolies Commission	3668—70
883	Life Insurance Corporation	3670—74
884	Unfit Tonic for Children	3674—77
886	Bureau on Public Undertakings	3677—78

Short Notice Questions No.		
10	Chambal Power Station	3779—82

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—

Starred Questions Nos.		
885	Life Insurance Corporation	3682
887	Bird & Co.	3682-83
888	Prices of Consumer Goods	3683-84
889	Delhi Master Plan	3684
890	Electric Crematorium	3685
891	Study of Price Decontrol	3685
892	Houses of Government Employees	3685-86
893	Central Assistance to U.P.	3686
894	Avoidance of Double Taxation	3686-87
895	Indus Waters Treaty	3687
896	National Building Construction Corporation	3687
897	Invoicing of Goods	3688
898	Sub-soil Water in Delhi	3688-89

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
899	बाढ़ नियंत्रण उपाय . .	3689
900	जीवन बीमा निगम की पालिसियां .	3689-90
901	जाली भारतीय मुद्रा नोट .	3690

अतारांकित

प्रश्न संख्या

2269	राजस्थान में चेचक और हैजा . .	3690-91
2270	बहुप्रयोजनीय परियोजनायें	3691-92
2271	राजस्थान में देहाती क्षेत्रों का औद्योगिकरण . .	3692-93
2272	बाढ़ नियंत्रण कार्य . .	3694
2273	प्रबन्ध अभिकर्ता . . .	3694-95
2274	ग्राम्य स्वास्थ्य केन्द्र . . .	3695
2275	धनवापसी वाऊचर . . .	3695-96
2276	आयकर वसूली . . .	3696
2277	पूजी लाभ कर	3696-97
2278	गन्दी बस्तियों का हटाना . . .	3697
2279	फोर्ड फाउन्डेशन से ऋण . . .	3697
2280	उड़ीसा में बिजली पैदा करने वाला यंत्र	3698
2281	आयुर्वेद का विकास . . .	3698
2282	मलेरिया तथा फाइलेरिया उन्मूलन .	3699-3700
2283	इरविन अस्पताल से लापता रोगी	3700
2284	कुट्टियाडी परियोजना	3700-01
2285	कुवैत वाणिज्य मण्डल के सभापति .	3701-02
2286	बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार . . .	3702
2287	बंगलौर में सोने का पकड़ा जाना . . .	3702
2288	बम्बई में निषिद्ध माल का पकड़ा जाना . . .	3702-03
2289	दन्त्य परिषद् को अमरीकी सहायता . . .	3703
2290	चोरी छिपे लाई गई कलाई घड़ियां . . .	3703
2291	बम्बई में सोने का पकड़ा जाना . . .	3703-04
2292	नरेना में प्लाटों का दिया जाना . . .	3704
2293	भूतपूर्व वाइसरायों तथा ब्रिटिश जनरलों की मूर्तियां .	3704
2294	कृषि उत्पादन	3704-05
2295	जीवन बीमा निगम के क्षेत्राधिकारी . . .	3705
2296	भमि अर्जन	3705-06
2297	नीमच में अल्कोलाइड कारखाना . . .	3706
2298	वर्ग चार के क्वार्टरों का निर्माण . . .	3706
2299	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले . . .	3707
2300	हिन्दी कार्यक्रम कार्यान्वियन समिति . .	3707

Starred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
899	Flood Control Measures	3689
900	L.I.C. Policies	3689–99.
901	Counterflet Indian Currency Notes	3690

Unstarred Questions Nos.		
2269	Small Pox and Cholera in Rajasthan	3690–91
2270	Multi-purpose Projects	3691–92
2271	Rural Industrialisation in Rajasthan	3692–93
2272	Flood Control Works	3694
2273	Managing Agents	3694–95
2274	Rural Health Centres	3695
2275	Refund Vouchers	3695–96
2276	Income Tax Collection	3696
2277	Capital Gains Tax	3696–97
2278	Slum Clearance	3697
2279	Loan from Ford Foundation	3697
2280	Power Generation in Orissa	3698
2281	Development of Ayurveda	3698
2282	Eradication of Malaria and Filaria	3699–3700
2283	Missing Patient of Irwin Hosptal	3700
2284	Kuttiyadi Project	3700–01
2285	Chairman, Kuwait Chamber of Commerce	3701–02
2286	Gold Smuggling in Bombay	3702
2287	Seizure of Gold at Bangalore	3702
2288	Seizure of Contraband Goods in Bombay	3702–03
2289	U.S. Aid to Dental Council	3703
2290	Smuggled Wrist Watches	3703
2291	Seizure of Gold in Bombay	3703–04
2292	Allocation of Plots in Naraina	3704
2293	Statues of Former Viceroys and British Generals	3704
2294	Agricultural Production	3704–05
2295	Field Officers of LIC	3705
2296	Acquisition of Land	3705–06
2297	Alkaloid factory at Neemuch	3706
2298	Construction of Type IV Quarters	3706
2299	Eastern Districts of U.P.	3707
2300	Hindi Programme Implementation Committee	3707

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
2301	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	3708
2302	आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसन्धान संस्था	3708
2303	केरल के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग	3708–09
2304	नजफगढ़ नाला	3709
2305	लोअर सिलेरू जलविद्युत् परियोजनायें	3709–10
2306	बिहार में चेचक	3710
2307	रतिज रोग	3710–11
2308	एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ्यक्रम	3711
2309	दिल्ली में प्लाटों की बिक्री	3711–12
2310	परिवार नियोजन	3712
2311	पट्टाधारियों से बकाया किराया	3712–13
2312	मकान किराया भत्ता	3713
2313	दिल्ली में सड़कों को एक दूसरे से मिलाना	3713–14

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में --

कच्छ सीमा स्थिति 3714

सभा-पटल पर रखे गय पत्र 3714–15

प्राक्कलन समिति---

पचहत्तरवां और उन्नीसवां प्रतिवेदन 3715

सभा का कार्य 3715–21

अनुदानों की मांगें 3721

परिवहन मंत्रालय 3721

श्री स० चं० सामन्त 3722

श्री इन्द्रजीत गुप्त 3722–24

श्री रघुनाथ सिंह 3724–25

श्री अ० व० राघवन 3725–26

डा० सरोजिनी महिषी 3726–28

श्री जो० ना० हजारिका 3728

श्री बड़े 3728–29

श्री मणियंगाडन 3729–31

श्री अ० मि० शर्मा 3731

श्री कन्दप्पन 3732

श्री मूथिया 3732–34

श्री द० ब० राजू 3734–35

श्री यशपाल सिंह 3735

Unstarred Questions Nos.	*Subject*	PAGES
2301	Re-imbursement of Medical Expenses	3708
2302	Institute of Ayurvedic Studies and Research	3708
2303	Pay Commission for Kerala Employees	3708-09
2304	Najafgarh Drain	3709
2305	Lower Sileru Hydro electric Project	3709–10
2306	Small pox in Bihar	3710
2307	Venereal Diseases	3710–11
2308	Condensed M.B.B.S. Course	3711
2309	Sale of Plots in Delhi	3711–12
2310	Family Planning	3712
2311	Outstanding Rent Against Lease Holders	3712–13
2312	House Rent Allowance	3713
2313	Linking of Roads in Delhi	3713–14
	Re : Calling Attention Notices	3714
	Kutch Border situation	3714
	Papers laid on the Table	3714–15
	Estimates Committee	3715
	Seventy-fifth and Seventy-ninth Reports	3715–21
	Business of the House	3721
	Demands for Grants	3721
	Ministry of Transport	3722
	Shri S.C. Samanta	3722–24
	Shri Indrajit Gupta	3724–25
	Shri Raghunath Singh	3725–26
	Shri A.V. Raghavan	3726–28
	Dr. Sarojini Mahishi	3728
	Shri J.N. Hazarika	3728–29
	Shri Bade	3729–31
	Shri Maniyangadan	3731
	Shri A.T. Sarma	3732
	Shri S. Kandappan	3732
	Shri Muthiah	3732–34
	Shri D. S. Raju	3734–35
	Shri Yashpal Singh	3735

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तिरसटवां प्रतिवेदन 3735–36

संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 539–क का रखा जाना)

[श्री सिद्दय्या का]– पुरःस्थापित . . . 3736

संविधान (संशोधन) विधेयक, (अनुच्छेद 331 का हटाया जाना) [श्री प० ला० बारूपाल का]–– वापिस किया गया . . . 3737

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा 127, 128 और 129 का संशोधन) [श्री हरिविष्णु कामत का]––अस्वीकृत . . 3737–45

विचार करने का प्रस्ताव . . 3737–45

श्री हरि विष्णु कामत . . 3737–39

श्री विश्वनाथ पाण्डेय . . . 3739

श्री गौरीशंकर कक्कड़ . . . 3739–40

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा 3740

श्री खाडिलकर . . . 3740

श्री राम सेवक यादव . 3741

श्री तुलसीदास जाधव 3741

श्री हुकम चन्द कछवाय 3741–42

श्री कृ० चं० शर्मा 3742

श्री कण्डप्पन 3742

श्री दी० चं० शर्मा . . . 3742–43

श्री लक्ष्मीकान्तम्मा . . . 3743

डा० मा० श्री अणे 3743

श्री हाथी 3743–45

विधान परिषदें (गठन) विधेयक [श्री श्रीनारायण दास का]––

श्री श्रीनारायण दास 3746

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

कच्छ सीमा के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भारत के प्रस्ताव तथा उसके बाद पाकिस्तान द्वारा कंजरकोट से हटने से इन्कार . 3746–50

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती 3746

श्री स्वर्ण सिंह 3747–50

Subject	**Pages**
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	3735-36
Sixty-third Report	3736
Constitution (Amendment) Bill	3737
(*Insertion of new article* 339*A*)—*introduced* by Shri S.M. Siddiah	
Constitution (Amendment) Bill—*Withdrawn* (*Omission of article* 331) by Shri P.L. Barupal	3737—45
Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill—*Negatived* (*Amendment of sections* 127, 128 *and* 129)	3737—45
By Shri Hari Vishnu Kamath	3737—45
Motion to consider	3737—39
Shri Hari Vishnu Kamath	3739
Shri Vishwa Nath Pandey	3739-40
Shri Gauri Shankar Kakkar	3740
Shri Narendra Singh Mahida	3740
Shri Khadilkar	3741
Shri Ram Sewak Yadav	3741
Shri Tulshidas Jadhav	3741-42
Shri Hukam Chand Kachhavaiya	3742
Shri K.C. Sharma	3742
Shri S. Kandappan	3742-43
Shri D.C. Sharma	3743
Shrimati Lakshmikanthamma	3743
Dr. M.S. Aney	3743-45
Shri Hathi	3745-46
Legislative Councils (Composition) Bill	3746
by Shri Shree Narayan Das	3746—50
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	3746
Talks with Pakistan on Kutch border and subsequent refusal by Pakistan to withdraw from Kanjarkot	3747-50
Shrimti Renu Chakravartty	3746
Shri Swaran Singh	3747-50

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 15 अप्रैल, 1965 / 25 चैत्र, 1887 (शक)

Thursday, April 15, 1965/Chaitra 25, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ **अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए। }
{ MR. SPEAKER *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Collaboration with Foreign Countries

*877 **Shri S.C. Samanta :**
Shri M.L. Dwivedi :
Shri Yashpal Singh :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to introduce some changes in the tax structure to attract foreign exchange and to encourage foreign capital participation in Indian companies ; and

(b) the percentage of the profit which the collaborating foreign firms are permitted by Government to repatriate to their countries in lieu of the expert advice given by them ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य वित्त अधिनियम, 1965 के उपबन्धों को देखें । इस अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए हमारे कर-सम्बन्धी कानूनों में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ।

(ख) विदेशी फर्मों को अपने अपने देशों को लाभ की रकमें भेजने की पूरी छूट है ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन से देश हमें रुपया विनियम के आधार पर विशेषज्ञ दे रहे हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यूरोप के बहुत से उन्नत देश हैं जैसे रूस, अमरीका तथा जापान आदि ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या भारतीय फर्मों को यह अधिकार है कि ऐसे सहयोग के लिये वे उन देशों से सीधे बात करें अथवा यह अनिवार्य है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा ही उनसे पत्रव्यवहार करें ?

श्री ब० रा० भगत : उन्हें हम ऐसे सहयोग के लिये "उद्देश्य पत्र" दे देते हैं । बाद में जब समझौता हो जाये तो उसे स्वीकृत कराना होता है और वह सरकार की नीति के अनुरूप होना चाहिए ।

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that Government has permitted the Bechtel Corporation of USA to take away 20 per cent profit ?

Shri B. R. Bhagat : It is not correct.

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या रिजर्व बैंक ने विदेशी कम्पनियों तथा विदेशी नियंत्रण के अधीन रुपया कम्पनियों का सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ? क्या कर देने के पश्चात् लाभों में वृद्धि हुई है अथवा नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : मरे पास पूरा ब्यौरा नहीं है । रिजर्व बैंक ऐसा सर्वेक्षण समय समय पर करता रहाता है । मैं इसके लिये नोटिस चाहता हूं ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या यह बात उन फर्मों पर भी लागू होगी जिनसे यह कहा जायेगा कि वे विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये निर्यात करें ?

श्री ब० रा० भगत : यह उन कम्पनियों के लिये भी होगा जिनसे बाद में कहा जावेगा कि वे निर्यात करें ।

श्री दाजी : क्या सरकार को पता है कि रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार कुछ विदेशी कम्पनियां अपनी पूंजी का 20 से 25 प्रतिशत भाग लाभ, रायल्टी तथा तकनीकी फीस के नाम पर यहां से ले जातीं हैं ? क्या सरकार इस प्रकार की अनुमति देती रहेगी ?

श्री ब० रा० भगत : शर्तों के अनुसार इस प्रकार की देख-भाल होती है तथा कम्पनियों को अपने लाभ ले जाने की अनुमति दी जाती है । वैसे सामान्य तौर पर वे ले जा सकती हैं ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देते हुए मैं जानना चाहता हूं कि इन दो समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री की अपनी राय क्या है । जो मशीनें यहां आती हैं उनका मूल्य अधिक लिया जाता है तथा जो लाभ होते हैं उन्हें लौह दिया जाता है ?

दूसरा भाग पहले प्रश्न का ही अंग है । हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए यह कैसे चल रहा है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : प्रश्न का पहला भाग सच नहीं है यदि ऐसा कोई मामला माननीय सदस्य की निगाह में आया है तो वह मुझे बतायें जहां ऐसी मशीनरी हो जो पूंजी तथा सूद के लिये आई हो। जहां तक ऋणों के प्रत्यावर्तन का सम्बन्ध है इसका निर्णय उसके समझौते के अनुसार होता है और उसकी पुष्टि करनी होती है ।

श्री इन्द्रजीत गप्त : क्या उन विदेशी फर्मों को करों से बिल्कुल मुक्त कर दिया है जो यहां निर्यात के लिये सामान खरीदें ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जो भी रियायतें विदेशी फर्मों को दी गयी हैं वे उस विवरण में दी हुई हैं जो मैं ने सभा पटल पर 11 फरवरी, को रखा था। इसके अतिरिक्त मेरे विचार में और कोई रियायत नहीं दी गई है । यदि सदस्य महोदय की जानकारी में कोई ऐसा मामला आये तो वे मुझे बतावें ।

Shri Bibhuti Mishra : Is the Finance Minister aware that there is a feeling in the people about the misuse of loan which we obtain from the foreign countries and we are under heavy foreign debt. What steps are Government taking to remove feelings ?

Shri B. R. Bhagat : This question pertains to investigation and not to loans. So far as loans are concerned we always make it a point to obtain resources to repay the loans which we receive from others and we are making payments also. There is an increase in the period of our soft loans from 25 to 30 years and their results are also fruitful.

क्षय रोग में वृद्धि

\+

*878. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में तपेदिक के रोगी बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या शहरों की अपेक्षा गांवों में यह रोग अधिक व्यापक है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में समुदाय-वार सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस समुदाय में यह रोग सब से अधिक है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) क्षय रोग की घटनाओं में आम वृद्धि हुई है, ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है ;

(ख) ग्राम क्षेत्रों में क्षय रोग सामान्यतया वैसा ही है जैसा नगर क्षेत्रों में।

(ग) समुदाय-वार क्षय रोग का कोई सर्वेक्षण अभी तक नहीं किया गया है ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री स० चं० सामन्त : उन प्राइवेट संस्थाओं को किस प्रकार की सहायता दी जा रही है जिनके पास क्षय किलीनिक्स तथा डारमीट्रीज आदि हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जो प्राईवेट किलीनिक्स क्षय रोग का इलाज करते हैं उन्हें अनावर्तक व्यय के लिए कुछ सहायता दी जाती है जैसे कि सामान तथा ऐक्सरे का सामान आदि (इसके लिये आवेदन-पत्र राज्य सरकार की सिफारिश से आना चाहिये ।

श्री स० चं० सामन्त : चिकित्सालयों में बिस्तर कम होते हैं तो सरकार इस रोग को रोकने के लिए अन्य क्या व्यवस्था कर रही है ताकि इसकी रोक-थाम की जा सके ?

डा० सुशीला नायर : ऐसी व्यवस्था हो रही है कि सारे देश में क्षय रोग के क्लानिक्स, प्रयोगशालाएं आदि खोली जावें जहां एक्सरे तथा दवाइयों की व्यवस्था हो तथा घरों पर भी इसका इलाज हो सके ।

श्रीमती सावित्री निगम : यह रोग वहां फैलता है जहां निर्धनता हो जैसे बांदा तथा बुंदेलखंड के क्षेत्र, चूंकि मंत्री महोदय उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, इसलिये वहां के के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

डा० सुशीला नायर : चूंकि माननीय सदस्य बांदा का प्रतिनिधित्व करती हैं इस लिये उन्हें चाहिये कि राज्य सरकार से वहां एक क्लिनिक खुलवावें ।

श्री मानसिंह पृ० पटेल : क्या सरकार उन गैर-सरकारी क्लिनिकों को रुपया देगी जो इस प्रकार विशेष व्यवस्था कर रही हैं ?

डा० सुशीला नायर : उनमें कुछ बिस्तर पुलिस तथा रेलवे आदि विभागों के लिये सुरक्षित होते हैं और वे उसकी अदायगी करते हैं ।

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Although there is fresh air in villages, yet this disease is spreading there too. What is the cause for it ?

Dr. Sushila Nayar : There is a germ of tuberculosis which the villagers sometimes inhale when they visit cities and then it spreads in the village also.

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know how many hospitals are being run by the centre and how much annual expenditure is incurred on it.

Dr. Sushila Nayar : I do not have the statistics with me. I can only say that in the country there are about 400 clinics and 35,000 beds in the hospitals to cure T.B. cases.

Shri Surya Prasad: Is it a fact that T.B. spreads more in dirty colonies where full arrangements for cleanliness do not exist ?

Dr. Sushila Nayar : Worse than dirty colonies is the dirty habit of people who spit much and that causes T.B.

Shri Tulsidas Jadhav : There are lesser T.B. Clinics and more patients. Does Government intend to care patients at their residences ?

Dr. Sushila Nayar : We are making arrangements for proper working of T.B. clinics. We are making arrangements for treatment at the place near the residence of the patients.

श्री कन्डप्पन : हमारे तमिलनाड में मरीज़ों की अपेक्षा क्लिनिक्स की बहुत कमी है । मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिये क्या किया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : मद्रास ने जिलों में क्लिनिक्स खोलने का अच्छा कार्य किया है। यह भी सम्भव है कि रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े परन्तु घर पर भी इलाज होता है ।

Shri Tan Singh : It has been stated that the incidence of this disease is not lesser in villages than that in cities where medical facilities are more abundant. I want to know what measures are being taken to extend those facilities to villages.

Dr. Sushila Nayar : Primary Health Centre are being connected with district clinics so that villagers may also avail of this facility.

Shri D. N. Tiwari : In villages the people do not get care of T.B. and so die whereas in cities they are treated and registered. How then has Government come to the conclusion that this disease is equally prevalent in cities and villages ?

Dr. Sushila Nayar : We have based our conclusions on the basis of report of National Sample Survey.

गैर-सरकारी समवायों की पूंजी

*879. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963–64 में गैर-सरकारी क्षेत्र के 51 समवायों की प्रदत्त पूंजी 315 करोड़ रुपये थी और यह राशि समूचे गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय लोक सीमित निगम-क्षेत्र की कुल पूंजी का लगभग एक तिहाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह देखने के लिए कि अर्थ-व्यवस्था में ऐसे प्रवृत्ति प्रोत्साहन न दिया जाये क्या कायवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 1963–64, में, 57 मुख्यत: लोक सीमित समवायों की सूची प्रदत्त पूंजी 359 करोड़ रुपये थी और यह राशि सब गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय लोक सीमित निगम-क्षेत्र की समूची प्रदत्त पूंजी का लगभग तीसरा भाग ठहरती थी ।

(ख) यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्यतः हानिकारक नहीं है क्योंकि इन 51 समवायों में वे समवाय भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारी प्रदत्त-पूंजी की आवश्यकता होती है जैसे लौहा और इस्पात, तेल, सीमेंट आदि । इस के अतिरिक्त, इन दिनों सरकारी समवायों का भी वर्धनात्मक प्रवर्तन किया जा रहा है । केवल हिन्दुस्तान स्टील की प्रदत्त पूंजी जो 1963–64 में 447 करोड़ रुपये थी, 51 मुख्यतम लोक सीमित समवायों की समूची प्रदत्त पूंजी से 88 करोड़ रुपय अधिक है ।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the States have been consulted about the report of the Monopoly Commission and if so, what steps are being taken in that direction ?

Shri B. R. Bhagat : The Monopoly Commission is still considering these matters and has not yet submitted its report.

Shri Yashpal Singh : Is it a fact that full freedom was given for black money upto 31st May and yet these people want concessions in tax. If so what steps are government taking ?

Shri B. R. Bhagat : We have not given full freedom for black money. Only a voluntary scheme has come before the House.

Shri Yashpal Singh : If no freedom is given, what action is being taken against those who have hoarded black money ?

Shri B. R. Bhagat : The question of black money is a separate one.

श्री रामेश्वर टांटिया : उर्वरक, रसायन और कागज के मिलों के लिय बहुत पूंजी की आवश्यकता है चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में । इस दिशा में सरकार की नीति क्या है ? यदि सरकार उन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र में चाहती है तो फिर बहुत पूंजी का प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ ?

श्री ब० रा० भगत : चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हो चाहे गैर-सरकारी में तकनीकी तथा आर्थिक कारण एसे हैं कि अधिकतम पूंजी की आवश्यकता है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : 1964–65 में 51 समवायों की चुकता पूंजी की स्थिति क्या हैं ?

श्री ब० रा० भगत : इसके लिये मुझे अलग नोटिस चाहिये ।

श्री दी० चं० शर्मा : इन 51 समवायों में से ऐसे कितने हैं जो निर्देशकों आदि के मामलों में मिले हुए हैं तथा चन्दा के और परिवार के मामले में मिले हुए हैं ?

श्री ब० रा० भगत : यह सूचना देना बहुत कठिन है क्योंकि वह उपलब्ध नहीं है ।

श्री बासप्पा : औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले में क्या मंत्री महोदय को पता है कि आवेदन पत्र में एक खाने में यह सूचना देनी होती है कि समवाय को कितने लाइसेंस मिल चुके हैं तथा कितने समवाय में कारखाने वालों की रुचि है । यह सूचना मैं इसलिये भी जानना चाहता हूं क्योंकि अंक समिति ने इसका जिक्र किया था और उस पर क्या कार्रवाई की है

श्री ब० रा० भगत : निर्देशकों को यह सूचना देनी होती है । मेरे विचार में ऐसा कोई खाना नहीं है जहां यह सूचना देनी हो ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं ने राज्य मंत्री महोदय को यह कहते सुना कि यह प्रवृत्ति बुरी नहीं है । क्या सरकार ने अपना पहले का विचार बदल लिया है कि आर्थिक शक्ति का बड़ी बड़ी कम्पनियों के हाथ में आना देश के विकास के लिए खराब है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : प्रत्येक समवाय के लिये पूंजी की आवश्यकता देख कर पूंजी देने की बात पर विचार होता है । इन समवायों में से बहुत से तो आज के खर्च को देखते हुए उन में कम पूंजी लगी हुई है । मेरे विचार में टाटा लोहा तथा इस्पात में अब 40 करोड़ रुपया है और आजकल ऐसे कारखाने के लिये 200 करोड़ रुपया चाहिये । ऐसे प्रश्न समवाय के कार्य के अनुसार सुलझाये जाते हैं न कि उनके एकाधिपत्य के अनुसार ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि वित्त मंत्री ने लखनऊ में भाषण देते हुए कहा कि उनकी जो काले धन को बाहर निकालने की योजना थी जिसका उन्होंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया, वह असफल रही है । यदि ऐसा है तो क्या उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है और उसके स्थान पर कोई और योजना आ रही है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मंत्री ने कहीं कोई भाषण नहीं दिया है ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस प्रकार प्रश्न को नहीं टालना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : समाचारपत्रों में कुछ चर्चा थी ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे पता नहीं कि इस से इसका सम्बन्ध कैसे है । शायद किसी ने प्रश्न पूछा था कि मैं ने जो सुझाव दिया था उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई तो मैंने कहा था कि बहुत अच्छी नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने कहा था कि यह "निराशा जनक" है ।

पंचेश्वर में बांध

\+

*880. **श्री द्वा० ना० तिवारी** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड डिवीजन में पंचेश्वर में एक 700 फुट ऊंचा बांध बनाने का निश्चय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार के साथ इस बारे में कोई पत्र व्यवहार किया था ; यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) परियोजना के लिये विस्तृत अनुसन्धान प्रगति कर रहे हैं ?

(ख) से (ग). बांध की मुख्य बातें और इस की लागत को अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात् ही निर्धारित किया जा सकता है ।

(घ) जी, हां । नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या प्राथमिक जांच पड़ताल की जा रही है ? इस बांध की क्षमता क्या होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : जांच पड़ताल से ऐसा लगता है कि यह बांध बनाने के उपयुक्त स्थान हैं। इससे अधिक इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या इस बांध के बारे में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है ?

डा० कु० ल० राव : अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बांध से कितनी भूमि में सिंचाई होगी तथा यह कब पूरा हो जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : मेरे लिए इन प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है ।

Gandak Project

+

*881. **Shri K. N. Tiwary :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri D. N. Tiwary :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the second week of January last the Finance Minister and the Deputy Chairman of the Planning Commission visited Patna ;

(b) if so, the decision taken regarding the construction of the Gandak Project by the Centre ; and

(c) the decisions taken in respect of other projects in Bihar ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने यह महसूस किया था कि यदि केन्द्र परियोजना को इस अवस्था में हाथ में ले ले तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

(ग) राज्य सरकार को सलाह दी गई कि वे कोसी परियोजना में जल-मार्गों की खुदाई के लिये, उनको निर्धारित समय से एक वर्ष पूर्व ही पूर्ण करने के विचार से, अतिरिक्त वित्तीय सहायता के विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

Shri K. N. Tiwary : May I know the reasons as to why Centre is not taking over the Gandak Project whereas the projects of other States have been taken over by them ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : हमें राज्य सरकार ने बताया था कि वे इसे अच्छी तरह तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कर रहे हैं। वे इसे केन्द्र द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। इसीलिये इस परियोजना के बारे में उस समय विचार नहीं किया गया जब वित्त मंत्री वहां गये थे और राज्य सरकार से बातचीत हुई थी।

श्री क० ना० तिवारी : क्या वित्त मंत्री महोदय भैंसलोटन गये थे और यदि हां, तो क्या उन्हें बताया गया था कि वित्तीय कठिनाई के कारण परियोजना की प्रगति नहीं हो रही है। अतः इसे केन्द्र सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये।

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि राज्य सरकार ने तेजी से कार्य करने के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी थी और वित्त मंत्री महोदय ने उन्हें 1965-66 के लिये अतिरिक्त राशि दे दी है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government propose to take over the Gandak Project as the progress of it has been hampered due to paucity of funds ?

डा० कु० ल० राव : यह परियोजना यथाशीघ्र पूरी की जानी चाहिये क्योंकि यह एक महत्व-पूर्ण परियोजना है और इससे 35 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। हम इसे शीघ्र पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। यदि परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगा तो उसके लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या मंत्री महोदय को याद है कि परामर्शदात्री समिति में बिहार के प्रायः सभी संसद्-सदस्य तथा बिहार सरकार के प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गये थे कि इस परियोजना को केन्द्र अपने हाथ में ले ले और यदि हां, तो अब बिहार सरकार इस कार्य को स्वयं क्यों करना चाहती है ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य चाहते हैं कि परियोजना केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र पूरी की जाये किन्तु राज्य सरकार की प्रतिक्रिया को देखते हुये कुछ कह सकना सम्भव नहीं है।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know how much land will be irrigated by this project and what are the difficulties in taking over this project by the Centre ?

डा० कु० ल० राव : इससे 36 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी। केन्द्र द्वारा इसे न लिये जाने के कारण मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री पु० र० पटेल : इस प्रकार की कटु भावनाओं को दूर करने के लिये क्या केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्य की एक एक परियोजना को अपने हाथ में लेगी ?

डा० कु० ल० राव : अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री रंगा : चूंकि यह बहुप्रयोजनीय परियोजना सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से शीघ्र पूरी की जानी चाहिये अत: क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि वह बिहार सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य की प्रगति देख कर तथा इसमें उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों से सन्तुष्ट हैं और क्या वे सभा को यह भी आशवासन दे सकते हैं कि बिहार सरकार निर्धारित समय के अन्दर परियोजना पूरी कर लेगी ?

डा० कु० ल० राव : कार्यक्रम के अनुसार 1965-66 के अन्त तक परियोजना का 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो जायेगा, बांध 1967 तक पूरा हो जायेगा और 1968-69 तक काफी नहरें पूरी हो जायेंगी। इस परियोजना के महत्व को देखते हुये केन्द्र सरकार कार्य की प्रगति पर निगरानी रखेगी।

श्री विश्वनाथ राय : क्या केन्द्र सरकार दोनों राज्यों के सामने, कार्य की क्रियान्विति में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई ठोस कदम उठा रही है ?

डा० कु० ल० राव : इस समय उन्हें कोई कठिनाई नहीं हो रही है। दोनों ही राज्य बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : इस परियोजना की प्रगति इतनी धीमी क्यों है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि राज्य सरकारें यह कार्य शीघ्र पूरा करें ?

डा० कु० ल० राव : मैं यह नहीं मानता कि कार्य धीमी प्रगति से हो रहा है। मैं बता चुका हूं कि कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा।

एकाधिकार आयोग

\+

*882. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री कृ० चं० पन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार आयोग को बड़े बड़े व्यापार संस्थानों के संगठनों से, जिन्हें जानकारी के लिये प्रश्नावली भेजी थी, कितना सहयोग प्राप्त हुआ है ;

(ख) जिन समवायों ने अपने उत्तर भेजने के लिये अवधि बढ़ाने की मांग की है, उन्होंने ऐसा करने के क्या कारण बताये हैं ;

(ग) क्या सरकार ने समवायों को अपने उत्तर भेजने में देरी न करने तथा आयोग के कार्य में रुकावट न डालने की सलाह दी है ;

(घ) क्या चूककर्ताओं के विरुद्ध प्रयोग के लिये कोई दण्ड का विधान है ; और

(ङ) आयोग कब तक अपना कार्य समाप्त कर लेगा तथा प्रतिवेदन दे देगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) एकाधिकार आयोग से सरकार को उन संस्थानों जिन्हें प्रश्नावली भेजी गई थी, के विरुद्ध सहयोग के अभाव के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, और न ही समवायों के अपने उत्तर भेजने के लिये अवधि बढ़ाने की मांग के बारे में कोई शिकायत मिली है ।

(ग) जी नहीं, क्योंकि इस प्रकार का कोई अवसर ही नहीं आया ।

(घ) जी हां, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 ।

(ङ) 31-10-65 तक ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि आयोग को बड़े व्यापारियों से अपेक्षित सहयोग मिल रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : जब तक आयोग इस विषय में कुछ नहीं कहता तब तक हम यही समझेंगे कि उन्हें पूरा सहयोग दिया जा रहा है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या बड़े व्यापारियों द्वारा यथाशीघ्र सहयोग देने तथा सामग्री देने के संबंध में कोई विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

श्री ब० रा० भगत : आयोग व्यापारियों से जानकारी अथवा स्पष्टीकरण मांगता है । कुछ मामलों में व्यापारी इसके लिये समय मांगते हैं । आयोग उनकी प्रार्थना पर विचार करके उचित समझे तो समय दे देता है । मैं उत्तर के भाग (घ) में बता चुका हूं कि यदि व्यापारी आयोग के आदेश को न मानें तो उन्हें दंड दिया जा सकता है ।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know whether Government have asked the Monopolies Commission to submit any interim report ?

Shri B. R. Bhagat : We have not asked the Commission to submit any interim report but if they submit, it is well and good.

Shri Yashpal Singh : May I know whether it is in accordance with the principle of socialism to formulate the policy in consultation with the capitalists and if not, why the farmers and producers are not consulted in this regard ?

Shri B. R. Bhagat : I shall pass on this question to the Monopolies Commission.

श्री दाजी : क्या सरकार का उत्तरदायित्व आयोग तक ही सीमित है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ने आयोग को उपलब्ध तथ्य तथा आंकड़े देकर, सहायता करने का प्रयत्न किया है ताकि उसे आयोग को व्यापारियों से आंकड़े न मांगने पड़ें ?

श्री ब० रा० भगत : जब भी आयोग ने सरकार से कोई जानकारी मांगी तो समवाय विधि समवाय विभाग द्वारा अथवा अन्य संबंधित विभाग द्वारा दी गई ।

श्री दाजी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार आयोग को आवश्यक जानकारी दे रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हम उन्हें सभी आवश्यक जानकारी देते हैं ।

Life Insurance Corporation

*883. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to extend loans for the purchase of land for the construction of houses under the House Building Loan Scheme of the Life Insurance Corporation ;

(b) if so, when it is likely to be implemented ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c) The Corporation has a "Own Your Home" Scheme. The Scheme requires that the borrower should first invest in the land, the loan from the Corporation being intended to assist in the cost of construction of the building. The question of Government extending loans for the purchase of land does not arise.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the amount given to the State Governments for housing purposes ?

Shri B. R. Bhagat : I want notice for that. The required information will have to be obtained.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether it is a fact that people have to face great difficulties in getting loans ?

Shri B.R. Bhagat : Whenever we receive complaints they are passed on to the Life Insurance Corporation who do their best to minimise the complaints in connection with delay.

Mr. Speaker : I have also a complaint to make. When I asked for a loan after six months I was asked to disclose my caste but I took the loan and got my house constructed.

श्री बड़े : क्या सरकार ने ऋण देने के लिये कोई निश्चित कसौटी निर्धारित की है क्योंकि मध्य प्रदेश में ऋण कतई नहीं दिये जाते ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे इसके लिये समय चाहिये ।

Shri Sheo Narain : May I know why loans are not given to the poor for the purchase of land whereas it is given for the purchase of houses, by the Government ?

Shri B. R. Bhagat : The L.I.C. does not advance loans for the purchase of land.

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने बताया है कि आपको भी ऋण देने के बारे में शिकायत है। आप जैसे प्रमुख नागरिकों की शिकायतों की जांच कराई जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे धन की आवश्यकता नहीं थी अतः मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई।

Shri K. N. Tiwary: The Life Insurance Corporation advances loans for house building purposes mostly in urban areas. May I know whether there is any scheme to give loans in rural areas for the purpose and if so, the percentage of loans are given to rural areas ?

Shri B. R. Bhagat: Rural Housing scheme is different from it and it is not covered under the L.I.C. Scheme.

Mr. Speaker: I should not have referred to this question but I desire the Government should look into the matter. An enquiry was made from me after a lapse of six months by the L.I.C. whereas the Chartered Bank took only ten minutes in advancing me a loan of fifty thousand rupees.

Shri Hari Vishnu Kamath: This matter should be enquired into. I want an assurance from the hon. Miniser that he will make an enquiry.

Mr. Speaker: He will see to it.

Shri Hari Vishnu Kamath: Can't. the hon. Minister even say that he will make an enquiry ?

श्री बड़े : उन्हें सभा को आश्वासन देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह घटना मेरे साथ हुई थी। मैंने वह मंत्री महोदय के ध्यान में ला दी है।

श्री हरि विष्णु कामत : मंत्री महोदय फिर क्या कहते हैं ? वह इस बात का वादा नहीं कर रहे हैं कि वह जांच करेंगे ? मंत्री फिर यहां किस लिये होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह चार वर्ष पूर्व की बात है।

श्री हरि विष्णु कामत : फिर भी यह बहुत बुरी बात है, बहुत ही खराब बात है। मंत्री महोदय को उठ कर कहना चाहिये कि वह इस मामले की जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने यह बात कही।

श्री रंगा : नहीं, नहीं हम बहुत खुश हैं कि आपने यह बात कही।

श्री हरि विष्णु कामत : हम बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि साधारण नागरिकों को सहायता नहीं मिलती है।

श्री रंगा : हम आप के बहुत आभारी हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अब यह बात समाप्त कर देनी चाहिये। वह बात मैंने अब कह दी है और आशा है वह इसकी जांच करेंगे। अब इस पर और बात करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : श्री कामत को अब अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : उनको कहने दीजिये कि उन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। क्या वह इस मामले की जांच करेंगे ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : When this sort of treatment is being meted out to the Speaker. The difficulties that the general people have to face can better be imagined. Why does not the Minister give an assurance that he will look into the matter ? I want an answer from the hon. Minister to this end.

Mr. Speaker : What can be the answer to it ?

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बात को यहीं छोड़ दें और आगे न बढ़ायें।

Shri K. N. Tiwary : My question has not been answered. After all the L.I.C. is also fed by the rural areas. It is not that they get the whole amount from the urban people. When we ask whether a portion of this amount would be given to the rural people for building purposes, they say that there is a separate Scheme for them. Therefore, may I know whether a portion of the L.I.C. funds would also be given to the rural people for building purposes or not ?

वित्त मंत्री (श्री त० त० कृष्णमाचारी) : यह योजना मुख्यत: नगरीय क्षेत्रों के लिये ही बनायी गई है। जहां तक देहाती क्षेत्रों का संबंध है, मेरे विचार से जीवन बीमा निगम ने विभिन्न राज्य सरकारों को लगभग 70 से 80 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिये हैं। देहाती क्षेत्रों में वह राज्य सरकारों के माध्यम से ऋण देती है। केवल नगरीय क्षेत्रों में ऋण सीधा निगम द्वारा दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : जो बात आपने कही है, वह हमारे ध्यान में है और उस मामले की जांच की जायेगी। परन्तु माननीय मित्र को यह सोचना चाहिये था कि आपने यह बात मजाक में कही थी।

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही, यह बात मैंने वैसे ही कह दी थी।

श्री दी० चं० शर्मा : आपकी बात का बहुत महत्व है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की मदद करना चाहता था। मेरा अभिप्राय था कि अधिक सुविधायें उपलब्ध होनी चाहियें ताकि जो कोई भी ऋण मांगें उसको दिया जा सके।

श्री शिंकरे : माननीय मंत्री ने जो अब कहा है वह पहले ही कह दिया जाना चाहिये था।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री जीवन बीमा निगम को निर्देश जारी करने के लिये इस कारण संकोच कर रहे हैं उनको इस बात का पहले अनुभव हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मंत्री ने इस बात पर विचार किया है कि जीवन बीमा निगम लोगों की मांगों को पूरा करने के लिये असमर्थ है तथा इसकी क्लेशप्रद प्रक्रियायें गृह-निर्माण कार्यक्रम के लिये विशेषकर मध्य दर्जे तथा निम्न मध्य दर्जे के वर्गों के लिय बिल्कुल अनुपयुक्त हैं और, यदि हां, तो क्या इस मांग को पूरा करने के लिय उन्होंने कोई वैकल्पिक योजना बनाई है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं यह महसूस करता हूं कि गृह-निर्माण के लिये धन की व्यवस्था करने के बारे में इस समय उपलब्ध सुविधाएं न केवल अपर्याप्त हैं परन्तु क्लेशप्रद भी हैं जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है। निश्चय ही इस बारे में मैं जीवन बीमा निगम से बातचीत करूंगा और देखूंगा यदि वे इस दिशा में सुधार कर सकें। परन्तु मेरे मन में कुछ और ही विचार हैं। मैं अपने सहयोगी से, जोकि गृह-निर्माण मंत्रालय के भारसाधक मंत्री हैं, परामर्श करूंगा और हो सकता है कि हम इस वर्ष के समाप्त होने से पूर्व ही कुछ प्रस्ताव इस सभा के समक्ष रख सकें।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : मैं अपने अनुभव की एक बात बता रही हूं। बीमा कराने वाली महिलाओं के साथ नियमों में अथवा अन्यथा बहुत भेदभाव किया गया है और वे ऋण सुविधाओं का उपयोग नहीं कर सकती हैं। इस लिये मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार इस में कुछ ढील करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वे अपने पतियों से अलग मकान बनाना चाहती हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : पत्नी पति से अलग तो नहीं होती है परन्तु पत्नी को भी वे सुविधायें क्यों न दी जायें ?

श्री ब० रा० भगत : यदि सम्पत्ति पत्नी के नाम पर है तो निश्चय ही वह इसकी हकदार है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मकान बनाने के लिये ऋण देने को तो छोड़िये, परन्तु क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि सरकारी क्षेत्र उपक्रमों संबंधी समिति ने इस बात की निन्दा की है कि जीवन बीमा निगम ने सरकार द्वारा स्वीकृत गृह-निर्माण योजनाओं पर विनियोजन राशि का केवल 20 प्रतिशत भाग ही लगाया है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : संसद् की किसी भी समिति के किसी भी प्रतिवेदन पर ध्यान-पूर्वक विचार किया जाता है, जो किया भी जाना चाहिये । और तब ही उसके बारे में कुछ कहा जाता है ।

Shri Yudhvir Singh : As everybody knows that this scheme of giving loan for housing purposes is limited to a few cities of this country. May I know whether Government is considering to extend it to other cities also where it is not applicable at present keeping in view their population ?

Shri B. R. Bhagat : We are trying to include as many cities as possible under this scheme. But the difficulty comes in the way of administration. It may be that the L.I.C. Staff is not there or there are no other arrangements to make survey. Wherever such like difficulties are removed we include those cities.

Shri Sinhasan Singh : Is it not a fact that people have to pay a higher rate of interest on the loans they take from the L.I.C. for housing purposes ? Have they not to pay the expenses in lump sum for the mortgage of their land ? Apart from that have they not to suffer other difficulties. Do they have, therefore, the courage to take loan ?

Shri B. R. Bhagat : Including everything the rate of interest is not higher than the market rate. There is much demand of it.

Unfit Tonic for Children

\+

*884 { **Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of an Order issued by the Government of Orissa seizing the stock of a drinking tonicmeant for children since that tonic is not fit for use ;

(b) whether that drug is also sold in other parts of the country ; and

(c) if so, whether Government have issued any order prohibiting the sale of that drug in other parts of the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health (Shri P. S. Naskar) : (a) to (c) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a) Yes. M/s. Anglo Thai Corporation Ltd. manufacturers of 'Woodwards Celebrated Gripe Water had intimated to the Orissa State Drugs Control authorities that spurious gripe water simulating the genuine manufacturers label was circulating in the Orissa State. The State Drugs Control authorities succeeded in seizing the stocks of the two batches bearing batch No. 72M463 and 4M463 which were found to be spurious in nature and by way of warning the public issued a press note.

(b) Except Orissa and Andhra Pradesh States, there are no reports of these batches moving in other States.

(c) Yes. The Drugs Controllers of all other States have been instructed to keep a check on the movement and sale of these batches and any other batches of spurious drug that may come to their notice.

Dr. Ram Manohar Lohia : Have the Government ascertained, and if so, have they found that the genuine manufacturers of "Woodwards Gripe Water' are not themselves the manufacturers of the spurious Woodwards Gripe Water ?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : I could not follow the question. Some persons had manufactured the spurious gripe water and the action has been taken in that connection.

Dr. Ram Manohar Lohia : I can tell again. Perhaps the Hon. Minister has not gone through the Paper has laid on the Table of the House. It is as follows :—

> "M/s Anglo Thai Corporation Ltd. manufacturers of "Woodwards Celebrated Gripe Water' had intimated to the Orissa State Drugs Control authorities that spurious gripe water simulating genuine manufacturer's label was circulating in the Orissa State."

In this connection may I know whether the Government has ascertained, and if so have they found that the genuine manufacturers or their associates have not sold the medicine by simulating the false label ?

Dr. Sushila Nayar : Why should the genuine manufacturers sell their goods by simulating the false label. They complained that the unlicensed persons have sold this medicine by simulating the genuine manufacturers label. Consequently the whole batch was seized and its sale was banned.

Dr. Ram Mahohar Lohia : Any one can lodge a complaint. They themselves could lodge it. They may be same thing else.

Mr. Speaker : It is for the Minister to answer.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is not the right answer. Any way I can ask another question. What is the total annual sale of woodwards Gripe water and what is their profit as shown by them ?

श्री पू० शे० नास्कर : यह जानकारी हमारे पास नहीं है। परन्तु जहां तक माननीय सदस्य के पहले प्रश्न का संबंध है मैं यही बताना चाहता हूं कि वह ग्राइप वाटर जिसे नकली कहा गया है तथा जो उड़ीसा के कुछ भागों में पकड़ा भी गया है उसे केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला में इस लिय भेज दिया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह असली है या नकली। साथ ही साथ उड़ीसा के औषध नियंत्रक ने इस पर रोक लगाने के लिये मद्रास के औषध नियंत्रक को सूचित कर दिया है और चूंकि यह असली ग्राइप वाटर मद्रास में बनता है इसलिये मद्रास के औषध नियंत्रक को कह दिया गया था कि वह इस बात का पता लगाये कि इस पकड़ी गई औषधि का निर्माण वास्तविक निर्माताओं द्वारा किया गया था यह नहीं। परन्तु अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

Dr. Ram Manohar Lohia : May I ask another questions as the anwer of the question has changed the whole position.

Mr. Speaker : Your question has been answered.

Shri Kishen Pattnayak : Most of the persons want to purchase spurious gripe water because of its low price. May I know whether the Hon. Minister has ever come to know that one bottle of woodwards Gripe Water manufactured by M/s. T. T. Krishnamachari and Company costs 30 paise and approximately the same amount is spent on its distribution while it s sold in the market at rupees two and ten paise or even more than that. iIn other words the medicine of the Children which costs 30 paise is sold at a profit of rupee one and 27 paise.

Dr. Sushila Nayar : How has Shri Kishen Pattnayak come to know as to how much it costs and all that. I myself don't know any thing about it. I do'nt have any information with me about its cost and sale. But I want to say some thing. The prices of medicines have not risen with the rise in prices of other commodities and since 1st April 1963 the prices of mdicines have remained the same.

श्री दाजी : उत्तर बिल्कुल स्पष्ट नहीं है : मैं यह जानना चाहता हूं । कि बाजार में जो औषधियां बेची जाती हैं क्या उनके मूल्य का सरकार कोई अध्ययन करती है और उनकी लागत इन महत्वपूर्ण दवाइयों की उत्पादन लागत की तुलना में कैसी है । क्या सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है ?

डा० सुशीला नायर : मुझे खेद है कि उत्पादन का मामला तथा जो भी विवरण माननीय सदस्य ने मांगा है उस के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तरदायी नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने दिनांक 22 जनवरी, 1965 के अपने आदेश में उड़ीसा में वुडवार्डसग्राइप वाटर के रसायनिकों (केमिस्टों), औषध विक्रेताओं तथा व्यापारियों को इस औषधि को बेचने के लिये चेतावनी दे दी थी परन्तु इस औषधि के निर्माताओं को कोई विशेष रूप से अथवा अन्यथा कोई चेतावनी नहीं दी । क्या यह भी सच है कि इस का निर्माण वास्तव में ऐंग्लो थाई कार्पोरेशन में नहीं हुआ है बल्कि ओरीयेंट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड में हुआ है ? इस के अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ओरीयेन्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड का मेसर्स टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ यदि कोई सम्बन्ध है तो वह क्या है ?

डा० सुशीला नायर : मैं तो यही कह सकती हूं कि यदि कोई औषधि नकली है तो हमें यह पता नहीं चलता कि उस नकली औषधि को किस ने बनाया है । हम इसे कैसे पहचान सकते हैं । इस के लिये हम यही कह सकते हैं कि बाजार में ऐसे विशेष नमूने नकली पाये गये हैं तथा उन्हें नहीं बेचना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह उत्तर बिल्कुल दूसरा है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसी जानकारी लेने के लिये प्रश्न पूछना चाहियें जिस के लिये सरकार उत्तरदायी हो न कि ऐसे मामलों के बारे में जिस के लिये सरकार उतर दायी नहीं है । मंत्री महोदया उन्ही मामलों के बारे में उत्तर दे सकती हैं जिस के लिये वह उत्तरदायी हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : उप मंत्री महोदय ने कहा है कि वुडवार्डस ग्राइप एंग्लो थाई कारपोरेशन द्वारा बनाया जाता है इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि उड़ीसा सरकार ने इस कम्पनी को इस औषधि बनाने के लिये चेतावनी क्यों नहीं दी थी तथा क्या इस औषधि को ओरीएन्ट फार्मा प्राइवेट लिमिटेड नहीं बनाती है तथा इस कम्पनी का मेसर्स टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी से यदि कोई सम्बन्ध है तो वह क्या है ?

श्री पू० शे० नास्कर : क्या उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना मैं पढ़ सकता हूं ? इस में कहा गया है :

> "वुडवार्डस सेलेब्रेटेड ग्राइप वाटर" के निर्माता मेसर्स एंग्लो थाई कारपोरेशन लिमिटेड नामक कम्पनी से हमें सूचना मिली है कि उनके नाम का ग्राइप वाटर इस राज्य में बिक रहा है ।

"उड़ीसा के सहायक औषधि नियंत्रक ने पुलिस की सहायता से कुछ नमूने पकड़े हैं जिनके नकली होने का अनुमान है "

उड़ीसा सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की सूचना निकलवा दी है कि उस ग्राइप वाटर के अमुक बैच नम्बर के नकली होने का सन्देह है, ताकि लोग उस बैच नम्बर के ग्राइप वाटर का प्रयोग न करें ।

श्री हरि विष्णु कामत : उसके निर्माता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० सरोजनी महिषी : क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि इस ग्राइप वाटर को बाजार में उपलब्ध करने से पहले किस अवस्था में इसकी जांच पड़ताल की गई थी ?

डा० सुशीला नायर : जहां कहीं भी सन्देह हुआ मामला ड्रग इन्स्पेक्टर को सौंपा गया था और उसने उसकी छानबीन की थी उदाहरण के लिये करनूल में । परन्तु वे निर्माता तथा विक्रेताओं का पता लगाने में सफल नहीं हुए । करनूल के ड्रग इन्स्पेक्टर को इस नकली ग्राइप वाटर के लेनदेन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दे दिया गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know how many persons have been challaned under the relevant law for being in possession of spurious drugs ? Why there is so much delay in the submission of the report about the Gripe Water which has been sent to Madras for enquiry ?

Mr. Speaker : The Minister should give a reply to the latter part of the question only.

Dr. Sushila Nayar : from all this investigation one cannot know the Origin of a particular drug but it can be reported that the drug is moving in the state at present. On such a report the Drug Controller is trying to trace its origin. It has not been received as yet.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री के उत्तर से प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के पास इस नकली दवाई की एक बोतल है । क्या हम यह समझें कि अभी तक सरकार ने करनूल में नकली दवाई की केवल एक ही बोतल पकड़ी है और वह उड़ीसा अथवा मद्रास राज्य के किसी अन्य भाग में किसी अन्य स्टाक का पता नहीं लगा सकी है और वह यह भी मालूम करने में असफल रही है कि वह नकली दवाई वास्तव में नकली है या एंग्लो थाई कारपोरेशन से चली है ?

डा० सुशीला नायर : हमें पता लगा है कि तीन बैच, जिनके नम्बर, 72 एम 463, 4 एम 463 तथा 86 एम 762 हैं, नकली है । बोतलों की संख्या बताना संभव नहीं है । समाचार पत्रों को यह सूचना दे दी गई थी जिसका उद्देश्य लोगों को यह बताना था कि जो कोई व्यक्ति इस दवाई को खरीदे वह पहले लेबल देख ले और यदि किसी बोतल पर इनमें से कोई बैच नम्बर दिया हुआ है तो उसे न तो कोई खरीदे और न हो किसी को बेचे । ड्रग इन्स्पेक्टर जगह जगह जा रहे हैं और इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी 12h2

*886. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मंत्रालय में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी एक नया ब्यूरो खोलने के क्या कारण हैं ;

(ख) ब्यूरो के कृत्य तथा कार्य क्षेत्र क्या हैं ;

(ग) ब्यूरो ने अब तक क्या कार्य किया है और क्या निष्कर्ष निकाले हैं ; और

(घ) ब्युरो का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों से क्या सम्बन्ध है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकारी क्षेत्र के विस्तार के कारण कुछ समय से एक केन्द्रीयकृत समन्वयकारी यूनिट की आवश्यकता अधिकाधिक महसूस की जा रही थी जो विभिन्न उपक्रमों की प्रगति का निरन्तर मूल्यांकन भी कर सके ।

(ख) यह ब्यूरों केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के लिये सेवा, समन्वय तथा मूल्यांकन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा ।

(ग) ब्यूरो का अभी निर्माण किया जा रहा है। उसका प्रधान 20 मार्च, 1965 को ही नियुक्त किया गया था ।

(घ) ब्यूरो का सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित आर्थिक सचिवों की एक उप-समिति द्वारा मार्ग प्रदर्शन किया जायेगा और यह प्रशासकीय मंत्रालयों से निकट सम्पर्क बनाये रखेगा । मंत्रालयों तथा उपक्रमों को ब्यूरो को कोई समस्या जिसका अध्ययन तथा जांच करना जरूरी है भेजने की भी स्वतन्त्रता होगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह ब्यूरो आर्थिक समन्वय मंत्रालय का ही दूसरा रूप होगा क्योंकि वह मंत्रालय वित्त मंत्री के कड़े समर्थन के बावजूद भी समाप्त कर दिया गया था ? यदि ऐसा नहीं है, तो फिर यह कार्य प्रति वर्ष किस प्रकार पूरा किया जा रहा था ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस ब्यूरो के व्यय सम्बन्धी अनुपूरक मांग पर बहस के समय भी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया था और मैंने उसका उत्तर भी दिया था । पुरानी व्यवस्था से चिपटने का कोई प्रश्न नहीं है । सरकारी उपक्रमों की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जानकारी रखने के लिये इस प्रकार के संगठन की आवश्यकता समझी गई और इसी लिये यह कायम किया गया । यह हो सकता है कि समन्वय मंत्री के रूप में सरकारी उपक्रमों की कार्य प्रणाली के बारे में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया था वह वित्त मंत्री बनने पर मैं भूला नहीं हूं । यह बात सरकारी उपक्रमों के अधिक अच्छी तरह कार्य करने, मंत्रालयों को इससे अवगत रखने, तथा विवरण-सूचियों तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के बारे में समन्वित नीति अपनाने के लिये सुझाई गई है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सरकारी उपक्रमो में कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता की सराहना करते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान व्यवस्था से माननीय वित्त मंत्री अन्य मंत्रालयों की अवहेलना करके तथा अन्य मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित उपक्रमों के प्रशासनिक कार्यकरण के लिये अपने निरीक्षक भेज कर उनके क्षेत्राधिकार में प्रवेश को किस प्रकार रोक सकते हैं ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं ऐसा नहीं समझता । यह ब्यूरो जो भी काय करता है, मैं नहीं समझता कि उससे किसी के क्षेत्राधिकार में प्रवेश होता है । विभिन्न उपक्रमों को जो भी आदेश भेजे जायेंगे वे संबंधित मंत्रालयों की मार्फत भेजे जायेंगे । जो कुछ भी करना आवश्यक होगा ब्यूरो मंत्रालयों को उसकी सूचना देता रहेगा, और हिदायतें केवल सम्बन्धित मंत्रालयों के माध्यम से ही भेजी जायेंगी ।

अन्य सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

चम्बल बिजली घर

+

अल्प सूचना प्रश्न संख्या 10. { श्री दाजी :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री अ० सिंह सहगल :
श्री रा० सं० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने कों कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल जल विद्युत् व्यवस्था (चम्बल हाइडल सिस्टम) से उत्पन्न बिजली को हाल ही में घटाना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो इससे बिजली के सम्भरण पर कितना प्रभाव पड़ा ;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष चम्बल बिजली घर को अपनी निर्धारित क्षमता से जिसमें काम करना सुरक्षित था अधिक काम करना पड़ा अर्थात् 80,000 किलोवाट के स्थान पर 92,000 किलोवाट का लोड संभालना पड़ा ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र): (क) जी, हां। 16 अक्तूबर, 1964 से गांधी-सागर केन्द्र से बिजली का उत्पादन कम कर दिया गया था।

(ख) इस कमी के कारण राजस्थान में जिन उपभोक्ताओं को लगभग 100 हार्स पावर भार के कनेक्शन मिले हुए थे उनकी बिजली में 20 प्रतिशत की कटौती की गई और जिन उपभोक्ताओं के पास 25 हार्स पावर और 100 हार्स पावर भार के बीच के कनेक्शन थे उनकी बिजली में 10 प्रतिशत की कटौती की गई।

(ग) जी, हां। गत वर्ष गांधी-सागर विद्युत् केन्द्र का चालन 100 प्रतिशत भार अनुपात पर औसतन 69 मैगावाट बिजली उत्पन्न करने के लिये किया गया था। यह क्षमता 100 प्रतिशत भार अनुपात पर अभिकल्पित 43 मैगावट के उत्पादन से काफी अधिक थी।

(घ) बिजली उत्पादन में वृद्धि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के चम्बल सम्भरण क्षेत्र में मांग के बढ़ जाने के कारण की गई थी।

श्री दाजी : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होते हैं। संयंत्र को उसकी क्षमता से अधिक चलाने की अनुमति कैसे दी गई, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है ? यह कैसे हुआ ? क्या यह पता लगाने के लिये कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है, कोई जांच की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कू० ल० राव) : वास्तव में, जब यह कठिनाई उत्पन्न हुई तभी मंत्रालय को इसकी सूचना दी गई । प्राय: ये जलाशय परियोजनाओं के प्रभारी राज्यों द्वारा संचालित किये जाते हैं ।

श्री दाजी : क्या यह भी सच है कि इसे इसकी क्षमता से अधिक चलाने के बावजूद, उन्होंने वर्षा पर निर्भर किया और अगस्त तथा सितम्बर में अधिक वर्षा की आशा पर जो वास्तव में पूरी नहीं हुई अधिक जल छोड़ा तथा उसका उपयोग किया और इसी कारण यह संकट उत्पन्न हुआ और यह 100 करोड़ रुपये की परियोजना खटाई में पड़ गई है ? क्या सरकार अब भी एक उच्चस्तरीय ज ~ का आदेश देगी ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न होने पायें ?

डा० कु० ल० राव : उसके पश्चात् मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के मंत्रियों की बैठकें हुई थीं, और इस वर्ष के लिये हम एक नियमित कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं ।

श्री दाजी : मैंने पूछा है कि क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिये कोई जांच की जायेगी ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां न हों सके ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव मे किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है । मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि यह ख्याल किया जाना है कि ऐसा परियोजना के प्रभारी राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया गया था । उन्हें अच्छी वर्षा होने की आशा थी , क्योंकि 1964 से पहले वर्षों मे अच्छी वर्षा होती रही थी । इस लिये उन्हें कुछ वर्षा होने की आशा थी और वे अधिक बिजली चाहते थे । इसका यही कारण था, और इस लिये किसी विशेष जांच की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Has the hon. Minister tried to as certain as to how many power stations have closed down in Madhya Pradesh on account of this and the number of industries affected by this power shortage and also the number of persons who have been rendered unemployed ?

डा० कु० ल० राव : मध्य प्रदेश में चम्बल में बिजली की कमी के कारण अब तक कोई कमी नहीं की गई है ; हां, उद्योगों में छट्टियों के दिन भी काम होता है ।

Shri R. S. Tiwary : The hon. Minister has just now stated that on account of scarcity of rainfall, there was shortage of water in the reservoir. But I know that the rains in July and August had been so heavy that there was fear of the river being flooded. There is a report to this effect. Is it a fact that the water at that time was not stored in the hope that more rains were expected later on ? May I know whether any enquiry was made as to why water was released instead of being stored when there was fear of damage being caused due to excessive rains ?

डा० कु० ल० राव: चम्बल बांध क्षेत्र में औसत वर्षा 34 इंच है ; 1964 में केवल 22 इंच वर्षा हुई थी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि मध्य प्रदेश की तरफ कोई कटौती नहीं की गई थी जब कि राजस्थान की तरफ बिजली में 20 प्रतिशत की कटौती की गई थी । क्या मैं जान सकता हूं कि राजस्थान के साथ समान व्यवहार न करने के क्या कारण थे ?

डा० कु० ल० राव : समान व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश मे तापीय बिजली घर काफी संख्या में हैं और बिजली की कमी होने पर उनसे 43 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। राजस्थान में तापीय बिजली घरों से केवल 16 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो सकती थी। इसी लिये यह कटौती करनी पड़ी ।

श्री दाजी : मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कोई कटौती नहीं की गई थी परन्तु राजस्थान में 20 प्रतिशत कटौती की गई थी। अब मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट हो गया है कि पन बिजली की कमी के कारण तापीय बिजली का उत्पादन करना पड़ा।

डा० कु० ल० राव: यह कमी केवल चम्बल क्षेत्र में थी अन्य क्षेत्रों में नहीं। चम्बल क्षेत्र में बिजली पन बिजली घरों से उपलब्ध की जा रही थी। बिजली की कमी होने पर तापीय बिजली घरों की पूरी क्षमता का उपयोग किया गया ।

श्री दाजी : चम्बल पन बिजली घर के फेल हो जाने से मध्य प्रदेश में बिजली की कहां तक कमी थी ?

डा० कु० ल० राव : उद्योगों को दी जाने वाली बिजली मे कोई कमी नहीं की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जो कुछ जानना चाहते हैं वह यह है। तापीय बिजली घरों में उत्पादन आरम्भ कर दिया गया और इस कारण उद्योगों पर इस कमी का प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया। परन्तु चम्बल परियोजना से वास्तव में जो बिजली दी जानी थी उसमे अवश्यक ही कमी हुई होगी ।

डा० कु० ल० राव : यह स्वाभाविक ही है, श्रीमान्। मुख्य उत्तर में यह सब दिया हुआ है। अक्तूबर में तथा फिर 12 अप्रैल, को राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के मंत्रियों की बैठक हुई थी और समय समय पर हमने स्थिति का अवलोकन किया। धीरे धीरे बिजली की मात्रा को 17 लाख किलोवाट प्रति दिन से घटा कर 6 लाख किलोवाट प्रतिदिन कर दिया गया। यह कमी इस प्रकार की गई ; 17 लाख किलोवाट से 14 लाख किलोवाट, 14 से 10 , 10 से 9 और 9 से 6 ।

Shri Bade : There has been prolonged discussions in the Madhya Pradesh Vidhan Sabha on this topic. Some said that the Chambal project failed due to shortage of water, some others said that the original project did not envisage this much generation of power, but to impress the public so much power was supplied, and a suggestion to set up an enquiry commission was also made on the floor of the Vidhan Sabha. I want to know whether it is a fact that the original project was not so big, and it was overworked to supply more power to the public, which actually resulted in this cut, and not the shortage of water ?

डा० कु० ल० राव : इसका उत्तर दिया जा चुका है। परियोजना के नमूने में कोई खराबी नहीं है। दुर्भाग्यवश, वर्षा बहुत ही कम हुई और परियोजना से क्षमता से अधिक बिजली ली गई। मैं माननीय सदस्य की यह बता दूं कि हम जबलपुर से इटारसी तक ट्रांसमीशन लाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बन जाने से फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इससे शेष मध्य प्रदेश के लिये सहायक बिजली की व्यवस्था हो जायेगी ।

Shri Onkar Lal Berwa : Madhya Pradesh received 12,000 kwh. more of power and a cut of 20 percent was imposed on the side of Rajasthan. May

I know whether in the meeting held on 12th April the Rajasthan Ministers had agreed to this cut, and if so, the loss suffered by Rajasthan as a result of that ?

डा० कु० ल० राव : राजस्थान को पर्याप्त तापीय बिजली क्षमता के अभाव के कारण यह कमी करनी पड़ी । यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य को प्राप्त होने वाले शुल्क को लगाकर राजस्थान बिजली बोर्ड को कुल एक करोड़ रुपये की हानि होगी । उद्योग को हुई हानि के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम

*885. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा ऐजेंटों की वर्तमान संख्या क्या है ;

(ख) क्या देश में जीवन बीमा एजेंटों के लिये अर्हताएं निर्धारित करने तथा आचार संहिता बनाने संबंधी कोई विनियम बनाए गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) 30-9-1964 तक एजेंटों की कुल संख्या 1,74,264 थी ।

(ख) और (ग). क्योंकि जोवन बीमा निगम ने एजेंटों की भरती के लिये स्तरों और कार्य-विधियों को पहले से ही निर्धारित कर रखा है और एक विवरणिका भी जारी की हुई है जिस में एजेंटों के निदेशन के लिये "करो और मत करो" का वर्णन है, इस लिए कोई अलग विनियमन बनाने का सुझाव नहीं है ।

बर्ड एण्ड कम्पनी

*887. **श्रीमती रणू चक्रवर्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स वर्ड एण्ड कम्पनी ने लगभग 10 करोड़ रुपये के मूल्य के पटसन के सामान के कम मूल्य के बीजक बनाने संबंधी विदेशी मद्रा के मामले में पहले एक व्यादेश, प्राप्त किया था ;

(ख) क्या इसके कारण न्याय-निर्णय की कार्यवाही आरम्भ करने में बिलम्ब हुआ ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस विलम्ब के कारण संबंधित विदेशी निदेशक सेवा-निवृत्त हो गये तथा इस देश को छोड़कर चले गए ; और

(घ) न्याय-निर्णय की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख). यह सच है कि जिस समय मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी तथा उसकी सहायक फर्म के विरुद्ध सीमाशुल्क विभाग द्वारा चालू की गयी न्याय-निर्णय कार्यवाही चल रही थी, तो उन्होने 3 अगस्त तथा 5 अगस्त, 1964 को कलकत्ता

Injunction.

उच्च न्यायालय को याचिकाएं भेजीं और उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया और इस कार्य-वाही को स्थगित करने का आदेश दिया। 17 नवम्बर, 1964 को उन्होंने अपनी याचिकायें वापस ले लीं और इस तारीख के बाद ही न्याय-निर्णयन कार्यवाही पुनः चालू की जा सकी।

(ग) ऐसा समझा जाता है कि मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के चैयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक ने अपने पद से छुट्टी ले ली है और वह भारत छोड़ कर चला गया है। चूंकि न्याय-निर्णयन कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिये अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि किसी का व्यक्तिगत रूप से इसमें हाथ है अथवा नहीं।

(घ) वर्तमान संकेतों के अनुसार, कार्यवाही दो अथवा तीन महीने में पूरी हो जायेगी।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

*888. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् में केन्द्रीय आय-व्ययक के प्रस्तुत होने के बाद कुछ अत्यावश्यक जपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य कम हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) मूल्यों में हुई कमी कहां तक सरकार के अनुमान के अनुकूल हैं ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान कपड़ा व्यापार प्रतिनिधियों के इन वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है कि कपड़े के मूल्यों में कमी के बारे में वित्त मंत्रालय के अनुमान के कार्यान्वित होने की संभावना नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). बनास्पती के खुदरा मूल्यों में प्रति किलोग्राम 16 से 25 पैसे तक की कमी हुई है। साइकिल के पुर्जों के बड़े-बड़े निर्माताओं ने अपनी बिक्री की दरों में, प्रति टायर 61 पैसे, प्रति ट्यूब 33 पैसे और प्रति रिम 4 रुपये की कमी कर दी है। जूतों के बड़े-बड़े निर्माताओं ने भी मूल्यों में 7 से 11 प्रतिशत तक की कमी करने की घोषणा की है। कपड़े की जिन किस्मों पर नियंत्रण है उनके मूल्यों में भी 7 प्रतिशत तक की कमी हो गयी है। कागज, स्टेपल रेशे और रेशमी कपड़े के मूल्यों में भी कमी हुई है। यद्यपि मूल्यों पर, शुल्कों के भार के अलावा अन्य बहुत सी बातों का असर पड़ता है, फिर भी मूल्यों में जो परिवर्तन हुए हैं वे, शुल्कों में कमी करने के बाद, प्रायः सरकार की आशाओं के अनुकूल ही हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) लागत बढ़ने के परिणामस्वरूप कपड़े के मूल्य बढ़ा दिये जाने से उत्पादन शुल्क की कमी कुछ सीमा तक प्रतिसन्तुलित हो गयी है। संशोधित मूल्य और दिया जाने वाला संशोधित शुल्क कपड़े के ऊपर छाप दिया जाता है।

दिल्ली बृहत् योजना

*889. **श्री शिवचरण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली की वृहत् योजना में भूमि के प्रयोग में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकार से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

(ख) यदि हां, तो सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अब तक दिल्ली विकास प्राधिकार ने दिल्ली के मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूमि के प्रयोग में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं :—

(1) लोनी रोड पर स्थित ज्योति नगर कालोनी, जिसके ले आउट प्लान दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूर किये जा चुके थे, में कोई छेड़-छाड़ न होने देने के उद्देश्य से मास्टर प्लान में अस्पतालों तथा सरकारी कार्यालयों के लिये निर्धारित स्थानों में परिवर्तन कर दिया जाये। अस्पताल पश्चिम दिशा में उस आवासिक भूमि पर बनाये जायें जो पश्चिम दक्षिण तथा पूर्व में पार्कों, खेल के मैदानों आदि के लिये निर्धारित क्षेत्र से घिरी हुई है तथा सरकारी कार्यालय उस आवासिक क्षेत्र में बनाये जायें जो एस० एस० लाइट रेलवे के साथ साथ तथा उस क्षेत्र के बगल में है जिसे सरकार आवासिक बस्ती के रूप में विकसित करना चाहती है।

(2) मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली पर स्थित विल्डिंग नं 2 के अन्तर्गत आने वाली भूमि (लगभग 3 एकड़) के एक भाग का "सामाजिक तथा सांस्कृतिक" के स्थान पर "कार्यालय" के रूप में उपयोग।

(3) भारत सरकार ने पटियाला हाउस के अहाते में आपात्कालीन आधार पर अस्थायी रूप से एक प्रीफैब्रिकेटेड कार्यालय भवन बनाया है। दिल्ली के मास्टर प्लान में इस प्लाट का भूमि उपयोग सांस्कृतिक है। प्राधिकारी ने यह सिफारिश की है कि इस ढंग से बनी हुई अनियमित इमारतों का अन्तिम रूप से कैसा उपयोग किया जायेगा सरकार इसका निर्णय कर ले।

ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

विद्युत् चालित शमशान

*890. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली में विद्युत् चालित शमशान बनाने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) उस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) उसके कब तक चालू होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) भवनों और बिजली के यंत्र लगाने आदि पर लगभग 6.2 लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

(ग) अप्रैल, 1965 के अन्त तक ।

मूल्य-नियंत्रण हटाए जाने का अध्ययन

*891 **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 दिसम्बर, 1963 से कास्टिक सोडा, हाईड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरिन, चिलियन नाइट्रेट, पोटाश सल्फेड तथा कपड़े धोने के साबुन से मूल्य नियंत्रण समाप्त करने के प्रभाव का अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1964 तथा जनवरी, 1965 में उनका मूल्य स्तर कितना कितना था ; और

(ग) क्या मूल्य नियंत्रण समाप्त करने का उद्देश्य पूरा हो गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां, ।

(ख) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गयी है । **[पुस्तकालय मे रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 4195/65]**

(ग) जी, हां। लेकिन सरकार स्थिति पर बराबर नजर रख रही है और जब कभी आवश्यकता पड़ेगी, स्थिति को सुधारने के लिए उपाय किये जायेंगे, जिनमें फिर से नियंत्रण लगाना भी शामिल होगा ।

Houses for Government Employees

*892. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :
Shri Buta Singh :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of employees residing in Delhi and New Delhi who have put in 20 years of service but have not yet been allotted quarters in spite of their entitlement for Type IV quarters in the General Pool ;

(b) when they are likely to be provided with accommodation ; and

(c) whether Government propose to provide private accommodation to such employees, in pursuance of the recommendation of the Santhanam Committee ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehar Chand Khanna) : (a) About 560 out of those who applied.

(b) There are about 4400 houses of type IV in the General Pool. Another 252 are under construction. Every possible effort is being made to fill the gap by constructing more houses.

(c) No. The housing problem in Delhi is already very acute and it would not be desirable to further accentuate it.

उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सहायता

*893. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्रीमती सावित्री निगम :
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री पाराशर :
श्री वाडीवा :
श्री रा० म० तिवारी :
श्री राधेलाल व्यास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने केन्द्र से कोई ऐसा सूत्र बनाने की प्रार्थना की है कि यदि राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में केन्द्र सरकार द्वारा की गई ऐसी वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि करनी पड़े तो उसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार इस खर्च का कुछ भाग वहन करे ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) क्या ऐसी प्रार्थनायें अन्य राज्यों से भी प्राप्त हुई हैं ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं

दोहरे कराधान का परिहार

*894. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमेरीका ने वाशिंगटन में 30 मार्च, 1965 को दोहरे कराधान परिहार सम्बन्धी किसी करार पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जी, नहीं । एक करार का मसौदा तैयार कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अभी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

सिन्धु जल सन्धि

*895. **श्री कपूर सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत से प्रार्थना की है कि सिन्धु जल सन्धि के प्रथम चरण की अवधि अप्रैल, 1966 तक बढ़ाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम

*896. **श्री न० प्र० यादव :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम उन उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है जिसके लिए यह स्थापित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय का विचार निगम के कार्यसंचालन की त्रुटियां दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) भवन निर्माण की निरन्तर बढ़ती हुई मांग को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिये निगम कहां तक तैयार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचंद खन्ना) :(क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4196/65]

Invoicing of Goods

*897. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri R. S. Tiwary :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that some consignee firms destroy the actual invoices of goods sent by train and other transport agencies and enter in their account books invoices of lower amounts ;

(b) if so, whether Government propose to issue instructions to the income-tax authorities in pursuance of which a copy each of the original receipt from Railways or other transport agencies in respect of goods sent by rail or other means of transport should be forwarded to them in order to prevent the manipulation of forged receipts and thus save the loss in the recovery of income-tax; and

(c) if not, the other measures adopted by Government to stop the malpractices by businessmen to detect their forged accounts ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu): (a)It is not possible to say that Government have knowledge of any wide use of such malpractices.

(b) Issue of such instructions is not under contemplation.

(c) Extracts from the records of railway and transport agencies are taken to check the correctness of entries in the books of the assessees. Also, as a general practice. Income-tax Officers making assessments send wherever they consider necessary intimation slips to all other Income-tax Officers concerned regarding sales and purchases by assessees in excess of certain monetary limits.

दिल्ली में भूमिगत जल

*898. **श्री यशपाल सिंह :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली में शहादरा, सराय रोहिला, पुरानी रोहतक सड़क तथा अन्य निचले क्षेत्रों में भमिगत जल प्रचुरता से निलक रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो भूमिगत जल में वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) शाहदरा, सराय रोहेला के कुछ भाग, पुरानी रोहतक रोड तथा निगम क्षेत्र की कुछ अन्य बस्तियों में भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि हुई है। भूमिगत जल का स्तर भूमि की सतह से 2 फीट से 5 फीट के अन्दर अन्दर है।

(ख) इन में से एक बस्ती में भूमिगत जल के ऊपर आने को रोकने के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा उपाय निकाले जा रहे हैं। यहां से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अन्य प्रभावित बस्तियों में बाद में काम शुरू कर दिया जायेगा।

बाढ़ नियंत्रण उपाय

*899. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
महाराजाकुमार विजय आनन्द :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री युद्धवीर सिंह :
श्री बड़े :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा समवर्ती राज्यों में बाढ़ नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये जनवरी में दिल्ली में एक उच्चस्तरीय अन्तर्राज्यिक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) इन बाढ़ों को रोकने के लिये उपरोक्त सम्मेलन में संयुक्त कार्यवाही के रूप में किन उपायों के बारे में निश्चय किया गया ; और

(ग) क्या बाढ़ के बारे में पहले ही सूचना प्राप्त करने के लिए बाढ़ सम्बन्ध पूर्व सूचना देने वाला उपकरण लगाने के लिए कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकावय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 4197/65]**

(ग) इस उद्देश्य के लिये एक स्कीम विचाराधीन है।

जीवन बीमा निगम की पालिसियां

***900. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा पालिसियों के व्यपगत होने के मामलों में पिछले पांच वर्षों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कुल मिलाकर निगम के व्यपगत अनुपात में 6 प्रतिशत वृद्धि जो 1959 में थी, से बढ़कर 1-1-62 से 31-3-63 तक की अवधि के दौरान 8.1 प्रतिशत और 1963-64 के दौरान 8.2 प्रतिशत हो गई ।

(ख) कारण यह है कि 1959 में जब कि नया कारोबार 429.17 करोड़ रूपये से बढ़कर, 1-1-62 से 31-3-63 तक की अवधि के दौरान 745.96 करोड़ रूपये हो गया, किन्तु कुल मिलाकर गुणता अपेक्षा कृत अपर्याप्त रही । समय समय पर निगम ने व्यपगतन को कम करने की दृष्टि से विभिन्न कदम उठाये हैं। । कुछ महत्वपूर्ण कदम ये हैं —नए समाविष्ट किए गए कारोबार में गुणता के पक्ष पर अपेक्षाकृत अधिक बल देना, व्यपगत पालिसियों के प्रीमियमों की किस्तों में भुगतान होने पर उन का पुनरुद्धार करना और पालिसी का प्रस्ताव देने वाले को नई पालिसी जारी न करना जब तक कि उस द्वारा पिछले तीन वर्षो में व्यपगत हुई पालिसियों का पुनरुद्धार न हो जाए ।

जाली भारतीय मुद्रा नोट

*901. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक मूल्य के जाली भारतीय मुद्रा नोट, जो चीन में छपे समझे जाते हैं, उत्तर भारत के कुछ शहरों तथा कलकत्ता में भी पकड़े गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० र० भगत) : (क) से (ग). अब तक की गई जांच से किसी एसी बात का पता नहीं लगा जिस से कुछ समाचार पत्रों में छपी खबरों में लगाये गये इन आरोपों की पुष्टि होती हो कि चीन में छपे जाली भारतीय करेंसी नोट इस देश में चल रहे हैं ।

राजस्थान में चेचक और हैजा

2269. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(ग) गत चार महीनों में राजस्थान में कितने व्यक्तियों को चेचक तथा हैजा हुआ ;

(ख) उक्त अवधि में इन रोगों के कारण राज्य में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ; और

(ग) 1965-66 में चेचक और हैजा उन्मूलन के लिए राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). पिछले 4 वर्षों में राजस्थान में चेचक तथा हैजा से पीड़ित मृत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

	पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या
चेचक	935	432
हैजा	कोई नहीं	कोई नहीं

(ग) **चेचक**

चेचक उन्मूलन कार्य पर होने वाले 100 प्रतिशत अनावर्ती और 75 प्रतिशत आवर्ती खर्च की रकम केन्द्रीय सहायता दी जाती है । 1965–66 में यह रकम अनुमानतः 20,46,000 रूपये होगी ।

हैजा

1965–66 में हैजा उन्मूलन के लिये कोई केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है ।

बहुप्रयोजनीय परियोजनायें

2270. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी बहुप्रयोजनीय परियोजनायें चल रही हैं, उन के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां हैं ?

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में ऐसी कितनी परियोजनायें चालू की जायेंगी ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार को तीसरी योजना की शेष अवधि में ऐसी परियोजनायें चालू करने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है अथवा देने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) देश में निम्नलिखित बहुधन्धी परियोजनायें चल रही हैं :—

(1) भाखड़ा-नंगल (पंजाब और राजस्थान)

(2) चम्बल (राजस्थान और मध्य प्रदेश)

(3) मातातिला (उत्तर प्रदेश) :

(4) कोसी (बिहार))

(5) मयूराक्षी (पश्चिम बंगाल)

(6) दामोदर घाटी निगम (बिहार और पश्चिमी बंगाल)

(7) हीराकुंड (उड़ीसा)

(8) तुंगभद्रा (आन्ध्र प्रदेश और मैसूर)

(9) निजाम सागर (आन्ध्र प्रदेश)

(10) भद्रा (मैसूर)

(11) कृष्णराज सागर (मैसूर)

(12) पेट्टूर (मद्रास) ।

(ख) नर्मदा और माही नदियों पर कुछ परियोजनायें चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ की जायेंगी, ऐसी संभावना है ।

(ग) और (घ). क्योंकि उड़ीसा में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी नई बहुधन्धी परियोजना को हाथ में लेने की सम्भावना नहीं है, अतः इस प्रकार की किसी भी स्कीम के लिये वित्तीय सहायता का प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में देहाती क्षेत्रों का औद्योगीकरण

2271. श्री तन सिंह : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग की देहाती उद्योग योजना समिति द्वारा प्रायोजित देहाती उद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिए राजस्थान में कौन सा क्षेत्र चुना गया है ;

(ख) चुनाव किस आधार पर किया जाता है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है ;

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) देहाती उद्योग परियोजना कार्यक्रम के लिये राजस्थान राज्य में जिला नागौर और जिला चूरू दो क्षेत्र चुने गये हैं ।

(ख) मोटे तौर पर, इन दो क्षेत्रों के चुनाव का आधार निम्न प्रकार हैं :—

(1) अत्यधिक बेरोजगारी तथा अपूर्ण बेरोजगारी का होना ;

(2) प्रतिकूल प्राकृतिक दिशाओं के होने के कारण, कृषि में तेजी से विकास करने की संभावनायें सीमित हैं; और

(3) इन क्षेत्रों में लघु उद्योग तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिए क्षमता का विद्यमान होना ।

(ग) चूरू और नागौर की दो परियोजनाओं की स्थापना अप्रैल, 1963 में की गई थी और उद्योगों के विकास के कार्यक्रम का कार्यान्वयन 1963–64 के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में शुरू हुआ। अतः केवल एक वर्ष से इस कार्यक्रम पर काम हो रहा है। सितम्बर, 1964 तक इन दो परियोजनाओं पर कुल खर्चा लगभग पांच लाख रुपये का हुआ और सितम्बर, 1964 में निम्न स्कीमों पर काम हो रहा था।

नागौर परियोजना :

(1) लोहारपुरा में बिजली-कलाई (इलैक्ट्रो प्लेटिंग) के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र ;

(2) नागौर में ऊन की धुलाई के लिए एकक ;

(3) शिल्पियों को रानी ह्वीलों सहित उन्नत उपकरणों का सम्भरण ;

(4) शिल्पियों को संयंत्रों में काम करते हुए प्रशिक्षण देना;

(5) नागौर में औद्योगिक प्रदर्शनी और औद्योगिक अजायबघर गठित करना ;

(6) वर्कशेडों के निर्माण और प्रबन्धकों की नियुक्ति के लिए औद्योगिक सहकारों को वित्तीय सहायता ;

(7) 400 करघों के संयंत्र सहित, ऊन की धुलाई, की मशीन ;

(8) औद्योगिक बस्ती के निर्माण के लिए सहायता ;

(9) सिलाई तथा बढ़ई गिरी का काम सिखाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र ;

(10) दीदवाण में नमक और सोडियम सल्फेट के निर्माण के लिए संयंत्र का लगाना ।

चुरू परियोजना :

(1) शिल्पियों को संयंत्र में काम करते हुए ऊन की बुनाई तथा सफाई का प्रशिक्षण देना ;

(2) सहकारी समितियों को प्रबन्ध सम्बन्धी सहायता ;

(3) ऊन की कताई, बुनाई, रंगाई और अन्तिम रूप देने में एकीकृत (पलस्टर) विस्म का प्रशिक्षण ;

(4) शिल्पियों को उन्नत उपकरण उपलब्ध करना ;

(5) उद्यमियों और औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता ;

(6) सुजानगढ़ में ऊन की धुलाई के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र ;

(7) मिट्टी के बर्तन बनाने के बारे में प्रदर्शन केन्द्र ;

(8) हौजरी, मुद्रा बनाने और बैन बनाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र ;

(9) रत्नागर में 400 कर्घे का ऊन की कताई तथा धुलाई का संयंत्र स्थापित करना ।

अधिकतर यूनिटों के लिए मशीनरी खरीदी जा चुकी है और फैक्टरी शेडों का निर्माण कार्य पूरा होने के विभिन्न चरणों में है ।

सितम्बर, 1964 के बाद प्रगति की सूचना राज्य सरकारों से प्राप्त की जा रही है ।

बाढ़ नियंत्रण कार्य

2272. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के कोजीकोड जिले में जिन बाढ़ नियंत्रण कार्यों को आरम्भ करने की सिफारिश की गई थी क्या उन्हें बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति न मिलने के कारण आरम्भ करने में बिलम्ब हो गया है ;

(ख) बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक आयोजित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) गत दो वर्षों में बोर्ड की कितनी बैठकें हुई हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दो बार ।

प्रबन्ध अभिकर्ता

2273. **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री प० ह० भील :
श्री सोलंकी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय विधि बोर्ड को प्रबन्ध अभिकर्ताओं की पुनर्नियुक्ति के लिये गत नवम्बर में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से (एक) कितने स्वीकार किये गये ; (दो) कितने अस्वीकृत हुए ; और (तीन) कितने अभी भी विचाराधीन हैं ;

(ख) अस्वीकृत आवेदन-पत्रों में से कितने आवेदन-पत्र ऐसे उद्योगों के थे जिनके मामले प्रबन्ध अभिकरण जांच समिति को जांच के लिये भेजे गये ; और

(ग) इन उद्योगों में प्रबन्ध अभिकर्ताओं को नियुक्ति के लिये कितने आवेदन-पत्र एसे थे जो जांच समिति की नियुक्ति से पहले ही अस्वीकार कर दिये गये थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) नवम्बर, 1964 में प्राप्त आवेदन-पत्रों की कुल संख्या--22 ;

(एक)	स्वीकृत	8 ;
(दो)	अस्वीकृत	9 ; और
(तीन)	विचाराधीन	5

(ख) सरकार ने किन्हीं विशिष्ट उद्योगों के मामले प्रबन्ध अभिकरण जांच समिति को जांच के लिए नहीं भेजे किन्तु समिति ने अपना कार्य पांच उद्योगों (सीमेंट, सूती वान, कागज, खांड और पटसन वान) की जांच से आरम्भ किया है।

भाग (क) के उत्तर में बताए गए 9 अस्वीकृत आवेदन-पत्रों में से 2 मामले उपर्युक्त पांच उद्योगों में से एक या एक से अधिक से सम्बन्धित थे।

(ग) प्रश्न के (ख) भाग के उत्तर में बताए गए दो आवेदन-पत्रों में से किसी को भी समिति नियुक्ति से पूर्व अस्वीकृत नहीं किया गया था।

ग्राम्य स्वास्थ्य केन्द्र

2274. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि 1965–66 में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने नये ग्राम्य स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : 1965–66 में उत्तर प्रदेश में 109 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है।

धन वापसी बाऊचर

2275. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर निर्धारण आदेशों के साथ वापस की जाने वाली निर्धारित राशि के लिए धनवापसी वाऊचर नहीं दिए जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कानून के अनुसार तीन महीने समाप्त होने पर ब्याज लिया जाता है और कर निर्धारण होने पर लौटाई जाने वाली राशि तीन महीने तक अनावश्यक रूप से बकाया रखी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार धनवापसी वाऊचर शीघ्र जारी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) वापसी के रूप में देय राशि के लिए वापसी वाऊचर सामान्यतः स्वयं कर-निर्धारण सम्बन्धी आदेशों के साथ ही जारी किये जाते हैं। लेकिन जब पहले वर्षों के लिए कर की बकाया राशियों के विरुद्ध कुछ सत्यापन और समायोजन करने होते हैं तो देय राशि के लिए वापसी वाऊचर अलग से जारी किये जाते हैं।

(ख) कर निर्धारिती को उस हालत में ब्याज मिलता है जबकि वापसी की रकम—

(i) उस तारीख से 3 महीने की अवधि के अन्दर मंजूर नहीं की जाती हो जिससे कुल रकम आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है, उन मामलों में जहां निर्धारिती की कुल आय प्रतिभूतियों अथवा लाभांशों पर ब्याज की आय से ही होती हो ; और

(ii) उस तारीख से 6 महीने के अन्दर मंजूर न हो जाय जब किसी दूसरे मामले में वापसी का दावा किया गया हो ।

यह आवश्यक नहीं कि निर्धारणों पर देय वापसी की रकमें तीन महीनों तक निलम्बित रखी जायें ।

(ग) वापसी वाऊचरों के शीघ्रता से जारी करने के सम्बन्ध में पहले से ही हिदायतें हैं ।

आय कर वसूली

2276. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई भी निश्चित प्रक्रिया न होने के कारण आयकर प्राधिकारी व्यय की अनुमति देने के मामले में मनमानी करते हैं, कुछ मामलों में तो वे इसे $^{2}/_{3}$, $^{1}/_{3}$ के अनुपात से ; तथा कुछ अन्य मामलों में आधे-आधे तथा कुछ और अन्य मामलों में अटकल पच्चू स्वीकार तथा अस्वीकार करते हैं जबकि इस भेदभावपूर्ण रवैये के लिए कोई ठोस कारण नहीं होते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में निश्चित मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने का विचार कर रही है जिसका आयकर निर्धारण करने वाले अधिकारी पालन करें ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं । यह सही नहीं है कि आयकर प्राधिकारी मनमाने ढंग से व्यय की मदों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूंजी लाभ कर

2277. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूंजी लाभ कर का हिसाब लगाने के लिए आयकर प्राधिकारियों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 52 के अन्तर्गत अधिकार दिया गया है कि वे वास्तविक विक्रय मूल्य की उपेक्षा कर के करदाता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में सम्बद्ध व्यक्ति के नाम हस्तांतरित आस्तियों के उचित बाजार मूल्य को आधार माने ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में अपनाए जाने के लिए कोई ठीक ठीक मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां, केवल उन्हीं मामलों में जहां आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 52(1) के द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं ।

(ख) जी, नहीं। जहां तक विभिन्न प्रकार की आस्तियों का मूल्यांकन करने में पालन किये जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों का प्रश्न है, हिदायतें पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

गन्दी बस्तियों का हटाना

2278. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कोल्ला वैंकैया :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे गन्दी बस्तियों को साफ करने के कार्यक्रम की शीघ्रता से क्रियान्विति सुनिश्चित करने के हेतु उपयुक्त विधान पेश करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). जी हां। चंडीगढ़ में 29 और 30 दिसम्बर, 1964 को हुए आवास मंत्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा की गयी थी। सम्मेलन ने सिफ़ारिश की थी कि राज्य सरकारों को चाहिए कि गन्दी बस्तियों की सफाई और विकास के लिए 1964 में संशोधित सेन्ट्रल स्लम एरिआज (इम्प्रूवमेंट एण्ड क्लीअरेंस) एक्ट, 1956 के आधार पर विशेष कानून बनायें। एक्ट की प्रतियां राज्य सरकारों को भेज दी गयी हैं, और आशा है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगी।

फ़ोर्ड फाउन्डेशन से ऋण

2279. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में फ़ोर्ड फाउण्डेशन ने भारत को 7,40,000 डालर के तीन अनुदान देने की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन अनुदानों का ब्यौरा क्या है; और ये विभिन्न योजनाओं से किस रूप में सम्बन्धित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिनको अनुदान दिया गया है	जिस प्रयोजन अथवा योजना के लिए अनुदान दिया गया है	रकम (डालरों में)
1. श्रम और नियोजन मन्त्रालय	नियोजन सेवा गवेषणा और कर्मचारी प्रशिक्षणशाला की स्थापना	295,000
2. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	विधि सम्बन्धी शिक्षा में सुधार	240,000
3. श्रीराम औद्योगिक-सम्बन्ध केन्द्र	औद्योगिक-सम्बन्धों के बारे में गवेषणा	205,000
	जोड़	740,000

उड़ीसा में बिजली पैदा करने वाला यंत्र

2280. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बिजली पैदा करने की वर्तमान क्षमता क्या है ;

(ख) क्या 1965–66 में उस राज्य में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 318 मैगावाट।

(ख) और (ग). जी हां। तालचर ताप बिजली केन्द्र में 62. 5––62. 5 मैगावाट के प्रथम दो ताप उत्पादन सैटों के चालू हो जाने से 1965–66 में अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में 125 मैगावाट की वृद्धि होने की सम्भावना है ।

आयुर्वेद का विकास

2281. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा को राज्य में आयुर्वेद का विकास करने के लिए वास्तव में कितनी राशि दी गई; और

(ख) 1965–66 में उस राज्य को इसी कार्य के लिए कितनी राशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए मूलत: 4. 21 लाख रुपये का आवंटन किया गया था ।

राज्य सरकार ने 1964–65 लिये 40,000 रुपये के व्यय का पूर्वानुमान किया और 1965-66 के लिए 1,10,000 रुपये के व्यय का प्रस्ताव किया है ।

विहित प्रक्रिया के अनुसार सभी राज्य योजनाओं (केन्द्र सहाय्यित) के लिए सम्मिलित रूप से एकमुश्त केन्द्रीय सहायता दी जाती है । राज्य सरकारें भी प्रत्येक योजना के लिए अलग अलग केन्द्रीय सहायता नहीं मांगती । अत: उड़ीसा सरकार ने इस योजना के लिये कितनी रकम प्राप्त की है, यह बताना सम्भव नहीं है ।

मलेरिया तथा फाइलेरिया उन्मूलन

2282. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तीसरी योजना में अब तक उड़ीसा राज्य को राज्य में मलेरिया तथा फाइलेरिया उन्मूलन के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या सहायता की राशि का पूरा उपयोग किया गया है ; और

(ग) इन रोगों के उन्मूलन के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) (1) **मलेरिया उन्मूलन**——राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के प्लान आफ आपरेशन के अधीन भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक निर्धारित पैमाने के अनुसार डी० डी० टी० मलेरियारोधी दवा इयां, सूक्ष्मदर्शी यन्त्र, माइक्रोस्लाइड जैसी सामग्री तथा उपस्कर निःशुल्क देना और आयात की गईसेसामग्री पर लगे सीमा-शुल्क की पूर्ति के लिए सहाय्यानुदान देना स्वीकार कर लिया है। 1961–62 1964–65 तक उड़ीसा राज्य को उपकरण तथा सामग्री के रूप में 150.03 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है जिसमें आयात की गई सामग्री पर लगा सीमा शुल्क भी सम्मिलित ह। उपर्युक्त सहायता के लिए अतिरिक्त भारत सरकार आपरेशनल स्टाफ पर होने वाले खर्च तथा उस प्रासंगिक खर्च का 50 प्रतिशत भी वहन करती है जो राज्य सरकारों के राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम पर किये जाने वाले खर्च से अधिक खर्च करना पड़ता है। निर्धारित लेखा पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को अलग अलग योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है अपितु कुल योजनाओं के लिये एक साथ दी जा रही है। अतः राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार से अर्थोपाय अग्रिमों के रूप में अब तक उड़ीसा सरकार ने कितनी नकद सहायता प्राप्त की है उसकी जानकारी भारत सरकार के पास नहीं है। फिर भी उड़ीसा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने योजनाओं के एक वर्ग के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई कुल नकद सहायता में से 1963–64 तक नकद सहायता के रूप में 55.13 लाख रुपये का विनियोजन किया है।

(2) **फाइलेरिया उन्मूलन** :

फाइलेरिया उन्मूलन की कोई योजना नहीं चल रही है। फिर भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत फाइलेरिया नियन्त्रण के लिए उड़ीसा सरकार को निःशुल्क मच्छर लावानाशी तेल के रूप में अब तक 8.27 लाख रुपये की राशि दी जा चुकी है।

(ख) राज्य सरकार ने 1964–65 तक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए दी गई सहायता का पूरा पूरा उपयोग किया।

(ग) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 से चल रहा है। इस समय उड़ीसा में 15 एकक कार्यभार कर रहे हैं। प्रत्येक एकक के अन्तर्गत लगभग 1.2 लाख जनसंख्या है। 15 एककों में से 9.03 एकक आक्रमण अवस्था में हैं और शेष 5.97 एकक समेकन अवस्था में हैं। आक्रमण

अवस्था वाले एककों में सभी छत वाले स्थानों पर वर्ष में दो बार अवशिष्ट कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है (कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां यह कार्य तीसरी बार भी आवश्यक है), तथा परिजीवियों के सक्रिय रोगियों का पता लगाने के लिए इसके साथ साथ निगरानी कार्य भी किया जाता है। दृढ़िकरण अवस्था वाले क्षेत्रों में अवशिष्ट संक्रमण के रोकने के लिए केवल सैनिरीक्षण कार्य चलाए जाते हैं। दृढ़िकरण क्षेत्रों में जहां स्पष्ट मामले पाए गए हैं अवशिष्ट कीटनाशकों से फोकल स्क्रू, सामूहिक रक्त सर्वेक्षण, प्राथमिक उपचार, महामारी विज्ञान जांच, तथा अन्य चिकित्सीय उपचार संक्रमण समाप्त करने के लिए चलाए जाते हैं।

जहां तक उड़ीसा राज्य का सम्बन्ध ह, यह कहा जा सकता है कि मलेरिया की घटनाएं प्राप्त सूचना के आधार पर अन्य रोगों की अपेक्षा 1953–54 में 14.4 प्रतिशत से घट कर 1964–65 में 1.1 प्रतिशत रह गई हैं।

राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कटक, भुवनेश्वर, पुरी, खुर्द और छतरपुर में 5 फाइलेरिया नियन्त्रण एकक स्थापित किये जा चुके हैं। 1955–56 में इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से अब तक उड़ीसा राज्य को 38.80 लाख रुपये की कीमत के यन्त्र तथा सामग्री प्रदान की जा चुकी है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान दिल्ली के अन्तर्गत फाइलेरिया प्रशिक्षण केन्द्र राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश) और कालीकट (केरल) में उड़ीसा राज्य के 11 चिकित्सा अधिकारी, 28 फाइलेरिया निरीक्षक फाइलेरिया विज्ञान में प्रशिक्षित किये जा चुके हैं।

MISSING PATIENT OF IRWIN HOSPITAL

2283. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a patient was noticed missing from Irwin Hospital, New Delhi on the night of the 25th February, 1965 ;

(b) whether it is also a fact that the matter was not reported to the police till the evening of the next day ; and

(c) if so, the steps Government propose to take in the matter ?

Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) and (b). Yes.

(c) Instructions have been issued that all patients admitted to the Hospital should wear hospital clothes so that they could be spotted easily. They should not be allowed to leave the ward withut prior permission of the Sister Incharge. Instructions have also been issued that whenever there is a change of duty they should be proper handing over so that anyone disappearing from the ward might be quickly noticed.

कुट्टियाडी परियोजना

2284. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) केरल राज्य में कुट्टियाडी परियोजना पर काम फिर आरम्भ किस तारीख को हुआ ;

(ख) क्या अब काम बन्द कर दिया गया है ;

(ग) यह कब पूरा होगा; और

(घ) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य 1962 में शुरू हुआ था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चतुर्थ योजना के अन्त तक ।

(घ) उपलब्ध धन का अधिक भाग उन परियोजनाओं की पूर्ति पर लगाया जा रहा है जो कि निर्माण की प्रोढ़ावस्था में हैं ताकि उनसे शीघ्रातिशीघ्र लाभ प्राप्त हो सके ।

कुवैत वाणिज्य मण्डल के सभापति

2285. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे क्या परिस्थितियां थीं जिनके कारण कुवैत वाणिज्य मण्डल के सभापति, श्री ए० आई० एलघेनीम को 1 मार्च, 1965 को बम्बई में सान्ता क्रुज़ हवाई अड्डे पर उतरने के दो घण्टे के भीतर ही अपने देश वापस जाने के लिए बाध्य होना पड़ा;

(ख) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने श्री एलघेनीम के सामान को फिर से देखने पर जोर दिया ;

(ग) क्या इस मामले की जांच का आदेश दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) इस बात की पूर्व सूचना मिलने पर कि 1-3-1965 को कुवैत से हीरों को छिपाकर लाने का प्रयत्न किया जायेगा प्रवर्तन निदेशालय तथा विदेशी विनिमय विनिमय अधिनियम के कर्मचारियों ने कुवैत वाणिज्य मण्डल के अध्यक्ष श्री ए० वाई एलघेनीम के सामान की पूरी तरह जांच करने का निर्णय किया । श्री एलघेनीम ने अपने सामान की इस प्रकार पूरी पूरी जांच किये जाने पर, जिसमें कोई अवैध चीज नहीं मिली थी, रोष प्रकट किया । उनको हुई असुविधा के लिए उनसे क्षमा याचना किये जाने के बावजूद भी उन्होंने अगली जावक उड़ान द्वारा वापस कुवैत जाने का निर्णय किया । 4-3-1965 को भारत सरकार ने कुवैत में अपने दूतावास को इस घटना पर खेद प्रकट करते हुए एक तार भेजा जिसे श्री एलघेनीम और कुवैत के विदेशी कार्यालय तक पहुंचाना था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). मामले की अनौपचारिक तौर पर पूछताछ की गयी थी सरकार सन्तुष्ट है कि वास्तव में यह एक गलती थी सम्बन्धित अधिकारियों को भविष्य में अधिक सावधान रहने के लिए कह दिया गया है ।

बम्बई में सोने का तस्कर व्यापार

2286. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क स्वर्ण विभाग, बम्बई कलेक्टोरेट के अधिकारियों ने 3 मार्च, 1965 को विदेशी छाप लगा हुआ 225 तोले सोना पकड़ा ;

(ख) यदि हां, तो इसका कुल मूल्य क्या था ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 14,050 रु०

(ग) जांच पड़ताल पूरी होने पर विभाग द्वारा मामले का न्याय निर्णय होगा और उसके बाद विधि न्यायालय में मुकदमा दायर करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

बंगलौर में सोने का पकड़ा जाना

2287. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 मार्च, 1965 को बंगलौर स्टेशन पर गुंटकल-बंगलौर पैसेंजर गाड़ी से जब दो यात्री उतरे तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कर्मचारियों ने उन के पास 660 तोले निषिद्ध सोना पकड़ा ;

(ख) यदि हां, तो कथित निषिद्ध सोने का कुल मूल्य क्या है ; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 6 मार्च 1965 को गुंटकल पैसेंजर गाड़ी से बंगलौर के निकट यशवन्तपुर रेलवे स्टेशन पर जब दो यात्री उतरे तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पदाधिकारियों ने उनसे विदेशी मार्का का 660 तोला सोना पकड़ा ।

(ख) लगभग 41250 रुपये ।

(ग) उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था । विभागीय कार्यवाही के बाद विधि न्यायालय में मुकदमा चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

बम्बई में निषिद्ध माल का पकड़ा जाना

2288. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 7 मार्च, 1965 को मूलन्द उत्तर बम्बई में एक कार से 6.50 लाख रुपये के मूल्य का निषिद्ध सोना, हाथ की घड़ियां, एक चैक निर्मित पिस्तौल तथा अनेक कारतूस पकड़े; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) 7 मार्च, 1965 को बम्बई पुलिस ने मुलन्द के निकट ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक फिएट कार को रोका और विदेशी मार्का सोने की दस-दस तोला वजनी 290 सिल्लियां, 1,000 घड़ियां, एक ट्रांजिस्टर और एक पिस्तौल पकड़ी, पकड़ी गई वस्तुओं का कुल मूल्य लगभग 2,91,950 रु० आता ह ।

(ख) मामले की जांच पड़ताल हो रही है ।

दन्त्य परिषद् को अमरीकी सहायता

2289. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका पी० एल० 480 अनुदान के अन्तर्गत भारतीय दन्त्य परिषद् को दन्त्य अनुसंधान के लिये सहायता देने का विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हा, तो कब तथा कुल कितनी सहायता देगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). दन्त्य अनुसंधान के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारतीय दन्त्य परिषद् को कोई सहायक अनुदान नहीं दिया गया है और न ही दिये जाने का विचार है । तथापि मद्रास के मद्रास मेडिकल कालेज के दन्त्य विभाग को ओरल केलकुलस के जमा होने के कारणों का अध्ययन करने सम्बन्धी अनुसंधान परियोजना के लिये 4,01,290 रुपये का अनुदान मंजूर किया गया था । दन्त्य अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं में कार्यान्विति के लिये कुछ अन्य परियोजनाओं पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

चोरी छिपे लाई गई कलाई घड़ियां

2290. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने बम्बई में 5 मार्च, 1965 को गोआ से आने वाले एक विमान यात्री के पास 2 लाख रुपये के मूल्य की कलाई-घड़ियां पकड़ीं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 4 मार्च, 1965 को गोवा से हवाई जहाज द्वारा एक यात्री के बम्बई पहुंचने पर उससे 1755 घड़ियां पकड़ी गयी थीं । पकड़ी गयी घड़ियों का मूल्य लगभग 60,500 रुपये है ।

(ख) मामले की जांच पड़ताल चल रही है ।

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

2291. **श्री हुकम चन्द्र कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 7 मार्च, 1965 को बम्बई शहर में मारे गये तीन छापों में 3 00 तोले सोना और 1,21,000 रुपये के मूल्य के नोट पकड़े ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). 7 मार्च, 1965 को कोई ऐसा अभिग्रहण नहीं किया गया था। लेकिन 6 मार्च, 1965 को बम्बई में कुछ स्थानों की तलाशी करने पर सीमा शुल्क पदाधिकारियों ने 100 तोला सोना और 1,19,143 रुपये की भारतीय मुद्रा पकड़ी। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

नरेना में प्लाटों का दिया जाना

2292. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेलनगर, दिल्ली के मोती पहाड़ी के झुग्गी निवासियों को दिल्ली में नरेना गांव में दिये गये प्लाटों पर बसाने के मामले में हाल ही में एक बहुत बड़े भूमि सम्बन्धी गोलमाल का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गोल माल की जांच कराने का आदेश दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना): (क) जी नहीं। संभवतः नरायना गांव के पास की बस्ती में कुछ अपात्र परिवारों को अलाट किये गये प्लाटों से तात्पर्य है। क्योंकि स्थान से लोगों को खंड के रूप में हटाया जाता है इसलिये हटाने की कार्रवाई के समय पात्र और अपात्र को अलग करना संभव नहीं। झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में उन्हें ले जाने के बाद ही यह किया जाता है।

(ख) और (ग). सवाल ही नहीं उठता ।

भूतपूर्व वाइसरायों तथा ब्रिटिश जनरलों की मूर्तियां

2293. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री रवींद्र वर्मा :
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वाइसरायों तथा ब्रिटिश जनरलों की मूर्तियों को हटाने के बारे में जो हटा दी गई हैं ब्रिटिश सरकार की राय मांगी गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यदि कोई उत्तर प्राप्त हुआ है तो क्या ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द्र खन्ना) । (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

Agricultural Production

2294. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Planning** be pleased to State :

(a) the amounts allocated in the First and Second Five Year Plans for agricultural and non-agricultural production, respectively ;

(b) the amount allocated in the Third Five Year Plan for the same ; and

(c) the amount actually spent for agricultural and non-agricultural production respectively upto March, 1965?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). A statement giving the information is being prepared and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is ready.

जीवन बीमा निगम के क्षेत्राधिकारी

2295. **श्री भानु प्रकाश सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के नियमों के अनुसार क्षेत्राधिकारियों को राजनीति में भाग लेने तथा राजनैतिक दलों के लिये प्रचार करने की मनाही है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जो राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारीवर्ग) विनियमन, 1960 के नियम 25 की धारा (1) में व्यवस्था है कि किसी राजनैतिक दल या ऐसा संगठन,जो राजनीति में भाग लेता हो, का कोई भी कर्मचारी सदस्य या किसी अन्य प्रकार से उस से सम्बन्धित नहीं रह सकता, और न ही वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या एसी गतिविधि में भाग लेगा, न उसकी सहायता के लिए चन्दा या किसी दूसरी प्रकार से सहयोग देगा। निगम, जोकि एक आत्मप्रशासित निकाय है, ऐसी राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करता आ रहा है। विधान के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं।

फिर भी, हाल ही में, बम्बई उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 के आधार पर नियम 25 की धारा (1) को इस दिशा में असमर्थ घोषित कर दिया है। निगम ने उच्च न्यायालय के डिविजन बेंच में अभ्यार्थना प्रस्तुत कर दी है जो कि विचाराधीन है।

भूमि अर्जन

2296. **श्री गुलशन** :
श्री प० ह० भील :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झुग्गी झोंपड़ी योजना के अन्तर्गत राजधानी में भूमि अर्जित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो किसानों को कितना मूल्य दिया गया है ; और

(ग) क्या व्यक्तियों को भूमि इसी मूल्य पर दी जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) झुग्गी और झोंपड़ी हटाने की योजना को लागू करने के लिए आवश्यक भूमि, दिल्ली प्रशासन के द्वारा, दिल्ली में भूमि के विकास और निपटाने के लिए बड़े पैमाने पर भूमि के अर्जन की योजना के अन्तर्गत अर्जित की जाती है।

(ख) अर्जित भूमि के लिए लैन्ड एक्विजीशन एक्ट, 1894, के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।

(ग) झग्गी-झोंपड़ी हटाने की योजना के अन्तर्गत विकसित प्लाटों को केवल किराये के आधार पर आवंटित किया जाता है, बिक्री के आधार पर नहीं।

Alkaloid Factory at Neemuch

2297. **Shri Sarjoo Pandey :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a new factory for the manufacture of alkaloids is being set up at Neemuch; and

(b) if so, the expenditure involved therein and its proposed production capacity ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). It has been decided to set up a new alkaloid factory at Neemuch at a cost of about Rupees fifty three lakhs and with an annual production capacity of about 5,000 kilograms of alkaloids in one shift.

Construction of Type IV Quarters

2298. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Buta Singh :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Kishen Pattnayak :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the number of Type IV quarters for general pool being constructed at present in Delhi and New Delhi areas ; and

(b) When their allotment is likely to be made ?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) :

(a) 852 type IV quarters have been sanctioned for construction. Work on 252 of them is in progress.

(b) 152 quarters by July 1965, 40 by the end of the year and 60 by the end of January, 1966.

Eastern Districts of U. P.

2299. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the total amount allocated for the development of Gazipur, Azamgarh, Deoria and Jaunpur districts of Uttar Pradesh as per recommendations made by the Patel Commission from January, 1963 to 31st March, 1964 ;

(b) whether it is a fact that the amount of Central grants given to these districts was not fully utilized during the same period ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) to (c). Information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the House.

Hindi Programme Implementation Committee

2300. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Hindi Programme Implementation Committees have been formed in his Ministry and in all its attached and subordinate offices in accordance with the orders of the Ministry of Home Affairs ;

(b) if so, the number of meetings of such committees held so far wherever they have been formed, as also the details of their activities ; and

(c) the reasons for which such Committees have not been set up in some offices ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Hindi Programme Implementation Committees have been formed in the Department of Revenue and in the Defence Accounts Department. Information relating to the Attached and Subordinate Offices is being collected and will be laid on the table of the House as early as possible.

(b) Detailed information is not readily available. The Committees have only recently been set up.

(c) Implementation Committees are being formed at present only in those Departments/Offices where such formal machinery is considered necessary in accordance with the nature and volume of work involved to ensure the objective of implementation of Government orders relating to Hindi. In the Economic Affairs and Company affairs and Insurance Departments the matter is being processed. Meanwhile other efficient arrangements under the supervision of senior officers exist for securing the objectives.

चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

2301. **श्री द० ब० राजू** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63 तथा 1963-64 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत न आने वाले स्थानों पर काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कार्यालय कर्मचारी-वर्ग श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 को चिकित्सा व्यय के रूप में कितनी राशि की प्रतिपूर्ति की गयी ;

(ख) श्रेणी 3 तथा श्रेणी 4 के कर्मचारियों को दिये गये मूल वेतन की तुलना में यह राशि श्रेणीवार कितने प्रतिशत बैठती है ; और

(ग) यह व्यय दिल्ली में लागू केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत किये गये व्यय की तुलना में कैसा है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) से (ग). सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्र करने के प्रयास किये जायेंगे और तब सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्था

2302. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री 21 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 274 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामनगर स्थित आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान को स्नातकोत्तर और वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान कार्य के विकास के लिये सुविधा जुटाने की दृष्टि से पुनर्गठित किया गया है या करने का विचार है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए नियक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क)से (ग). आयुर्वेदिक अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान्, जामनगर के शास्य निकाय ने इस संस्थान् के पुनर्गठन का ब्यौरा तैयार करने के लिये जो समिति नियुक्त की थी उसने शास्य निकाय को अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

केरल के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग

2303. **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी प्रश्नों की जांच करने के लिये केरल में नियुक्त किये गये वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है ; और

(ख) आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की आशा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) आयोग अपनी नियुक्ति की तारीख, अर्थात् 27 फरवरी, 1965 से दो महीने के अन्दर वेतन ढांच तथा महंगाई भत्ते में परिवर्तनों के बारे में अपनी सिफारिशें तथा छः महीने के अन्दर अपना अन्तिम प्रतिवेदन दे देगा ।

Najafgarh Drain

2304. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arrangements are being made to drain out the water in Najafgarh Drain at Chhawala ;

(b) if so, when the work is likely to be completed ; and

(c) when the bridge over this nullah at Rohtak Road is likely to be completed ?

The Minister of Irrigaton and Power (Dr. K.L. Rao) : (a) There is already a bridge at Chhawala to pass the waters of the Najafgarh Jheel. It is proposed to construct a new bridge at this place to pass a discharge of 3,000 cusecs.

(b) It is proposed to construct the substructure work during the current working season and the superstructure in the next working season.

(c) The bridge across the Najafgarh Drain at Rohtak Road is likely to be completed by the end of September, 1965.

लोअर सिलेरू जल विद्युत् परियोजना

2305. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० न० स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने लोअर सिलेरू जल विद्युत् परियोजना के लिए विदेशी मुद्रा मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी विदेशी मुद्रा मांगी गई है ;

(ग) क्या वह मंजूर की गई है ;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) राज्य सरकार ने परियोजना के लिये निर्माण मशीनरी, उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर को रूस से प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की है ।

(ख) निर्माण मशीनरी के लिये 1·15 करोड़ रुपये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ड) भारत सरकार इस पर विचार कर रही है ।

बिहार में चेचक

2306. श्री श्रीनारायण दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ह० चं० सोय :
श्री बेसरा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री कपूर सिंह :

क्या मंत्री स्वास्थ्य यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के बहुत बड़े भाग में और विशेषकर गुआ तथा चिरिया लोह की लोह अयस्क की खानों में चेचक फैला हुआ है जिसके परिणामस्वरूप काफी संख्या में लोग मर रहे हैं तथा राज्य सरकार रोग को रोकने में सफल नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने महामारी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी नहीं । चेचक की घटनाओं की सूचना मुख्यतया राज्य के 17 जिलों में से उन 5 जिलों अर्थात् भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, मुंगेर और संथाल परगना के कुछ भागों से ही प्राप्त हुई है जिनमें अभी चेचक उन्मूलन कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। राज्य के किसी भी भाग में चेचक के महामारी के रूप में फैलने की सूचना नहीं मिली है। बताया गया है कि इन उपर्युक्त जिलों में इस रोग पर काबू पा लिया गया है।

लोहे की खानों से जिन घटनाओं की सूचना मिली थी उनकी जांच की जा चुकी है और वे चेचक की बजाय खसरे की घटनायें पाई गईं ।

(ख) राज्य सरकार ने जमाई हुई सुखी वैक्सीन की मांग की थी और केन्द्र ने उसकी यह मांग पूरी कर ली है ।

(ग) जमाई हुई सुखी वैक्सीन निःशुल्क दी जा रही है । राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम केन्द्रीय सहायता से चलाया जा रहा है । केन्द्रीय सहायता अनावर्ती खर्च का 100 प्रतिशत तथा आवर्ती खर्च का 75 प्रतिशत तक दी जाती है ।

रतिज रोग

2307. **श्री राम हरख यादव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को देश में रतिज रोगों की चिकित्सा के सम्बन्ध में भारत में नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्था से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या नवयुवक इन रोगों के सब से अधिक शिकार हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन रोगों का नाश करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां ।

(ख) देश के विभिन्न क्लीनिकों से प्राप्त सूचना से पता चला है कि रति रोग 25 से 35 वर्ष की आयु वाले वर्ग में ही सर्वाधिक व्याप्त है ।

(ग) रति रोग नियंत्रण कार्यक्रम दूसरी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था और उस अवधि में लगभग 1 0 क्लीनिक स्थापित किये गये थे । पंजाब की कुल्लू घाटी में सामूहिक कार्यक्रम भी चलाया गया था जिसमें लगभग 7 8,000 व्यक्तियों का उपचार किया गया । यह स्कीम तीसरी योजना में भी सम्मिलित कर दी गई है तथा 18 और क्लीनिक स्थापित किये जा चुके हैं । चौथी योजना में इस कार्यक्रम को और अधिक प्राथमिकता देने का विचार है । देश में रतिरोग नियंत्रण की समस्या पर परामर्श के लिए भारत सरकार ने एक केन्द्रीय रतिरोग सलाहकार समिति बनाई है । भारत के नैतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ के एक प्रतिनिधि को इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये आमतौर से निमंत्रित किया जाता है ।

एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ्यक्रम

2308. **श्री कपूर सिंह** : क्या स्वस्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने बी० आई० एम० एस० स्नातकों के लिये एम० बी० बी० एस० का संक्षिप्त पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम के कब तक आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशील नायर): (क) जी नहीं । भारतीय चिकित्सा परिषद् ने 3 अप्रैल, 1965 को हुई अपनी बैठक में ऐसे विनियम बनाये हैं जिनके अनुसार बी० आई० एम० एस० आदि जैसी मिश्रित चिकित्सा की मान्यता प्राप्त डिग्री / डिप्लोमा वाले व्यक्ति कण्डेन्स्ड लायसेन्सियेट कोर्स कर सकें । भारतीय चिकित्सा परिषद् राज्य सरकारों से सूचना एकत्र कर रहा है ताकि वह प्रत्येक ग्रुप के लिये कण्डेन्स्ड लाइसेन्स्यिेट कोर्स के प्रशिक्षण की अवधि क्या हो इस पर विचार कर सके ।

(ख) मद्रास सरकार पहले ही ऐसा कोर्स चला रही है सम्भवतया कुछ और राज्य भी चौथी योजना में ऐसे कोर्स चलायें ।

दिल्ली में प्लाटों की बिक्री

2309. **श्री कपूर सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने 1 जनवरी, 1965 से 31 मार्च, 1965 तक रिहायश के लिये कितने विकसित तथा अन्य प्लाट नीलामी और लाटरी द्वारा जनता को बेचे हैं ;

(ख) चालू वर्ष में जनता को कितने ऐसे प्लाटों के बेचे जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन दिल्ली विकास प्राधिकार से प्लाट खरीदने वाले व्यक्तियों को सीमेंट के आवंटन में कोई प्राथमिकता देता है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 170 ।

(ख) लगभग 2,000 ।

(ग) जी नहीं । सिविल सप्लाई निदेशालय में प्राप्त आवेदन-पत्र जिस क्रम से पंजीकृत होते हैं उसी क्रम से मकान बनाने वालों को सीमेंट आवंटित किया जाता है । उन्होंने अपने अपने प्लाट कहां से खरीदे हैं इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

परिवार नियोजन

2310. **श्री लखमू भवानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को परिवार नियोजन के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख). जी हां । मध्य प्रदेश सरकार ने दिसम्बर 1963 में एक परिवार नियोजन योजना भेजी थी । यह योजना क्योंकि निर्धारित स्वरूप के अनुसार थी, इसलिये भारत सरकार ने इसे स्वीकृत कर लिया । राज्य सरकार को तदानुसार सूचित कर दिया गया ।

(ग) इस योजना में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :—

1. 50 ग्राम परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना;
2. 36 जिला परिवार नियोजन अधिकारियों की नियुक्ति;
3. 260 ग्राम केन्द्रों के लिये अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति;
4. जिला स्तर पर इनवेस्टीगेटर तथा कम्प्यूटर की नियुक्ति एवं मुख्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कम्प्यूटरों की नियुक्ति ।
5. 50 नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों की स्थापना ।

पट्टाधारियों से बकाया किराया

2311. **श्री हेम राज** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई वर्षों से प्लाट (पट्टा) धारियों पर भूमि के किराये की बहुत बड़ी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो इस मद के अन्तर्गत कुल कितनी राशि बकाया है और कितने पट्टाधारियों से किराया लिया जाना शेष है;

(ग) ऐसे पट्टाधारियों की संख्या क्या है जिन पर पांच वर्ष से अधिक से भूमि किराया शेष है और जिन के प्लाट अभी भी खाली हैं; और

(घ) भूमि किराये का भुगतान न किये जाने के लिये पुनः प्रवेश अथवा प्लाट तथा प्रीमियम राशि को ज़ब्त करने के अधिकार के प्रयोग के बारे में सरकार ने कितने मामलों में कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):(क) से (घ). पट्टाधारियों की संख्या कई हजारों में है । सूचना को इकट्ठा करने में जो समय और परिश्रम लगेगा उसके अनुरूप फल प्राप्त होने की आशा नहीं है । यदि किसी विशेष प्लाट के विषय में सूचना चाहिए तो उसे इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

मकान किराया भत्ता

2312. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को जिन्हें सरकारी क्वार्टर अलाट नहीं किये गये हैं मकान किराया भत्ता केवल मूल वेतन के हिसाब से ही दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों से जिन्हें सरकारी क्वार्टर अलाट किये जा चुके हैं । किराया मूल वेतन तथा पूर्ति भत्ते के हिसाब से लिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो मकान किराया भत्ता देने तथा सरकारी आवास स्थान का किराया लेने के लिये दो भिन्न आधार अपनाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है जिसने कि इस प्रश्न का अध्ययन किया था ।

दिल्ली में सड़कों को एक दूसर से मिलाना

2313. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में सार्वजनिक सड़कों को जो दिल्ली परिवहन द्वारा पहले से ही इस्तेमाल की जा रही हैं इन्द्रपुरी से मिलाने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्षेत्र को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से होकर के सीधे सड़क से मिलाने में जैसा कि इन्द्रपुरी के बसने से पहले था और प्रयोग में भी लाया जाता था क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार को इस विषय पर न तो ऐसा कोई आवेदन ही मिला है और ना ही कोई सूचना ।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में

RE: CALLING ATTENTION NOTICES

कच्छ सीमा स्थिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और कई अन्य माननीय सदस्यों द्वारा ध्यान दिलाने की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान कच्छ सीमा के सम्बन्ध में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिये भारत की पेशकश और पाकिस्तान द्वारा कंजरकोट से अपनी सेनायें हटाने से इन्कार कर देने के मामले की ओर दिलाया है । इसको हम आज सायं 5·30 बजे लेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री अभी इस बारे में वक्तव्य क्यों नहीं देना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब मुझे सूचना प्राप्त होती है तो मुझे उसका उल्लेख करना पड़ता है ।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैंने भी याद दिलाने की सूचना दी है जिसमें गृह-मंत्री को कच्छ की रन में पाकिस्तानी आक्रमण के बारे में नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेम बरुआ का भी नाम है ।

श्री हेम बरुआ : मैं जानना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देने के बारे में फैसला करना सरकार का काम है ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैंने भी सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां; आपने भी सूचना दी होगी ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय चिकित्सा परिषद (लाइसेंस धारियों का निर्वाचन) नियम, 1956

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 5 फरवरी, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 216 में प्रकाशित भारतीय चिकित्सा परिषद् (लाइसेंस धारियों का निर्वाचन) नियम, 1956 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 4192/65]** ।

भारतीय विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 7 नवम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1591 में प्रकाशित भारतीय विद्युत् (संशोधन) नियम, 1964।

(दो) दिनांक 21 नवम्बर, 1964 की जी० एस० आर० 1642

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिए संख्या एल० टी० 4193/65]

सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक 30 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 535

(दो) दिनांक 30 मार्च, 1965 की जी० एस० आर० 536

[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 4194/65]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

पचहत्तरवां तथा उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुहा (बारसाट) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के बारे में निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के बारे में पचहत्तरवां प्रतिवेदन; तथा

(दो) केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था, शिमला के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : आपकी अनुमति से, मैं संसदीय-कार्य मंत्री की ओर से यह बताना चाहता हूं कि 19 अप्रैल, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्य-क्रम की किसी अविशिष्ट मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित मंत्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान :—

उद्योग तथा संभरण ।

शिक्षा ।

गृह-कार्य ।

खाद्य तथा कृषि ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : संसदीय-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि अनुदानों की मांगों के समाप्त होने के पश्चात् उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल के बीच झगड़े के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये मत पर विचार अथवा चर्चा की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अभी कुछ सप्ताह सत्र और चलेगा अतः वह इसका उल्लेख उस समय कर सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, आप जानते हैं कि सत्र के अन्तिम दिनों में किसी विषय पर चर्चा नहीं की जाती है ।

अध्यक्ष महोदय : बीच में हम ऐसी किसी चीज़ पर चर्चा नहीं कर सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या हमें आश्वासन दिया जायेगा कि इस सत्र में इस पर चर्चा की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री दाजी ।

श्री दाजी (इन्दौर) : हमें यह आश्वासन दिया गया था कि बोनस विधेयक सभा के इसी सत्र में पारित किया जायेगा । परन्तु कल रोज़गार मंत्री ने बताया कि विधेयक तो तैयार है, परन्तु यदि समय होगा तो उसे पुरःस्थापित किया जायेगा । श्रमिकों की इस बारे में सम्मिलित मांग की दृष्टि से, क्या सरकार इस विधेयक को जल्दी पुरःस्थापित करने का प्रयत्न करेगी ताकि उसको इसी सत्र में ही पारित किया जा सके ?

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्रीमन्, आपने मंत्रियों को कहा था कि वे अपने अपने मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा होने से पर्याप्त समय पूर्व सदस्यों को मंत्रालयों की रिपोर्टें उपलब्ध करायेंगे । हालांकि गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगामी सप्ताह चर्चा होने वाली है, परन्तु जहां तक मुझे जानकारी है, प्रशासनिक सुधारों पर एक छोटी सी पुस्तिका के अतिरिक्त उस मंत्रालय की रिपोर्ट सदस्यों को उपलब्ध नहीं की गई । आप उन्हें निदेश दें कि रिपोर्ट कल सभी सदस्यों को मिल जानी चाहिये । दूसरी बात यह है कि दो सप्ताह पूर्व मैंने संसदीय-कार्य मंत्री से कहा था कि सभा को सत्र की अवधि के बारे में बताया जाये परन्तु अभी तक कोई प्राधिकृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में यह सूचना प्राप्त हुई है कि सरकार का विचार है कि सत्र 11 मई तक चलना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि ऐसा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कई अफवाहें फैली हुई हैं कि 11 मई को सत्र का अन्तिम दिन क्यों रखा गया है। एक

तो यह है कि प्रधान मंत्री सोवियत संघ की यात्रा करने जा रहे हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि उनको इस मिशन में सफलता प्राप्त हो, तथापि इससे यह प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये कि सभा के कार्य का कार्यपालिका तथा प्रधान मंत्री की सुविधा के अनुकूल समायोजन किया जा हा है। मुझे याद है, जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री बाहर जाते थे तो संसदीय कार्य निरंतर चलता रहता था। परन्तु अब कई विधेयकों को आगामी सत्र के लिये लम्बित रखा जा रहा है। वित्त विधेयक के पारित होने के पश्चात् केवल दो दिन मिलेंगे। हम दो दिनों मे क्या कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह देखा जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत : तीसरी बात यह है कि समाचारपत्रों में छपे समाचारों के अनुसार सरकार गणपूर्ति के लिये सदस्यों की संख्या घटा कर 25 कर देने के बारे में विचार कर रही है। यद्यपि मैं महसूस करता हूं कि सरकार अपनी बहुसंख्या के बल बूते पर इसको घटा कर पांच भी कर सकती है, तथापि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि उन्होंने इस घातिक, निन्दनीय, प्रतिक्रियावादी . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री हरि विष्णु कामत : जो कुछ मैंने कहा है उसमें कुछ असंसदीय तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं कहता कि यह असंसदीय है। परन्तु जो कुछ आप कहते हैं वह उस विषय से संगत होना चाहिये जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस समय केवल सभा के कार्य के बारे में कुछ कहा जा सकता है। यह समय सरकार की अन्य बातों पर आलोचना करने का नहीं है।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं तो आपके ध्यान में केवल यह लाना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दो थवा तीन सप्ताह पूर्व दिलाया गया था परन्तु सरकार ने इस बारे में कोई प्राधिकारपूर्ण वक्तव्य नहीं दिया और इस के फलस्वरूप अफवायें फैल रही हैं। इनको बन्द करने के लिये यदि वे कुछ निश्चित बात नहीं कहते हैं और यदि वे गण-पूर्ति को घटाकर 25 अथवा 5 करेंगे तो वे इस देश में संसदीय प्रजातंत्र को समाप्त करने के लिये पहला वार होगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : श्री कामत के प्रश्न के बारे में दिये गये उत्तर से पता चला है कि वित्त विधेयक पारित होने के पश्चात् इस सत्र में केवल दो दिन ही शेष बचेंगे। परन्तु सरकार के अनुसार कई विधेयकों पर इस सभा द्वारा विचार करना अभी बाकी है। इस सम्बन्ध में मैं सभा को चेतावनी देता हूं कि यदि वे भाषा सम्बन्धी विधेयक को इस सत्र में पारित नहीं करेंगे तो वे बहुत गम्भीर जोखिम उठा रहे होंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) . How can it be relevant ? Last time this hon. Member raised an objection regarding this very matter and you agreed with him.

Mr. Speaker : This can be asked whether such a bill is being brought.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : श्रीमन्, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सभा के कार्य के बारे में घोषणा कम से कम 15 दिन पूर्व की जानी चाहिये,

ताकि जिन सदस्यों को बीच में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना होता है और जिनको उसी समय किसी महत्वपूर्ण कार्य में भी भाग लेना होता है तो वे अपना कार्यक्रम उसी प्रकार समय पर बना सकें, क्योंकि आजकल बुकिंग कराने तथा तत्पश्चात् उसे रद्द कराने में बहुत कठिनाई होती है।

दूसरी बात यह है कि केरल में राष्ट्रपति का शासन लागू हुए 15 दिन बीत गये हैं परन्तु इस बारे में सभा में कोई चर्चा नहीं की गई। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वित्त सम्बन्धी कार्य समाप्त नहीं हो जाता तब तक इस पर चर्चा करना हमारे लिये सम्भव नहीं होगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) **:** Are the Government going to have a discussion on Article 113 of the Constitution? It has been clearly laid down in this Article that each and every demand can be discussed in this House. Now the question arises as to whether 15 or 17 years old convention of this House or any leaders of the parties unitedly can abrogate this Article. My submission in this connection is this that so long as all the 510 Members of this House do not agree to abolish this Article, it remains and I am the 510th Member who wants a discussion particularly on Demand, relating to Lok Sabha Secretariat in accordance with the Article 113.

Mr. Speaker : I have already given a reply to this question which had been raised earlier also. It would not serve any purpose if the hon. Member will go on raising this question again and again and I will go on repeating my reply. It would, however, create the impression in the country that I wanted to prevent this discussion because I want to conceal something which I am doing. As I have stated earlier, if the House decides that there should be a discussion on it, then I would not have any objection to have such a discussion. The convention had been built as the Members had thought it necessary to keep up the efficiency and integrity of this Secretariat. It has been going on since the inception of this House and the Demand of Lok Sabha has never been discussed in the past. If this tradition is now broken, employees would be encouraged to approach Members for appointments, promotions and the like. This is my difficulty.

A Committee had already been appointed for this purpose and I am ready to have a Member from opposition to serve on this Committee. If this question would be raised again and again, the employees who are serving this House would not be able to carry on their work efficiently. All the accounts of this Secretariat are audited by the Auditor-General and his report can be inspected by any Member. Besides whatever additional information they want it can be supplied. In spite of all this if the House decides to have a discussion, they may discuss it. I have no objection. But this much I cannot do that a Minister gives replies on my behalf and for which I might have to satisfy him. The result would be that I have to give replies myself sitting in this chair to all these questions which would be raised here.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : पिछली बार जब उन्होंने यह प्रश्न उठाया था तो आपकी मुख्य आपत्ति यह थी कि यदि हम इस सचिवालय के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे तो इसके

लिये हमें एक मंत्री का अनुसेवी होना पड़ेगा। मेरे विचार में आपका यह तर्क बहुत महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली भी। परन्तु यह तर्क जो आपने अब दिया है कि इससे विभिन्न कर्मचारियों को सदस्यों से मिलने की आदत .

Mr. Speaker : It is in addition to that.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जो तर्क अब आपने दिया है कि इस सचिवालय के कर्मचारी सदस्यों के पास जायेंगे और इस प्रकार उनकी कार्यकुशलता में कमी आ जायेगी, इसमें न हमारा सम्मान है और न ही कर्मचारियों का सम्मान है। मैं यह भी सुझाव दूंगी कि कर्मचारियों द्वारा व्यक्त की गई विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक प्रकार की समझौता वार्ता सम्बन्धी व्यवस्था होनी चाहिये। मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव से सभा के सभी वर्ग सहमत होंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I have nothing to do with this matter whether your Department is spending money on official purposes or on private purposes, I want to raise a detailed discussion as to how the work of Lok Sabha should be carried on. After all no-confidence motion against you is also discussed in this House. Besides this. . . .

Mr. Speaker : There is a specific provision for that. This is the bottleneck in the way of having a discussion on this matter, because the Speaker can only be criticised when those is a no-confidence motion in the House against him. If there would be a discussion on the Demands of Lok Sabha, then the hon. Members would indirectly be criticising him. But if a no-confidence motion is brought up, it is obvious that neither I nor anybody else can prevent the discussion.

Dr. Ram Manohar Lohia : In this connection, I would draw your attention to Article 113 of the Constitution in which it has been clearly laid down that what to speak of other demands there can be discussion even on the expenditure charged on the Consolidated Fund of India. When there is a provision for that then how can you prevent it.

Mr. Speaker : I have already stated whatever I wanted to say.

Dr. Ram Manohar Lohia : Then Sir, I have no alternative but to go to the court of law. This is my second notice. (*Interruptions*).

Mr. Speaker : Order, order. As far as taking recourse to a court of law is concerned, he has every right to go to the court of law and he can do as he thinks fit.

Shri K.N. Tiwary (Bagaha) **:** On a point of order, Sir, I would like to know whether any matter on which you have already given your decision, can be raised again and again and whether the Speaker would allow it.

Mr. Speaker : That cannot be raised. But my difficulty is this that if I do not allow it this will create an impression that I want to conceal something and that is why I want to prevent this matter to be raised here again and again.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैंने इस मामले को पिछले वर्ष मार्च में उठाया था तो आपने एक समिति की नियुक्ति की थी और सभा को बताया था कि उसने लोक-सभा की अनुदानों तथा प्राक्कलनों की छानबीन कर ली है। अब मेरा निवेदन केवल यह है कि यदि कोई सदस्य समिति की रिपोर्ट को देखना चाहे तो उसे ऐसा करने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ; अवश्य।

श्री हरि विष्णु कामत : पिछले वर्ष मैंने यह भी निवेदन किया था कि इस समिति को राज्य-सभा के प्राक्कलनों अथवा मांगों की भी छानबीन करनी चाहिये। दोनों सभाओं सम्बन्धी मांगों की छानबीन की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : दोनों सभायें सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : दोनों सभायें सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न नहीं हैं। उस सभा ने कोई समिति नहीं बनाई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उस सभा का कोई सदस्य इस मामले को वहां उठा सकता है। उनको इस पर विचार स्वयं करने दीजिये, हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : संवैधानिक उपबन्ध के अन्तर्गत लोक-सभा को सभी मांगों की छानबीन करने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु राज्य सभा को ऐसा अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : समंजस्यपूर्ण कार्य करने के लिये ऐसे सुझाव नहीं दिये जाने चाहियें।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह सही है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 113 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, परन्तु लोक-सभा की पिछले 13 वर्षों की कार्यवाही को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सभी मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा नहीं की जाती है। यह तो इस सभा की आवश्यकता तथा समय की उपलब्धता पर निर्भर करता है। और फिर आपने एक समिति की भी नियुक्ति कर दी है। वह समिति लोक-सभा सम्बन्धी मांगों की छानबीन कर सकती है और इन परीक्षित लेखों की छानबीन कोई भी सदस्य कर सकता है। अतः इन मांगों को सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। जहां तक न्यायालय में जाने की बात है, जैसा आपने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी को न्यायालय में जाने से नहीं रोकता मेरे विचार में इस प्रकार की चुनौतियां देना युक्ति-युक्त नहीं है ऐसी चुनौतियां इस सभा में नहीं दी जानी चाहियें क्योंकि इससे सभा की शिष्टता तथा प्रतिष्ठा जाती रहती है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : श्रीमन्, श्री कामत द्वारा उठाया गया मामला महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। हमारे देश की संचित निधि से एक पाई भी खर्च करने के लिये इस सभा की मंजूरी लेनी पड़ती है। ऐसी मंजूरी देने से पूर्व चर्चा करना अथवा न करना एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय हम करते हैं। संसद सचिवालय के सम्बन्ध में कुछ प्रथा हैं। आपने इस बारे में एक समिति की नियुक्ति करके जो उनमें परिवर्तन किया है यह अच्छाई के लिये ही है। परन्तु खेद इस बात का है कि यह समिति केवल

लोक-सभा सम्बन्धी मामलों की ही छानबीन करेगी और राज्य-सभा के मामलों के बारे में इसको कोई सरोकार नहीं होगा क्योंकि वह एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न सभा है। सैद्धांतिक रूप से तो राज्य सभा के खर्चे की मंजूरी भी लोक-सभा ही देती है। जब लोक-सभा के खर्चे की छानबीन करने के लिये समिति की नियुक्ति की जा रही है तो उस समिति के क्षेत्राधिकार से राज्य-सभा के खर्चे को बाहर रखना संविधान के विरुद्ध है। इस समिति को राज्य-सभा के लेखों की छानबीन करने का पूर्ण अधिकार है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस मामले पर आपको विनिर्णय देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इस में मुझे कुछ सार प्रतीत होता है। अतः मैं इस पर विचार करूंगा।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : May I know whether the conventions of this House can abrogate the Constitutional provisions? Can any convention take away the right of any Member? If the Article of the Constitution stands in its way, should it be amended or not? So long it is there, how can you prevent discussion on it? I want your ruling on it.

Mr. Speaker : It is for the House to decide as to which demand should be discussed.

Shri Bagri (Hissar) : Can this House go against the law?

Mr. Speaker : It is the will of the House. If it decides that something should not be discussed, it is all in all. If out of 500 persons only one person wants to have a discussion on something, he has got no right to enforce that that must be discussed.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Can cut motions be moved?

Mr. Speaker : I have nothing to add to what I have already stated. When a thing is not being discussed, how cut motions on it would be discussed?

Shri Kishen Pattnayak : For voting.

Mr. Speaker : I had received a telephone call from the Minister of Parliamentary Affairs that he is not feeling well, he would, therefore, give reply on Monday to all those questions which have been raised here.

Shri Hari Vishnu Kamath : And you would also give your ruling.

अनुदानों की मांगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*contd.*

परिवहन मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा परिवहन मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर विचार तथा मतदान करेगी।

श्री स० चं० सामन्त अब अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक) : कल मैं राजस्थान के सीमान्त क्षेत्र में सड़कों के बारे में कह रहा था। सभी चौकियों को मिलाने वाली एक सड़क बनाई जानी चाहिये। बाड़मेर से भास्कर तक और बाड़मेर से गदरा तक और भस्कर से मनोबार तक सड़कों

का निर्माण तुरन्त किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में सीमान्त सड़क विकास संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। इस ओर का कार्य भी उन्हीं को सौंप दिया जाना चाहिये।

मैं राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 के बारे में, जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, यह कहना चाहता हूं कि कोलाघाट के स्थान पर रूपनारायण नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। सभा को इस बारे में यह जान कर आश्चर्य होगा कि उसी स्थान से रेलवे लाइन भी गुजरती है। परिवहन मंत्रालय ने जब यह निर्णय किया था कि वहां पर सड़क पुल बनाना चाहिये तो मैंने इसका विरोध करते हुए यह अनुरोध किया था कि वहां पर रेल-एवं-सड़क पुल बनना चाहिये, क्योंकि वहां पर रेलवे लाइन भी है। परन्तु इसके बावजूद भी वहां पर साथ साथ दो पुल बनाये जा रहे हैं। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों विभागों में समन्वय होना चाहिये और परिवहन मंत्रालय को अधिक सावधान होना चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि कोलाघाट से हल्दिया तक की सड़क को शीघ्र बनाया जाये। इसका सर्वेक्षण हो चुका है परन्तु निर्माण-कार्य धन के अभाव के कारण आरंभ नहीं हो सका। इससे पत्तन की कार्य-व्यवस्था में सहायता मिलेगी। हमने निश्चय किया है कि हमारे देश का निर्यात व्यापार बढ़ाया जाये। 12-4-1965 को कलकत्ता में व्यापार बोर्ड की एक बठक में वाणिज्य मंत्री श्री मनुभाई शाह ने कहा है कि 1965-66 के लिये हमारा निर्यात का लक्ष्य 900 करोड़ रुपये का है। इसके लिये हमें पत्तनों मे सुधार करना होगा। कलकत्ता पत्तन द्वारा हमारे देश का आधे से अधिक निर्यात तथा आयात व्यापार होता है। इसलिये फरक्का बांध बनाकर कलकत्ता पत्तन की रक्षा करनी होगी और हुगली नदी की नौपरिवहन व्यवस्था को ठीक करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस विषय में अब कुछ सचेत हो गई है।

अब हल्दिया पत्तन भी बनाने के बारे में विश्व बैंक से सहायता मिलने की आशा है। इस पत्तन के क्षेत्र को अबाध निर्यात क्षेत्र बना देना चाहिये। भारतीय इंजीनियरी संस्था ने भी इसी आशय का एक प्रस्ताव सरकार को भेजा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर भी कुछ विचार किया जाये। हल्दिया क्षेत्र से जिन लोगों की भूमि ली जा रही है उनको उचित प्रतिकर दिया जाना चाहिये। इस पर विचार किया जाये।

मंगलौर पत्तन को निर्यात बढ़ाने के लिये उपयोग में लाया जाना चाहिये। मैसूर राज्य का 200 मील का समुद्रतट है और मंगलौर को आज इतना महत्व नहीं दिया जाता। मारमोगोआ का पत्तन भी महत्वपूर्ण है। यह अब भी अयस्क आदि के निर्यात के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है। हमें अपने सभी छोटे बड़े पत्तनों का विकास करना है। पूर्वीतट पर प्रदीप की ओर भी ध्यान देना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण पूर्व) : इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और कलकत्ता तथा हल्दिया के विषय में प्राक्कलन समिति के हाल ही के प्रतिवेदनों को पढ़ने के पश्चात मैं कह सकता हूं कि यहां पर मंत्रालय की ओर से समय समय पर आत्मसंतोष की गलत भावना उत्पन्न करने के लिये जो भ्रामक बातें कही जाती हैं वे खतरनाक हैं। जब तक विश्व बैंक ऋण नहीं देता हल्दिया पत्तन का कार्य आरंभ नहीं हो सकता। सरकार भी विश्व बैंक के समक्ष पूर्वी तट की बन्दरगाह के विषय में हमारी कुल आवश्यकताओं का एकीकृत चित्र प्रस्तुत करने में असफल रही है। मैं इस बात का सरकार पर आरोप

लगाता है। पूर्वी भारत के लिये पत्तनों के विकास की ओर यदि ध्यान न दिया गया तो बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। सरकार को इस क्षेत्र के पत्तनों के विकास पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। सरकार ने इस सम्बन्ध में बहुत ढील से काम किया है। हमें विदेशी सहायता पर इतना अधिक निर्भर नहीं करना चाहिये।

कलकत्ता पत्तन को खुदाई काम बहुत महत्वपूर्ण काम है। फरक्का बैरेज के बन जाने के पश्चात इस कार्य पर व्यय की कमी होने की आशा है। कलकत्ता पत्तन आयुक्त ने अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया है। हाल ही में वहां पर बन्दरगाह मास्टरों की हड़ताल हुई थी। इसके कारण पत्तन में कामकाज रुक गया था। इस प्रश्न को निपटाने में अधिकारियों ने बहुत समय लगा दिया था। उनका रवैया बहुत खेदजनक था। मंत्रालय ने भी इस विषय में कोई रुचि नहीं ली। ऐसा करने से पत्तन के हितों को हानि होती है और खुदाई का कार्य ठीक प्रकार नहीं हुआ है। इस ओर माननीय मंत्री को ध्यान देना चाहिये। कलकत्ता पत्तन में मजदूरों की कार्यक्षमता ठीक नहीं है। इस का कारण है कि वहां पर कोई प्रोत्साहन योजना लागू नहीं की गई है। इस प्रकार की योजना बम्बई में लागू है। प्राक्कलन समिति ने भी इसका उल्लेख किया है। कलकत्ता पत्तन के मजदूरों में अनुशासन-हीनता की भावना भी पाई जाती है। इसका कारण है कि वहां के एक कार्मिक संघ को मंत्रालय से प्रोत्साहत मिलता है। मैं उस संघ का नाम नहीं लेना चाहता। यह संघ किसी भी अनुशासन संहिता की परवाह नहीं करता। इस संघ के नेता कहते भी हैं कि उनको परिवहन मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। वे सदैव हड़ताल की धमकी देते रहते हैं। उनको पहले ही मालूम होता है कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। इससे पत्तन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हैं। ऐसी स्थिति में सुधार होना चाहिये।

केन्द्र सरकार को हुगली नदी की देखभाल का कार्य अपने हाथ में ले लेना चाहिये। प्राक्कलद समिति ने भी इस प्रकार की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार को एकीकृत योजना बना कर हल्दिया तथा कलकत्ता पत्तनों को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहिये। सरकार ने रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी के प्रबन्ध को अपने अधीन करने का निर्णय किया है। इस कम्पनी की बहुत सहायता की गई है। इसे बहुत धन ऋण के रूप में दिया गया है। मैंने यह प्रश्न दो वर्ष पहले भी उठाया था। अब इस कम्पनी ने अपना कार्य चलाने में असमर्थता व्यक्त की है। इस कम्पनी की कार्यकुशलता बहुत खराब हो गई है। सरकार को इसका राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये। सरकार के 1959 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार नौवहन को सरकारी क्षेत्र में प्रोत्साहन देना है। परन्तु खेद की बात है कि सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक लाभ पहुंचा रही हैं। यदि सरकार ऐसे ही करती रही तो सरकारी क्षेत्र को ठीक प्रकार से सुदृढ नहीं बनाया जा सकेगा।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमें अपने संकल्प के अनुसार कार्य करके सरकारी क्षेत्र का विकास करना चाहिये। सरकार को विदेशी तेल समबायों को कहना चाहिये कि वे भारतीय पोत ही प्रयोग में लायें। संसद की सार्वजनिक उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी इस आशय की सिफारिश की है। अमरीका से 50 वातानुकलित कारें मंगाये जाने का आदेश दिया गया है। मेरे विचार में ये अमरीकी पर्यटकों के लिये होगी। इसका क्या प्रभाव होगा मैं समझ नहीं पाया हूं। एक और समाचार पढ़ने को मिला है कि अमरीकी सरकार भारत सरकार पर दबाव डाल रही है कि हमारे पी० एल० 480 के अधीन भुगतानों का एक बड़ा भाग भारत में ही रक्षित रख लिया

[श्री स० चं० सामन्त]

जाये । और इसे अमरीकी पर्यटकों के लिये भारत में प्रयोग में लाया जायेगा। इससे हमारी विदेशी पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

सरकार ने एक पर्यटक होटल निगम की स्थापना की है और असैनिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को इस निगम का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। वह पहले की एयर लाईन्स कार्पोरेशन के चेयरमैन हैं। इस प्रकार एक ही व्यक्ति को इतने पदों पर नियुक्त करना ठीक नहीं हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर प्रकाश डालें।

Shri Raghu Nath Singh (Varanasi) : Coastal shipping was reserved for Indian tankers long ago. It was in 1918 that policy was laid down that only Indian ships will be put on coastal shipping. Similar decisions were taken in the years 1923 and 1929. This policy was followed in the post-independence period. It is amazing that now only 7 percent of overseas oil is handled by Indian ships. I would request the Government to look into this. We are paying 78 percent of freight to foreign shipping companies. In other countries they have put a condition that all the coastal shipping will be done by their own companies. We are going to import oil from Iran for Cochin refinery. As per agreement we will bring half of the oil by Indian ships. I cannot understand this. We should bring the entire oil by our ships and save the precious foreign exchange which we pay by way of freight.

I want to thank the Transport Minister for five things. One is that within one year India's rank in the shipping countries has been raised from 19th to 17th. It is a praiseworthy achievement. The second is that our shipping tonnage has been doubled. The third is that we have exceeded the targets of third five year plan.It also shows that Planning Commission could not foresee things at the time of fixing targets. The fourth is that a final decision has been taken in regard to cochin shipyard. It was pending for the last about eight years. The fifth is the starting of maritime training school in India.

Our shipping position is not encouraging. We are doing only 15 per cent. of our shipping by Indian ships. We have to pay huge amounts of foreign exchange for the rest. It is a big burden on our economy.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker In The Chair)

You will find that we pay about Rs. 175 crores as freight to shipping companies every year. Out of this Rs. 125 crores is paid to foreign companies in terms of foreign exchange. You can well imagine the adverse impact it will have on our economy. We should also enter into bilateral agreements with other countries. This has been done by about 40 countries. It will help in increasing our shipping capacity. Most of our foreign trade is with UK, U.S.A. and Japan. We should have bilateral agreements with these countries. Our shipping can make progress only then. Government had given an assurance that a rebate of 40 p.c. would be given with retrospective effect, but that assurance was not fulfilled. It is not good on the part of Government. I would request the hon. Finance Minister to allow 40 per cent reabate.

her countries like Brazil and U.A.R. they charge a fee on all exports, imports and passengers. It is 2 per cent or 4 per cent. This money is utilized for investment in shipping. We should also do something like that.

A shipyard has been set up at Vishakahaptnam but 70 per cent components used in this shipyard are being imported. We have not manufactured plates used in ship inspite of the fact that we have established steel plants. We are making 3 ships at Vishakhapatnam every year and we propose to do likewise at Cochin. If we want to achieve our tonnage targets we will have to buy ships from abroad.

We need at least 3 shipyards and ship building should be treated as an industry so that we might be able to meet the demands of South-East Asian countries to provide them small ships. Regarding ports, I may mention that the 20 per cent of wagons plying in Calcutta are 65 years old. The Port Trust has not been able to utilize 58% of the funds allocated to them. 2nd plan allocation was also allowed to lapse. 3rd plan allocation has also not been fully utilised. The condition of all the ports is not sound. The movement of cement should be handled by ships from Saurashtra Port. To save Calcutta Port, it is essential that the movement of 2 millions of Coal should be handled through Saurashtra Ports in addition to cement and Salt. Shri Patil has agreed to this. It will not be proper to use railways for this purpose.

40 percent rebate should be restored in the case of all ships—be they second hand or new. The money spent on shipping should be exempted for taxation in Japan and other Countries. Apart from this all the un accounted money should be invested on shipping. We should not lag behind in shipping because it is our second line of defence.

The whole movement of oil should be done through Coastal shipping. I would suggest that the agreement with Phillips Refinery should be scrapped and with no other country we should agree to more than 50 percent of the movement being allowed to any foreign country. Prof. Humayan kabir has said that no foreign shipping company is prepared to lift our oil. I would request that a chance be given to our Shipping Companies be they in Public or Private sector. Countries like Italy, Germany and Japan, who had been practically destroyed by war, are today the leading Shipping building countries of the world. But we have neglected our shipping Industry. Small countries like Norway, Sweden and Greece have made much advancement.

The way an agreement with Phillip Refinery Co. has been signed ignoring the Board of Director's is very unfair. This should be enquired into and if any Indian Company is prepared to do this job they should be given the Contract.

The country is going to face a danger in this sphere also from China and Pakistan. Pakistan and China have signed a pact regarding shipping. We donned khadi in order to save 7 crore rupees of foreign exchange. Now in the 4th plan we are going to squander 360 crores rupees of foreign exchange. This must be saved.

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : यदि सरकार के सभी मंत्रालयों ने किसी राज्य की पूर्ण उपेक्षा की है तो वह केरल है । जिस गति से दूसरे पोत-निर्माण

[श्री अ० व० राघवन]

कारखाने का कार्य हो रहा है उससे निश्चय है कि यह कार्य 20वीं शताब्दी में पूरा नहीं होगा । यदि यही कारखाना किसी अन्य राज्य में खोला जाना होता तो उसमें कभी का निर्माण भी आरम्भ हो चुका होता ।

सड़क संचार सुधारने के लिये जिस पश्चिमी तट सड़क का निर्माण होना था और जो महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल से होकर जानी थी उसका महाराष्ट्र राज्य में तो निर्माण पूरा हो चुका है परन्तु केरल में यही कार्य आधा भी नहीं हो पाया । क्योंकि यह एक पूर्णतया केन्द्रीय परियोजना है इसलिये पता नहीं क्यों इसमें इतना अधिक विलम्ब हुआ है । द्विमार्गी तथा मिलाने वाली सड़कों के निर्माण में भी विलम्ब हो रहा है ।

पश्चिमी तट की नहर के बाड़ागारा से माहे तक विस्तार की परियोजना पर दूसरी योजना में कार्य आरम्भ किया गया था परन्तु अभी तक प्रगति संतोषजनक नहीं है यद्यपि इससे कई छोट छोटे पत्तनों को कोच्चीन के मुख्य पत्तन से मिलाया जाना है ।

केरल में बेपुर को सभी ऋतुओं के लिये उपयोगी पत्तन में विकसित करने की अच्छी संभावनाएं हैं । इससे कालीकट्ट पत्तन पर भीड़-भाड़ भी कम होगी । इसके अतिरिक्त कालीकट तथा वेपुर के बीच के क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिये भी प्रोत्साहन मिलेगा । इसलिये क्या हम आशा कर सकते हैं कि कम से कम चौथी योजना में इस परियोजना पर कार्य आरम्भ होगा ?

बाड़ागारा में एक स्तम्भ तथा एक प्रकाश स्तम्भ के निर्माण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है । यह कार्य बिना विलम्ब पूरा किया जाना चाहिये ।

यदि केरल में पर्यटन पर उचित ध्यान दिया जाए तो वह पूर्व का स्विटिज़रलैंड बन सकता है परन्तु निधि, उचित प्रचार तथा सुविधाओं का अभाव इसमें बाधक हैं ।

परिवहन सहकारिताओं ने कुछ प्रगति नहीं की । मोटर गाड़ी अधिनियम में लाइसेंस देने संबंधी उपबन्ध में परिवहन उद्योग के सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये संशोधन करना पड़ेगा ।

अन्त में मुझे यह निवेदन करना है कि केरल के लोग जिनकी न तो एक प्रतिनिधि सरकार है और न ही यहां कोई ज़िम्मेदार मंत्रिमण्डल के पद का कोई मंत्री । इसलिये सभा को ही उनकी कठिनाइयां समझ कर उनका निवारण करना होगा ।

डा० सरोजिनी महिषी (धारवार–उत्तर) : यद्यपि इस मंत्रालय के अधीन कई आवश्यक विभाग हैं परन्तु इस समय यहां मैं केवल पर्यटन विभाग का ही वर्णन करूंगी ।

यद्यपि मंत्री महोदय ने बहुत उत्साह दिखाया है, परन्तु, सभी उत्साह, रुचि, व्यय हुए धन तथा समय के बावजूद इस विभाग ने कोई विशेष प्रगति नहीं

की है । मिस्र, लेबनान, जापान तथा अन्य पूर्वी देशों में पर्यटन में दुगनी, तिगुनी वृद्धि हुई है परन्तु 1963 से हमारे यहां केवल 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

पर्यटन विभाग प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रुपये खर्च करता है जिसमें से आधा धन विदेशी मुद्रा में होता है । अमरीका में प्रचार पर हुआ व्यय 5 लाख रुपये से बढ़ कर 20 लाख रुपये हो गया है, परन्तु फिर भी विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाली मदों की सूची में इसका स्थान पांचवें से गिर कर नवां हो गया है ।

प्रतिवेदन में लिखा है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष होटलों के स्थानों में केवल 130 कमरों की वृद्धि हुई है । इतनी कम वृद्धि हमारे जैसे विशाल देश के लिये लज्जा की बात है । अब जब कि होटल निगम स्थापित हो चुका है, इसके द्वारा अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं का सदुपयोग होना चाहिये ।

पर्यटन विभाग में सब से ऊंचे पदों पर नियुक्त अधिकारी एक ही राज्य के हैं । विदेशों में खुले 9 कार्यालयों में से 6 के मुखिया भी इसी राज्य के हैं । कोई भी प्रतिनिधिमंडल विदेश जाए यही 4 अधिकारी विदेश जायेंगे । हो सकता है यह केवल एक संयोग हो । परन्तु मंत्री महोदय को इस पर उचित ध्यान आवश्य देना चाहिये ।

होटलों द्वारा दिनों दिन अधिक दाम वसूल करना पर्यटन के लिये बहुत प्रोत्साहन वर्धक बात नहीं है । इस विभाग द्वारा लगाई गई विनियात्मक शर्तों के बावजूद यह दरें बहुत अधिक हैं ।

हमारे देश में पश्चिमी ढंग के होटलों की संख्या बहुत कम है जो पर्यटकों में बहुत लोकप्रिय हैं । होटलों के वर्गीकरण के लिये बनी समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार करने में 1,09,000 रुपये खर्च किये हैं परन्तु इसे सभा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिये था और इसकी कुछ सिफारिशें कार्यान्वित की जानी चाहियें थीं ।

पश्चिमी तटीय सड़क जो बम्बई को कन्याकुमारी से मिलाती है, बहुत महत्वपूर्ण है । इसको चौड़ा करने का कार्य शीघ्र आरम्भ होना चाहिये क्योंकि यह सड़क महत्व-पूर्ण पत्तनों को भी आपस में मिलाती है । मैसूर राज्य में अयस्क वाहक सड़कों पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि इससे हमें काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है ।

बानावरा–हस्सन–मंगलूर मार्ग को अधिक चौड़ा करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि यह मार्ग वन से होकर जाता है और वहां भारी वर्षा होती है । तालागप्पा–हन्नावर मार्ग अयस्क ढोने के लिए शीघ्र पूरा होना चाहिये ।

राष्ट्रीय राजमार्ग स० 4, जिसे सामरिक महत्व का माना गया है, वृहत्तर बंगलौर, कोलार, वृहत्तर हुबली–धारवाड़ तथा वृहत्तर बेलगांव के स्थानों पर मोड़ा जाना चाहिये । इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये ।

[डा० सरोजिनी महिषी]

योजना आयोग ने एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि मैसूर राज्य में एक सड़क अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये जिससे सड़कें चौड़ी करने के लिये उपलब्ध सामग्री का उचित उपयोग हो सके । यह अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है । आशा है माननीय मंत्री महोदय इन सभी बातों पर ध्यान देकर तुरन्त अपनी प्रविधिक स्वीकृति देंगे और तुरन्त वित्तीय अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे ।

श्री जो० ना० हजारिका (गढ़) : "रिवर स्टीम नेवीगेशन कं०" जो विदेशियों द्वारा संचालित है में, सरकार का साम्यागत अंश खरीदने का निर्णय उचित है और यह परिवहन के हित में है । इन समवायों में काफी कर्मचारी पाकिस्तानी हैं, इनके स्थान पर भारतीय कर्मचारी रखे जाने चाहियें । इसका कार्य संचालन भी संतोशजनक नहीं है । सरकार को शीघ्र ही इसके राष्ट्रीयकरण करने के निर्णय का स्वागत है । ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के बीच जलमार्गी परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिये मंत्री महोदय का धन्यवाद है । परन्तु यह कार्य शीघ्र ही हो जाना चाहिये । यदि ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगीगोपा तथा पाण्डू के अतिरिक्त 6 और पत्तनों का विकास हो जाए तो असम में पत्तन विकास का कार्य पूरा हो जाएगा । 'ड्रेजर-कम लांच पूल' के बजट उपबन्ध का गत वर्ष उपयोग नहीं हुआ । इसका उपयोग ब्रह्मपुत्र के विकास पर किया जा सकता था । 1950 के भूकंप से डिब्रूगढ़ पत्तन बन्द पड़ा है, इस 'पूल' का उपयोग वहां हो सकता था । यदि बुही डिहिंग नदी का विकास नौपरिवहन के लिये किया जाए तो यह कोयला तथा तेल उद्योगों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा क्योंकि इस क्षेत्र में नाहरकटिया का तेल क्षेत्र तथा मारघेरिटा का कोयला क्षेत्र है । जब मंत्री महोदय आसाम की नदी परिवहन व्यवस्था में विशेष रुचि दिखा रहे हैं तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिये कि यदि छोटी छोटी नदियों को खोद कर परिवहन योग्य बनाया जाए तो यह राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध होगी ।

आसाम में एक पोतनिर्माण प्रांगण भी होना चाहिये भले ही वह छोटे आकार का हो क्योंकि आपात काल में हम पाकिस्तान द्वारा मिलने वाली सुविधाओं पर निर्भर नहीं कर सकते ।

आसाम के ऊपरी क्षेत्रों में सड़क परिवहन अपर्याप्त है । न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग परन्तु राज्य सरकार की सड़कों की दशा भी बहुत खराब है । जहां धन की आवश्यकता है वहां धन जुटाया जाना चाहिये और जहां अन्य उपकरण चाहिये वहां यह उपकरण उपलब्ध होने चाहियें ।

Shri Bade Khargon : All the speakers so far have laid emphasis on posts and rightly so far the better means of transport, the better will be her economy. The backward areas of our country like M.P. and Rajasthan need special attention, where there are neither roads nor other means of tansport M.P. has no major road except the National Highway No. 3 and when the attention of the Government is drawn to this, they say that funds are not available. Undoubtedly, border roads should be given priority, but other roads should also be attended to, whereas development of ports is necessary, the importance of feeder roads is also none the less important.

The road mileage per one lakh of population in India is only 70, where as in U.S.A. it is 2500, in France 934, and even in U.A.R. it is 392 miles. This indicates how backward our country is, in this respect.

I would request the hon. Minister to set up an All-India Rural Communications Fund on the lines of Central Road Fund which would finance road building schemes of States to some extent.

Nationalisation results in increase in freights and fares. Wherever the buses have not been nationalised, private buses continue to operate at the rate of half anna per mile. You have no money for nationalisation. After nationalisation the business of private bus and truck owners will come to an end. There will be discontentment in the public. You should, therefore, abandon the policy of nationalising passenger traffic and goods transport.

No progress has been made in the construction of national highways. A bridge should be urgently constructed on the Narmada on the Agra,—Bombay Road because the traffic there is held up for a number of days. If you want to avoid accidents you should construct the bridge without delay. This bridge is also necessary for the purpose of defence.

We earn a good deal of foreign exchange from tourism. We should develop it. It has been stated that a hotel corporation is being formed. This is a method of postponing the work. We should not seek foreign collaboration in this business.

Bullock cart is the only transport in the villages. Nothing has been done to improve the means of transport for the villagers.

Only 15 per cent of our shipping load is carried in our ships and the rest is transported by the foreign ships. What have you done in that respect ? You have not been able to achieve the target regarding the shipyard. Even if the construction of shipyard atCochin is taken up at the earliest, it will be completed only by 1975 or 1980. The condition of Vishakhapatnam and Calcutta ports is very bad. The railway coaches are outdated.

There are many important tourist centres in India which have not been developed. Maheshwar and Mandu are important places but there are no good means of transport. Air transport should be provided to those places, because foreign tourists do not like to travel by trains.

श्री मणिवंगाडन : (कोट्टयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय की अनदानों की मांगों का समर्थन करता हूं । यद्यपि इस सम्बन्ध में कई कमियां हैं, तथापि इस मंत्रालय ने देश में परिवहन के विकास के लिए बहुत काम किया है ।

बड़े पत्तनों के बारे में प्राक्कलन समिति के हाल ही के प्रतिवेदनों का उल्लेख किया गया है । इन का विकास संतोषजनक नहीं है । कोचीन के पत्तन के बारे में सरकार निष्ठापूर्वक प्रयत्न नहीं कर रही है ।

अब कोचीन पत्तन का प्रबन्ध बड़े पत्तन अधिनियम के अन्तर्गत होता है और वहां जिन सुविधाओं की आवश्यकता है, वे इस प्रकार हैं : अधिक गोदियों की व्यवस्था,

[श्री मणियंगाडन]

"मूरिंग बोट्स", "फास्ट प्रायलट लांच", पत्तन पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था, धूमीकरण की सुविधायें आदि। एक और आवश्यक बात यह है कि ऐसे अतिरिक्त घाट बनाये जायें, जहां कि बड़े बड़े जहाज़ और दूसरे गहरे पोत, जिनका प्रयोग भारी सामान ले जाने के लिए होता है, । आसानी से आ सकें। जहाजों के प्रवेश करने के मार्ग तथा मुड़ने के क्षेत्रों को भी और चौड़ा करना होगा। यदि यह बातें की जायें तो कोचीन पत्तन राज्य के लिए तथा देश के लिए बहुत लाभप्रद होगा ।

छोटे तथा मध्यम वर्ग के पत्तनों के बारे में तृतीय योजना काल संतोषजनक नहीं रहा है । मध्यम पत्तन विकास समिति की सिफारिशों को ठीक तरह लागू नहीं किया गया है । छोटे पत्तनों के लिए केरल राज्य में निर्धारित 155.65 लाख की कुल राशि में से अब तक केवल 36.14 लाख रुपये व्यय किये गये हैं । सामान उतारने सम्बन्धी नींडाकाड़ा पत्तन का प्रस्ताव सरकार के सामने विचाराधीन, है इसकी यथासम्भव शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिये ।

कोचीन में दूसरा पोत निर्माण कारखाना एक घोटाला बन गया है । इसे दूसरी योजना में सम्मिलित किया गया था । इस कारखाने के बारे में प्रतिवेदन में बताया गया है कि राज्य सरकार ने भूमि अर्जित कर ली है और अन्य काम किये जा रहे हैं । केन्द्रीय सरकार ने जापान के एक समवाय के साथ 1-2-65 को स्थान के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने और प्रारम्भिक डिज़ाईन तैयार करने तथा इस परियोजना सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन देने के लिए एक समझौता किया है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इसके निर्माण में शीघ्रता लाने के यथासम्भव उपाय करेगी ।

केरल भारत के उन राज्यों में से है जिनकी आंतरिक जल परिवहन संबंधी स्थिति बहुत अच्छी है । राज्य के जल परिवहन सम्बन्धी कुछ कठिनाइयां भी हैं । पश्चिमी तट की नहर का नवीकरण महत्वपुर्ण है। 1958 में आन्तरिक जल परिवहन समिति ने 49 करोड़ रुपये के विनियोजन का सुझाव दिया था । इस समिति के प्रतिवेदन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और सब बड़ी बड़ी मदों पर काम आरम्भ किया जाना चाहिये। सरकार को वाडागारा–वालापटनाम नहर का काम भी आरम्भ करना चाहिये।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 अभी तक पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है । नींडा-काड़ा पर पुल बनाये गये हैं परन्तु दो और ऐसे पुल हैं जो कि बहुत पुराने तथा कमज़ोर हैं । यह पुल चलाकुड़ी और पुठकाड में हैं । कुछ अन्य पुलों में भी सुधार करना होगा ।

तेलीचेरी–कन्नानौर सड़क को चौड़ा करना चाहिये। पश्चिमी तट मार्ग महत्वपूर्ण मार्ग है और उसे राष्ट्रीय राजपथ में परिवर्तित किया जाना चाहिये।

केरल का प्राकृतिक सौंदर्य सब से अधिक है और बहुत से पर्यटक इस की ओर आकर्षित होते हैं । केरल में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों में से कुछ एक

तेक्काड़ी–एडालायम, कोट्टायम, कोवलम और बोलघाटी हैं । वहां पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है । वहां कोई होटल नहीं है । इन सभी स्थानों पर सरकार को आधुनिक सुविधायें प्रदान करनी चाहियें । ऐसे स्थानों के विकास के लिए मैं कोट्टायम ज़िले में कुमारागम नामक स्थान का सुझाव देता हूं । इस का विकास होने से वहां बहुत से पर्यटक आकर्षित होंगे और इस से केरल का विकास होगा ।

श्री अ० त्रि० शर्मा (छतरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । इस मंत्रालय के लिए निर्धारित राशि में वृद्धि की जानी चाहिये । परिवहन के तीन साधन होते हैं : जल परिवहन, मार्ग परिवहन तथा विमान द्वारा परिवहन । उड़ीसा मैं इन तीनों साधनों की कमी है । हमारे राज्य में विमान यातायात की बिलकुल कोई सुविधा नहीं है । उस राज्य में जल परिवहन में सुधार की भी आवश्यकता है । पुराने समय में वहां कितने ही पत्तन होते थे । गोपालपुर, पुरी तथा संदवाली के पत्तन हुआ करते थे परन्तु आजकल उनकी पूर्ण उपेक्षा की गई है । मंत्रालय को इन पत्तनों पर और कम से कम गोपालपुर पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

हाल ही में परादीप पत्तन का निर्माण किया गया है । मेरा विचार है कि केवल परादीप पत्तन ही ऐसा है जिसका निर्माण निश्चित समय में पूरा हो सकता है । इस बात के बावजूद कि केन्द्र इसे कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है राज्य सरकार ने इस बारे में साहसपूर्ण पग उठाया है । इस पत्तन का सम्भरण के स्रोत से कोई सम्पर्क नहीं है । परिवहन के अभाव के कारण यह सन्तोष-जनक रूप से कार्य नहीं कर सकता । इसलिये यह आवश्यक है कि इस पत्तन के साथ साथ संचार का विकास भी हो ।

चिलका झील परियोजना का सर्वेक्षण किया गया है और उसके विकास के लिए कुछ कार्य-वाही की गई है । इस झील के विकास की आवश्यकता है ।

आजकल पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है । उड़ीसा में झीलें, पर्वत, वन, जल प्रपात, ऊंची तथा नीची भूमि तथा वह सब कुछ है जिन्हें देखने के लिए पर्यटक इच्छुक हैं परन्तु यातायात की कमी के कारण यह स्थान नहीं देखे जा सकते । कोणार्क के बारे में भी, जिसके लिये कुछ राशि स्वीकृत की गई थी, कुछ काम नहीं हुआ है । कोणार्क तक जाने वाली अच्छे मौसम में काम आने वाली सड़क का निर्माण किया जाये । केन्द्रीय सरकार ने पहले ही वहां पर एक बड़ा होटल बनाने का प्रस्ताव रखा है और वह होटल आधुनिक प्रकार का होगा ।

कोणार्क जैसे उड़ीसा में कई मन्दिर हैं जिनका विकास पर्यटन स्थानों के रूप में नहीं किया गया है । में माननीय मंत्री का ध्यान मयूरभंज में किचिंग मन्दिर तथा जेपुर में एक और मन्दिर की ओर दिलाता हूं । यदि भुवनेश्वर में एक उप-कार्यालय स्थापित हो सके तो उसके उचित कदम उठाये जाने चाहियें ।

उड़ीसा राज्य बहुत गरीब है । आरम्भ से ही उसकी उपेक्षा की गई है । माननीय मंत्री उस राज्य की तीन प्रकार सहायता कर सकते हैं । वह उसे विशेष अनुदान दे सकते हैं, वह उचित प्राधिकारों से उड़ीसा के विकास के लिए ऋण देने की सिफारिश कर सकते हैं और वह उस राज्य को विकास के लिए ब्याज रहित ऋण दे सकते हैं ।

श्री कन्डप्पन (तिरूचेंगोड) : यद्यपि मंत्रालय के इस काम का क्षेत्र बहुत व्यापक है, तथापि जो काम निर्धारित किये गये हैं उन पर भी काम आरम्भ नहीं हुआ है और स्वीकृत राशि उतनी तेज़ी से खर्च नहीं की गई है जितनी से की जानी चाहिये थी ।

मद्रास राज्य में मैत्तूर को कोलातूर से होकर मैसूर राज्य म मधेश्वरम से मिलाने वाली सड़क के मद्रास राज्य के भाग में सुधार के लिए 15 लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई है । मैत्तूर एक औद्योगिक केन्द्र है और कोलातूर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मधेश्वरम एक तीर्थ है । यह महत्वपूर्ण सड़क है । परन्तु स्वीकृत होने के दो वर्ष बाद भी वहां कुछ नहीं हुआ है । मंत्री महोदय को ऐसी योजनाओं पर ध्यान देना चाहिये जिनके लिए राशि स्वीकार हो चुकी है परन्तु उस राशि का उपयोग नहीं किया गया है ।

हमारे राज्य में राजपथों से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण पहलू है । नये बने पुलों से होकर जाने वाली सभी गाड़ियों से कुछ धन प्राप्त किया जाता है । यह लगभग दिन दहाड़े डाका है । मैं मंत्री महोदय से इस ओर ध्यान देने की प्रार्थना करता हूं । ऐसी वसूली अंग्रेजों से समय में भी नहीं होती थी ।

तामिलनाड में बहुत अधिक स्थानों पर पुलों की आवश्यकता नहीं है । मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान दो स्थानों की ओर दिलाता हूं—मैत्तूर के निकट पूलमपट्टी तथा कोमारपलयम । मद्रास से कालीघाट का राष्ट्रीय मार्ग एक बहुत ही पुराने टूटे फूटे और छोटे पुल से होकर जाता है जो इतने भारी यातायात को सम्भालने की स्थिति में नहीं है । उस पुल को चौड़ा किया जा सकता है और सुदृढ़ बनाया जा सकता है या उसी स्थान पर एक नये पुल का निर्माण किया जा सकता है ।

मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई है कि उस क्षेत्र में पश्चिमी तट पर एक सड़क बन रही है । पूर्वी तट पर भी ऐसी ही एक सड़क की आवश्यकता है ।

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने तूतीकोरिन परियोजना का उल्लेख किया है । यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है । मुझे आशा है कि इसके काम में तेज़ी लाने के लिए सरकार कुछ करेगी ।

सेतुसमुद्रम परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है और आपातकाल के आधार पर इसे पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये । मैं इसका केवल इसी कारण समर्थन नहीं कर रहा कि यह मेरे राज्य में है । यह अखिल-भारतीय परियोजना है और हमारी नौसेना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है । यदि हम पश्चिमी तट से पूर्वी तट श्री लंका का चक्कर लगाये बिना नहीं जा सकते तो हम इस विशेष क्षेत्र में प्रतिरक्षा की दृष्टि से कुछ अधिक काम नहीं कर सकते । इस परियोजना को तूतीकोरिन परियोजना के साथ साथ ही आरम्भ किया जाये ।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं माननीय परिवहन मंत्री, श्री राज बहादुर को अच्छे काम के लिए बधाई देता हूं ।

तूतीकोरिन के लोग भारत के प्रधान मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री के आभारी हैं जिन्होंने तूतीकोरिन पत्तन के निर्माण का उद्घाटन किया है । हम इस समारोह में भाग लेने के लिये परिवहन मंत्री, श्री राज बहादुर के भी आभारी हैं ।

इस पत्तन परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा 24 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन की विभिन्न समितियों तथा मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है। निर्माण में तेजी लाने के लिए नवम्बर, 1963 में यह प्रस्ताव किया गया था कि 1964–65 में 4 करोड़ रुपये व्यय किये जाने चाहियें परन्तु मंत्रालय ने 1964–65 के लिए केवल 113.5 लाख रुपये ही स्वीकार किये हैं। इस परियोजना पर 1964 के अन्त तक 225 लाख रुपये खर्च किये गये थे परन्तु धन की कमी के कारण दिसम्बर, 1964 से कोई काम नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं कि 1964–65 के लिये आवंटन बढ़ा कर 200 लाख रुपये और 1965–66 के लिए 400 लाख रुपये कर दिया जाना चाहिये ताकि तीसरी योजना में खर्च 5 करोड़ की बजाय 7 करोड़ हो सके। केवल इसी प्रकार ही काम में तेजी हो सकती है और लक्षित तिथि पर काम पूरा हो सकता है ।

परियोजना सम्बन्धी मुख्य काम अभी आरम्भ होना है। ठोकरें बनाने के लिए तीन क्रेनों की तुरन्त आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिये ताकि बिना विलम्ब यह क्रेनें खरीदी जा सकें ।

दो ठोकरें, कर्मचारियों के लिए 142 क्वार्टर, एक औषधालय, एक प्रारम्भिक स्कूल तथा एक डाकखाना बनाया जाना है। ठोकरों के निर्माण का काम मई या जून, 1965 में आरम्भ हो जाना चाहिये। 1965-66 के लिए रखी गई 200 लाख रुपये की राशि बिलकुल अपर्याप्त है। इस गति से तो यह परियोजना पांचवीं योजना के अन्त तक ही अर्थात 1976 के अन्त तक ही पूरी हो सकेगी। इस प्रकार के विलम्ब से देश अथवा सरकार को कोई लाभ नहीं होगा।

मैं परिवहन मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह तूतीकोरिन पत्तन परियोजना को यथासंभव शीघ्र समाप्त करें। सेतुसमुद्रम परियोजना बहुत ही राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, इससे समय, धन और दूरी में बहुत बचत होगी। सेतुसमुद्रम परियोजना और तूतीकोरिन पत्तन परियोजना एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। दोनों बिना एक दूसरे की सहायता के उन्नति नहीं कर सकती।

इस परियोजना का संशोधित प्राक्कलन 22 करोड़ रुपये का है जिसमें 4.5 करोड़ रुपया विदेशीमुद्रा में है। परिवहन मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक उच्च-स्तरीय प्रविधिक समिति मद्रास सरकार द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट की जांच करेगी। इस परियोजना के लिये भूमि प्राप्त की जा रही है और आरम्भिक सर्वेक्षण भी पूरा हो गया है। प्रधान मंत्री ने नवम्बर, 1964 को मद्रास में यह आश्वासन दिया था कि इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जायेगा। प्राक्कलन समिति ने भी यह सिफारिश की है कि सेतुसमुद्रम परियोजना को अविलम्ब क्रियान्वित किया जाय ।

राष्ट्रीय राजपथ और सीमान्त सड़कों के लिये 1965–66 के बजट में 66 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि तूतीकोरिन पत्तन परियोजना और सेतुसमुद्रम योजना को देखते हुए पूर्व तट सड़क को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में चौथी योजना में बनाया जाय। चौथी योजना में जो सड़कों के लिये आवंटन किया गया है वह पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का विकास करने के लिये ग्रामीण क्षेत्र सड़क निधि स्थापित की जानी चाहिये।

[श्री मुथिया]

पर्यटन के विकास के लिये मंत्रालय भारत पर्यटन होटल निगम और भारत पर्यटन निगम स्थापित कर रहा है । पहले निगम का मैं स्वागत करता हूं । यदि हमारी सरकार ने पर्यटकों की सुविधा के लिये बहुत शानदार होटल बनाये तो वह काफी विदेशी मुद्रा उपार्जन कर सकती है ।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कन्याकुमारी का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जाय और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सभी आधुनिक सुविधायें दी जायें ; और वहां पर प्रस्तावित दीप्त स्तम्भ भी बनाया जाय ।

श्री द० ब० राजू (बरसापुर) : इस आपात स्थिति में राष्ट्रीय राजपथ और सीमान्त सड़कों के निर्माण में अभी और प्रगति होनी चाहिये । मुझे आशा है कि आन्तरस्थलीय जल परिवहन निदेशालय, जिसकी हाल ही में स्थापना हुई है, आन्तरस्थलीय परिवहन के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होगा । राजामुन्द्री में गोदावरी नदी पर रेल और सड़क के लिये पुल बनाने की आवश्यकता के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकार को जनता की ओर से कई अभ्यावेदन भेजे गये हैं । आन्ध्र प्रदेश के तीस संसद्-सदस्यों ने 24 दिसम्बर, 1964 को प्रधान मंत्री को इस पुल के महत्व के बारे में बताया । 22 मार्च, 1965 को माननीय मंत्री ने मुझे बताया कि उन्हें प्रधान मंत्री को तीस संसद्-सदस्यों के अभ्यावेदन के बारे में कुछ नहीं पता । मैं हैरान हूं कि माननीय मंत्री को ऐसे अभ्यावेदन के बारे में नहीं पता जो तीन महीने पहले प्रधान मंत्री को दिया गया था ।

राजामुन्द्री गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और यह तीर्थयात्रा का महत्वपूर्ण केन्द्र है । यह बनारस और रामेश्वरम के रास्ते में आता है । राजामुन्द्री के निकट गोदावरी नदी पर कोई पुल नहीं है; इससे या तो यात्रियों को द्वालेश्वरम द्वारा होकर जाना पड़ता है या नावों द्वारा नदी पार करनी पड़ती है । इससे देश की समय और धन की बहुत हानि होती है । इन आंकड़ों से जो यातायात गोदावरी नदी को पार करता है उसका आप अनुमान लगा सकेंगे : 50,000 गाड़ियां नावों द्वारा एक ओर से दूसरी ओर ले जाई जाती हैं । 1.5 लाख टन अनाज और 16 लाख यात्री प्रति वर्ष इस नदी को पार करते हैं । इस क्षेत्र से सरकार को 3.5 करोड़ आय कर, 1.25 करोड़ गन्ना उपकर प्राप्त होता है । अतः यहां के लोगों को अधिकार है कि वह इस पुल की मांग करें । इस पुल के बनने से मद्रास--कलकत्ता राजपथ में 30 मील का फासला कम हो जायेगा । इस पुल के बनने से देश को और भी कई लाभ होंगे ।

राजामुन्द्री में गोदावरी के ऊपर एक दूसरा रेल पुल बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है । परन्तु यदि इस रेल पुल के बजाय रेल और सड़क पुल बनाया जाये तो अच्छा रहेगा क्योंकि इस क्षेत्र में यातायात इतना अधिक है कि निकट भविष्य में शायद एक और सड़क पुल बनाना पड़े । 1960 मे जब स्वर्गीय पंडित नेहरू ने मोकामेह में गंगा के ऊपर रेल और सड़क पुल का उद्घाटन किया तो उन्होंने रेल और सड़क पुल की बहुत सरहाना की । उन्होंने सुझाव दिया कि सब जगह ऐसे ही पुल बनाये जायें और जो लोग इसका प्रयोग करें उनसे कुछ कर वसूल किया जाय । दक्षिण के समाचारपत्र भी राजामुन्द्री में इस रेल और सड़क पुल के बनाने के पक्ष में हैं । मद्रास

के दैनिक अंग्रेजी के लोकप्रिय समाचारपत्र "हिन्दू" ने 17 अप्रैल, 1964 के सम्पादकीय टिप्पण में इस प्रकार लिखा है :

> "राजामुंद्री के निकट गोदावरी के ऊपर रेल और सड़क पुल बनाने से पूर्व और पश्चिम गोदावरी के दो जिलों के संचार में बहुत सुधार हो जाये । मद्रास-कलकत्ता राजपथ का फासला भी कम हो जायेगा । इसीलिये रेलवे बोर्ड को इस पुल पर 2 करोड़ अतिरिक्त व्यय करने के लिये मना लिया गया । आन्ध्र प्रदेश सरकार, अपनी शोचनीय आर्थिक स्थिति के बावजूद, इस व्यय का कुछ भाग उठाने के लिए सहमत हो गई । परन्तु अब पता चला है कि केन्द्र सड़क परियोजना के परिव्यय का अपना भाग देने में हिचकिचा रहा है । परन्तु इस पुल के जो फायदे हैं उसके मुकाबले में यह 1 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है ।"

अतः मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री, वित्त, परिवहन, रेलवे और योजना मंत्री इस ओर उचित ध्यान देंगे और इस योजना को यथासम्भव शीघ्र मंजूरी दे देंगे ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): Sir, the Government had fixed a target of transporting 375 million tons goods during the Third Five Year Plan: 20 million tons were transported by roads, 245 million tons through Railways and 10 million tons by Coastal waters. But the Government is silent as to how it will transport the rest 100 million tons. The total area of our roads is 1-1/4 million square miles, total length 480,000 miles out of which 15,000 is national Highways.

Mr. Deputy Speaker : The hon. Member may continue his speech tomorrow.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

तिरेसठवां प्रतिवेदन

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरेसठवां प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1965 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरेसठवें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1965 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड दिया जाय :

> "इस रूपभेद के साथ कि विधान परिषदें (गठन) विधेयक, 1962 पर चर्चा के ये निर्धारित समय को एक घंटा और बढ़ाया जाए ।"

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : मैं भी इसका समर्थन करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय ।

"रूपभेद के साथ विधान परिषदें (गठन) विधेयक, 1962 पर चर्चा के लिये निर्धारित समय को एक घंटा और बढ़ाया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधित प्रस्ताव को सभा के सामने रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के तिरेसठवें प्रतिवेदन से, जो 12 अप्रैल, 1965 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है; उस रूपभेद के साथ कि विधान परिषदें (गठन) विधेयक, 1962 पर चर्चा के लिये निर्धारित समय को एक घंटा बढ़ा दिया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये अनुच्छेद 339–क का रखा जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Insertion of New Article 339-A)

श्री सिद्धय्या (चामराजनगर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान को अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान को अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री सिद्दय्या : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1964

(अनुच्छेद 331 का हटाया जाना)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of Article 331)

Shri P. L. Barupal (Ganga agar) : Sir, I beg to move for leave to withdraw the Constitution (Amendment) Bill, 1964.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संविधान (संशोधन) विधेयक, 1964 को वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri P. L. Barupal : I withdraw this Bill.

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1964—जारी

(धारा 127, 128 और 129 का संशोधन)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Amendment of sections 127, 128 and 129)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री हरि विष्णु कामत के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : It is an important Bill. The time may extended by one hour.

उपाध्यक्ष महोदय : समय एक घंटा बढ़ा दिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : 2 अप्रैल को जब गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित हो गई थी, तो मैं पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने पर न्यायिक जांच की संख्या के बारे में कह रहा था ।

[**डा० सरोजिनी महीषी** पीठासीन हुईं
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की जांच के सम्बन्ध में जो प्रश्न मैं ने 8 अप्रैल, 1964 को पूछा था, उसके उत्तर में विवरण मार्च 1965 को सभा-पटल पर रखा गया । इस ब्योरेवार विवरण को पढ़ कर, यह पता चलता है कि कम से कम एक दर्जन मामलों, जांच करने वाले न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया कि गोली जो चलाई गई वह बिल्कुल अनुचित थी और कुछ मामलों में पुलिस ने

[श्री हरि विष्णु कामत]

आवश्यकता से बहुत अधिक बल का प्रयोग किया । जो राय लेखबद्ध की गई है वह हमारे देश की पुलिस और मजिस्ट्रेटों के विरुद्ध है ।

1954 में जब ट्रावनकोर कोचीन राज्य में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने की घटना घटी, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी इस राज्य में सत्तारूढ़ थी । इस पार्टी ने गया में एक राष्ट्रीय सम्मेलन किया जिसमें यह संकल्प पारित किया :

> "कि राष्ट्रीय सम्मेलन पार्टी की ओर से लोगों से क्षमा याचना करता है और यह आश्वासन देता है कि भविष्य में एक स्वाधीन गणतन्त्र में ऐसी घटनाओं को गम्भीरतापूर्वक लिया जायेगा ।"

इस सम्मेलन ने मेरी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की जिसने इस सम्बन्ध में कुछ विशेष सिफारिशें भी कीं जो गया सम्मेलन में स्वीकार की गई थीं । 1957 में पंडित गोविन्द वल्लभ पंत ने अपने भाषण में इस समिति का निर्देशन देते हुए कहा :

> "इस घटना ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर देश का ध्यान आकर्षित किया और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जो उस मामले में किया उसकी सभी ने प्रशंसा की ।"

परन्तु राष्ट्रीय सम्मेलन ने यह खेद प्रकट किया कि कांग्रेस के अवाडी अधिवेशन में एक ऐसा ही संकल्प जो प्रस्तुत किया गया था उस को प्रधान मंत्री ने स्वीकृत नहीं होने दिया था । कामत समिति ने जो प्रतिवेदन दिया था उसमें से मैं कुछ उद्धरण पढ़ कर सभा में सुनाता यदि मेरे पास समय होता । परन्तु इस समिति की मुख्य सिफारिशों को मैंने उन परिवर्तनों में शामिल कर लिया है जो मैं इस विधेयक में करना चाहता हूं ।

स्वाधीन भारत में ऐसी पुलिस द्वारा गोली चलाने की कई घटनायें हुई हैं जिन में कोई जांच नहीं हुई । मेरी पार्टी का यह विचार है कि जब कभी पुलिस गोली चलाये और उससे लोग हताहत हों तो उसकी जांच होनी चाहिये और अधिकारी दोषी हों तो उनको दण्ड मिलना चाहिये । 1956 में बम्बई शहर में 24 घंटे में 108 बार गोली चलाई गई थी । श्री सी० डी० देशमुख ने उस समय अपना त्यागपत्र देने का एक यह भी कारण बताया था । इस सभा में यह मांग की गई थी कि इस मामले की न्यायिक जांच हो ; परन्तु यह मांग रद्द कर दी गई । अहमदाबाद और मद्रास में भाषा के मामले पर जो गड़बड़ी हुई और पुलिस ने गोली चलाई, उसकी भी अभी तक कोई जांच नहीं हुई है । यह कार्य महात्मा गांधी के शिष्य कर रहे हैं । सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिये । मंत्री महोदय को कम से कम इतना तो कह देना चाहिये कि वह सिद्धान्त रूप से इस विधेयक का समर्थन करते हैं । वह जिस प्रकार मैंने इस विधेयक को पेश किया है, बेशक पसन्द न करें, परन्तु इसके सिद्धान्त के विरुद्ध वह नहीं जा सकते । यदि वह इसके सिद्धान्त का समर्थन करते हैं तो उन्हें विधेयक के विचार के प्रस्ताव का भी समर्थन करना चाहिये । मुझे आशा है कि सरकार प्रजा सोशलिस्ट द्वारा की गई सिफारिशों को पूरी तौर से स्वीकार कर लेगी ।

1957 में उस समय के गृह मंत्री श्री पन्त ने कहा था कि पी० एस० पी० का भी यही विचार है कि गोली चलाने को बिल्कुल बन्द कर देना असम्भव है । ऐसा कह कर उन्होंने सदस्यों को गुमराह करने की कोशिश की थी ।

समिति ने उस समय ये सिफारिश की थी कि इसकी जांच एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को करनी चाहिये। पुलिस को गोली चलाने से पहले उचित रक्षोपाय करने चाहियें तथा गोली चलाने के अतिरिक्त और कुछ तरीकों से भीड़ को तितर बितर करने का प्रयत्न करना चाहिये। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट भी होना चाहिये और पहले चेतावनी, अश्रुगैस आदि का प्रयोग करना चाहिये। जब अन्य सब तरीके बेकार हो जायें तब गोली चलानी चाहिये।"

1956 में मैं अहमदाबाद के अस्पताल में जब हताहतों को देखने गया तब मुझे मालूम हुआ कि उनमें 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे भी थे तथा जिनको गोलियां लगी थीं उनको गोलियां नाभी से ऊपर के भाग में छाती, पेट, आदि में लगी थीं। आज भी गोली चलाने की इच्छा पुलिस में उतनी ही बलवती है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार तथा कांग्रेस दल मेरा यह विधेयक स्वीकार कर लेगी।

मैं अपने विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : I support the principles of this Bill and say that the sections 127, 128, and 129 were incorporated in the criminal procedure code by Britishers with the purpose that if more than five persons were assembled at a place unlawfully then they may be dispersed with. We congressmen also suffered due to these sections and now I am of the opinion that these should be removed from this code. I know an incident in Gorakhpur. Some students were going in procession peacefully. Police tried to disperse them but due to some misunderstanding and shortsightedness of the Police, they started firing and some students were killed. I am of the opinion that in free India now Police should be more careful and use some other tactics to disperse the crowd instead of using force and firing. One committee has enquired in this and give their decision but unfortunately still so many students are behind the bars and they have not been released. I support the principles of this bill but with some amendments. I want that word 'earlier' should be deleted from line 3, Page 2, word 'reasonable' should be added after the word 'All' in line 3 page 2 and the words 'By use of the water hose, tear gas and light cane charge' should be deleted, from Line 4 and 5 Page 2.

Shri Gauri Shanker Kakkar (Fatehpur) : I support the Bill put forward by Shri Kamath. We often see tha the Sections 127, 128 and 129 of the Criminal Procedure Code are being used indiscriminately by the Police.

These Police Officers never use their brain at the time of crisis. I know that Police fired on the students in Allahabad. Some students lost their lives as a result thereof and situation became very serious.

In this amendment it has been provided that these Police Officers should have some restriction over them and should use their powers wisely. Those amendments should be accepted.

Government may say that in this time of emergency we should not amend this code and as the enemy is on our borders we may require them. In this, connection I want to say that we have other provisions in our laws by which we can check all the subversive activities going on in the country.

[Shri Gauri Shanker Kakkar]

In the end again I would like to say that this is a very sensible amendment and should be accepted by this Government who always preach Ahimsa.

श्री नरेंद्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : श्री कामत द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। स्वतंत्रता के बाद पुराने बम्बई राज्य के मेहसाना जिले में दिवाली के अवसर पर गांव वालों पर गोली चलाई गयी थी जिसमें कई बच्चे, आदमी, औरतें तथा पशु मारे गये थे। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच करें।

महा गुजरात आन्दोलन के समय भी अहमदाबाद में शांतिप्रिय लोगों पर गोलियां चलाई गयी जिसका परिणाम हम अहमदाबाद में देख रहे हैं कि आज नगर निगम में किसका अधिकार है। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि यदि इसी प्रकार गोलीकांड के द्वारा बेचारे लोगों का मारा जाता रहा तो एक दिन वह आयेगा जब इन हत लोगों के बच्चे सरकार की ओर राइफलों का मुंह न कर दें। इंग्लैंड में पानी के हौज का प्रयोग होता है। मुझे प्रसन्नता है कि गुजरात में अब घोड़ों का प्रयोग होने लगा है।

भीड़ को सावधानी से चतुराई से समझाना होता है। महा गुजरात आन्दोलन के समय एक सुपरिंटेंडेंट पुलिस थे। उन्होंने चतुराई से भीड़ से कहा कि मैं आपको उन स्थानों पर जाने की अनुमति दे सकता हूं जहां पर अभी जाने की अनुमति नहीं है यदि आप शांति-पूर्वक वहां पर जायें। भीड़ ने उनकी बात मानी, शांति से वहां गये तथा तितर बितर हो गये। इस प्रकार एक गंभीर समस्या हल हो गयी।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस विधेयक को स्वीकार कर लेंगे।

श्री खाडिलकर (खेड) : सभापति महोदय, श्री कामत ने यह विधेयक इस कारण से प्रस्तुत किया है क्योंकि केरल में जब उन्होंने सरकार बनाई थी तब उन्हें कई बार गोली चलानी पड़ी थी। इसी अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया तथा और इस विधेयक के साथ जो उन्होंने विवरण पेश किया है उससे पुलिस का मार्गदर्शन बड़ा अच्छा हो सकता है।

प्रश्न हमारे सामने यही है कि हमारी पुलिस को, जो सरकार के प्रतिनिधि है, गोली चलाने के अधिकार का प्रयोग बड़े सोच विचार तथा समझ बूझ कर करना चाहिए। मैं उनकी बात मानता हूं परन्तु साम्प्रदायिक दंगों के समय नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल होता है तथा गोलीकांड करना ही होता है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि विधेयक के प्रस्तावक उस पर विचार करेंगे। आज हमारे देश का विकास हो रहा है। हमारा समाज बदल रहा है। ऐसे समय कुछ लोग ऐसे हो जो तोड़-फोड़ की कार्यवाही करना चाहते हों। क्या उनको रोकने के लिए पुलिस को यह अधिकार देना जरूरी नहीं है?

मैं तो समझता हूं कि विधेयक में जो बातें कही गयीं है उनको सभी को स्वीकार कर लिया गया है और अमल में लाया जा रहा है। इसलिए इस विधेयक की मेरे विचार से कोई जरूरत नहीं है।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Mr. Chairman, I find that in India after independence police resorted to firing so many times that we feel that they do not care for human life. I know that in all the States of India Police opened fire.

Shri Khadilkar said that Government have to use force and to administer it is necessary to have force and power. I want to remind him that this Government has that much force only which can be used against our own people. When question of defending frontiers come, they always fail. A few months back there was firing in Kishanganj. But nobody has cared.

I want to draw the attention of the Government that in investigation two types of standards are adopted. For example Police has done everything to apprehend the murderers of Shri Kairon but did nothing to investigate in regard to the murderers of Rani of Sighrauli. Hon. Home Minister should look into it.

It is very disgraceful to use force or resort to firing in the democracy, as the persons who are demonstrating peacefully. I want to illustrate that how Government is using the force differently. There were some disturbances in Madras but Government has not taken any action. On the other hand Satyagrahis like Shri Raj Narain are serving imprisonment for six months. He has demonstrated against the use of English, this is the two type of policy of the Government.

I want that in this country firing should not be resorted to until and unless crowd becomes unruly and try to kill somebody. With these words, I support this Bill.

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded) : Shri Kamath has suggested to amend sections 127, 128 and 129 of Criminal Procedure Code. I am also of the same view. These sections were drafted by the Britishers to rule us and we all have experience that how Britishers have used them. These should be amended according to our changing situation. In democracy one should use hig brain instead of using force.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)
(MR. SPEAKER *in the Chair*)

In pre-independence period D. M. and other officers always ordered for firing without using any peaceful tactics. Now India is independent and if somebody demonstrates then Government should warn them and then use other means so that they may disperse and should use firing as a last resort.

I suggest that now we should have new laws neither we should go on with old one but should adopt middle course and amend them according to our own requirements.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, Sir, in these 17 years of our independence our police has opened fire 223 times. We hear that our Government is the follower of Gandhiji and go according to the principles of Gandhi Ji. But we have often seen that this government has used rifles on our students. Recently there was firing in Kerala and some Jansangha workers were killed. In 1956 there was firing in Panna and no

[Shri Hukam chand Kachhavaiya]

enquiry was conducted. Police should have allowed the crowd to disperse peacefully and if they would have failed them resorted to firing. They can use water hose, tear gas, cane charge and air gun. This air gun should also be fired in legs. There should be a magistrate present there.

I want that Hon. Minister should consider every thing and try to do something by which our police may not resort to firing very often. We do not want that there should be crowd but we also do not want that our Police should resort to firing. In communal distrubances also Police should open fire with great care.

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना): शांति का नारा लगाना बड़ा ही अच्छा है । कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता, कोई भी सरकार नहीं चल सकती जब तक शांति न बनी हुई हो। शांति बनाये रखने का काम कानून का है तथा कानून से आशा यह भी की जाती है कि जनता की भलाई तथा प्रगति के अवसर दें। गत छः महीनों में मैंने बहुत सी नंगी औरतों को, भूखे बच्चों को रोते, चिल्लाते तथा गुण्डों को औरतों को छेड़ते देखा है। जब ऐसी स्थिति हो तो क्या शांति किसी प्रकार बनी रह सकती है । क्या कानून का उपयोग यहीं है कि ऐसी स्थिति बनी रहे। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि क्रान्ति हो। जब जनता भूखी, नंगी रहती है तथा कानून के द्वारा सरकार उसको खाना, कपड़ा नहीं दिला पाती हैं तब इतिहास सिद्ध बात है कि क्रान्तियां हो जाया करती हैं।

मेरा निवेदन है कि आज वह स्थिति उत्पन्न हो गई है जबकि भारत में नया युग लाने के लिये सोच समझ कर उपाय करने की आवश्यकता है।

मैं इस संशोधन विधेयक में निहित सिद्धान्त से सहमत हूं हालांकि इसके उपबन्धों में काफी सुधार की गुंजायश है।

श्री कन्डप्पन (तिरुचनगोड): मेरे राज्य में पुलिस द्वारा सबसे अधिक ज्यादतियां की जाती हैं। हाल ही में भाषा के मामले में मेरे राज्य में हुए दंगों में लोगों की ज्यादतियों का खूब चर्चा सुना गया है। परन्तु मेरा कहना है कि पुलिस द्वारा उकसाये जाने पर ही लोगों ने ऐसा किया था। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं दिया जा सकता जबकि पुलिस द्वारा उकसाए जाने के बगैर लोगों ने ज्यादतियां की हों। तामिलनाड में भाषा संबंधी दंगों के समय पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों की न्यायिक जांच की जानी चाहिये।

मैं श्री कामत के विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): आजकल जो ये दंगे हो रहे हैं उनके लिये श्रोताओं को गलत तथ्य बता कर भड़काने वाले राजनीतिक व्यक्ति ही जिम्मेदार हैं। उनके द्वारा भड़काये जाने पर ही जनसाधारण ऐसे कार्य करने पर उतारू हो जाते हैं जिन्हें वे साधारणतया नहीं करेंगे। इसलिये हमें श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने वाले व्यक्तियों से सरकार को बचाना होगा ।

इस विधेयक का वर्तमान रूप मेरी अथवा जनसाधारण की समझ से बाहर की बात है श्री कामत का कहना है कि पूर्व सूचना देने के पश्चात् ही गोली चलाई जानी चाहिये। हां,

यदि वे कहते कि गोली चलाना या आग्नेयास्त्रों का प्रयोग पूर्णतया बन्द कर दिया जाना चाहिये तो वह बात समझ में आ सकती थी ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम): मैं श्री कामत के विधेयक के सिद्धान्त से सहमत हूं । सरकार के लिये प्रत्येक थाने में अश्रु गैस आदि की व्यवस्था करना संभव नहीं है । हां, यदि किसी क्षेत्र में दंगे आदि होने की आशंका हो तो सरकार को तत्काल ही वहां पर अश्रु गैस आदि का प्रबन्ध करा देना चाहिये । परन्तु इसके साथ-साथ गुन्डागीरी तथा उपद्रवी तत्वों को सख्ती से दबाया जाना चाहिये । सरकार को ऐसी गोली बनाने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिये जिससे आदमी मरे नहीं अपितु वह कुछ समय के लिये घूम फिर न सके । शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिये गोली चलाने का आदेश उसी अवस्था में दिया जाना चाहिये जब अन्य कोई चारा न रहे और जान व माल की भारी क्षति होने की आशंका हो ।

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): हमारे सामने जो प्रश्न है वह यह है कि गोली किन परिस्थितियों में चलाई जानी चाहिये । यह ठीक है कि हमने कानून पास किया हुआ है परन्तु उस कानून को और अधिक स्पष्ट करने के लिये उस कानून के अन्तर्गत नियम बनाए गये हैं जिससे कि प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन कर सकें । यह बात नहीं है कि इन नियमों आदि में कोई परिवर्तन करने की गुंजायश नहीं है । इसलिये श्री कामत ने जो विचार सभा के समक्ष रखे हैं उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये । इसके लिये उचित यह होगा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये ताकि विधेयक के सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया जा सके ।

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : श्री कामत ने स्वयं सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार किया है कि कुछ संरक्षण प्रदान करने के पश्चात् गोली चलाई जा सकती है । डा० अणे ने कहा है कि क्या नियमों में ऐसे उपबन्ध नहीं हैं । परन्तु यहां नियमों में संशोधन का प्रश्न नहीं है अपितु विधान में संशोधन करने का प्रश्न है । एक बार विधि में कोई उपबन्ध कर दिया जाता है तो उसका सभी परिस्थितियों में पालन किया जाना जरूरी हो जाता है ।

यह सही नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् गोली चलाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है । इसके विपरीत इनकी संख्या में कमी हो गई है । गोली चलाये जाने के मामलों की न्यायिक अथवा दण्डाधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर अधिकांश मामलों में इस कार्यवाही को न्यायोचित ठहराया गया है । यदि आवश्यकता न होने पर भी गोली चलाई जाती है तो सरकार को अवश्य ही खेद होता है और ऐसा होने पर सरकार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अवश्य ही कार्यवाही करेगी । सरकार गोली चलाया जाना पसन्द नहीं करती परन्तु कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये उसे ऐसा आदेश देने के लिये मजबूर होना पड़ता है । 1948 में गोली चलाये जाने की 100 घटनाएं हुई थीं और 1949 में 77, 1950 में 80, 1951 में 49, 1952 में 52, 1953 में 61, 1954 में 70 . . . .

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): क्या ये केवल संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़े हैं अथवा सारे भारत के ?

श्री हाथी : मैं सारे भारत के आंकड़े दे रहा हूं। 1959 से 1964 की अवधि में गोली चलाने के 263 मामलों की न्यायिक अथवा दण्डाधिकारी द्वारा जांच की गई थी और उनमें से केवल 11 मामलों में गोली चलाया जाना न्यायोचित नहीं ठहराया गया। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि बहुत सोच विचार करके ही गोली चलाये जाने का आदेश दिया जाये।

श्री कामत ने कहा है कि भूतपूर्व गृह मंत्री श्री पन्त ने यह कह कर कि सरकार ने लगभग सभी सिफारिशें मान ली हैं सभा को गुमराह किया था। मेरे पास यहां पर सम्बन्धित दस्तावेज हैं। श्री पन्त ने कहा था कि प्रत्येक गोली चलाये जाने के मामले की जांच की बात छोड़ कर जो स्वीकार नहीं की जा सकती अन्य सभी सिद्धान्तों को पुलिस नियम-पुस्तिका में शामिल कर दिया गया है। सही स्थिति यही है। इसलिये पन्त जी ने सभा को कोई गलत जानकारी नहीं दी थी। सरकार ने प्रत्येक मामले की न्यायिक जांच करने की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि प्रत्येक मामले की न्यायिक जांच कराना उचित नहीं समझा गया।

विधान में दण्डाधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा स्वविवेक से काम लेने का उपबन्ध मौजूद है। यदि उसके विचार से एक गैर-कानूनी जन समूह से खतरा होने की संभावना हो, तो उसे गोली चलाने का आदेश देना पड़ता है। श्री कामत चाहते हैं कि उस आदेश में किसी निश्चित समय का उल्लेख होना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि सम्बन्धित अधिकारी उस समय के समाप्त होने तक गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकेगा। हो सकता है कि उस समय में गैर-कानूनी रूप से जमा हुए लोग या उपद्रवी भीड़ भवनों आदि को आग लगा दे और पुलिस अधिकारी उनका मुंह ताकते रहें। इसके अलावा आदेश में उल्लिखित समय के बारे में भी मतभेद हो सकता है। इसलिये हमें यह सब कुछ दण्डाधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी पर ही छोड़ना होगा कि स्थिति को भांप कर वह जो उचित समझे आदेश दे। इन कारणों से श्री कामत के इस संशोधन को विधान का अंग नहीं बनाया जा सकता।

पुलिस नियम-पुस्तिका में दिया हुआ है कि जहां तक भी संभव हो गैर-कानूनी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये कम से कम शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिये जैसे डण्डे बरसाना अथवा अश्रु गैस का प्रयोग करना, आदि। श्री कामत विधान में यह भी जुड़वाना चाहते हैं कि पानी फैंकने आदि के तरीकों का प्रयोग करने के बाद भी भीड़ के तितर-बितर न होने पर आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया जाय। विधान में ऐसा उपबन्ध भी करना सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिये, किसी गांव में साम्प्रदायिक तनाव फैला हुआ है और पानी उस गांव से दो मील दूर पर है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा किये बिना आग्नेयास्त्रों का प्रयोग करेगा तो वह कानून तोड़ने का दोषी ठहराया जायेगा। इसलिये कानून में यह उपबन्ध करना, कि पानी फैंकने के तरीके आदि की आजमायश करके ही गोली चलाई जानी चाहिये, सम्भव नहीं है, क्योंकि इतनी देर करने में तो क्या का क्या हो जायेगा। यह सब हमें अधिकारियों के स्वविवेक पर छोड़ना पड़ेगा कि वे स्थिति को भांप कर जैसा आवश्यक समझें करें और पुलिस नियम पुस्तिका में स्वविवेक की बात दी हुई है। अश्रु गैस का उल्लेख भी उसमें है परन्तु कानून में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं रखा जा सकता।

धारा 129 का पुलिस से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसका सम्बन्ध तो सशस्त्र सेना से है। सशस्त्र सेना की सहायता बिल्कुल ही भिन्न परिस्थितियों में ली जाती है और सेना पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं होगा।

पुलिस नियम पुस्तिका में दिया हुआ है कि अवैध भीड़ को तितर-बितर करने के लिये कानून के उपबन्धों का कड़ाई से पालन किया जाये । उसमें यह भी दिया हुआ है कि शक्ति का प्रयोग करने से पहले उन्हें स्वयं अपनी इच्छा से तितर-बितर हो जाने के लिये राजी करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिये । गोली सिर के ऊपर न चलाने आदि की भी हिदायत उसमें दी हुई है । सभी वांछनीय बातें उसमें शामिल कर दी गई हैं । मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इन सुझावों को कानूनी रूप नहीं दिया जा सकता ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभी दलों के सदस्यों ने इस विधेयक के सिद्धान्त से अपनी सहमति प्रकट की है । इसलिये मंत्री महोदय को इस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहिये । वे बाद में अपना विरोध प्रकट कर सकते हैं ।

श्री खाडिलकर ने कहा है कि शक्ति का प्रयोग किये बिना सरकारें नहीं चल सकतीं । परन्तु मैंने तो केवल यही निवेदन किया है कि भारत सरकार को जो गांधी जी के नाम की रट लगाती रहती है शक्ति के प्रयोग के मामले में अधिक सावधानी से काम लेना चाहिये । मुझे अच्छी तरह पता है कि श्री शर्मा शक्ति प्रयोग को समाप्त करने वाले विधेयक का भी समर्थन नहीं करेंगे । न ही मैं ऐसा विधेयक पेश ही करना चाहता हूं क्योंकि शक्ति का प्रयोग किये बिना सरकारें चल नहीं सकतीं । मैं उन्हें यही बताना चाहता हूं कि मेरे विधेयक का आशय यह है कि अवैध भीड़ को तितर-बितर करने में शक्ति के प्रयोग के मामले में मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस पर कुछ अंकुश रखा जाना चाहिये ।

श्री खाडिलकर ने यह सिद्ध करने की कोशिश कि है कि 1954 में ट्रावनकोर कोचीन में पी० एस० पी० सरकार ने अपने छोटे से शासनकाल में मनमाने ढंग से शक्ति का प्रयोग किया था । परन्तु मुझे खेद है कि उन्हें वास्तविकता का पता नहीं है । मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि केवल एक बार ही गोली चलाई गई थी और डा० लोहिया ने मांग की थी कि राज्य सरकार को गोली चलाये जाने के कारण त्यागपत्र दे देना चाहिये । परन्तु प्रजा समाजवादी पार्टी ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया । अतः प्रजा समाजवादी सरकार ने डा० लोहिया के दबाव के कारण त्यागपत्र नहीं दिया था अपितु इस कारण से दिया था कि जो पार्टी हमारी पार्टी को सहयोग दे रही थी उसने आगे सहयोग देने से इन्कार कर दिया था । मुझे यह कहते हुए गर्व है कि प्रजा समाजवादी सरकार ने उस गोलीकाण्ड के लिये लोगों से क्षमा याचना की थी । किसी भी पार्टी की सरकार ने अभी तक ऐसा करके नहीं दिखाया है ।

विधेयक में जो संरक्षण सुझाये गये हैं उन्हें नियमों अथवा नियम पुस्तकों तक ही सीमित रखना काफी नहीं है । कानून में उन सब के बारे में उपबन्ध किया जाना चाहिये ताकि कोई नागरिक न्यायालय में जा सके और गलती करने वाले अधिकारी अथवा मंत्री के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 29; विपक्ष में 106

Ayes, 29: Noes 106.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

विधान परिषदें (गठन) विधेयक

LEGISLATIVE COUNCILS (COMPOSITION) BILL

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्यों की विधान परिषदों के गठन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को निम्नलिखित 16 सदस्यों, अर्थात्—श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े, श्री चि० र० बासप्पा, श्री बसन्त कुमार दास, श्री गौरीशंकर कक्कड़, श्री कृ० ल० मोरे, श्री शंकरराव शान्ताराम मोरे, श्री वै० च० पाराशर, श्री जगन्नाथ राव, श्री स० चं० सामन्त, डा० सरोजिनी महिषी, श्री शिव नारायण, श्रीमती राम दुलारी सिन्हा, श्री तयप्पा सोनावने, श्री राधेलाल व्यास, श्री कृ० क० वारियर और श्री श्रीनारायण दास, की प्रवर समिति को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत के साथ सौंपा जाये ।"

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कच्छ सीमा के बारे में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिये भारत के प्रस्ताव तथा उसके बाद पाकिस्तान द्वारा कंजरकोट से हटने से इन्कार

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कच्छ सीमा के बारे में पाकिस्तान से बातचीत करने के लिये भारत का प्रस्ताव तथा बाद में पाकिस्तान द्वारा कंजरकोट से हटने से इन्कार ।"

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): पिछले 60 घंटों से कच्छ-सिंध सीमा पर कुछ शान्ति है सिवाय कभी कभार गोली चलने के ।

कल पाकिस्तान सरकार ने हमारे कराची में स्थित उच्चायुक्त को यह सुझाव दिया कि युद्ध-विराम हो और उसके पश्चात् अधिकारियों की बैठक हो ताकि पहले जैसी स्थिति पैदा हो सके और उसके पश्चात् ऊंचे स्तर पर बातचीत हो जिसमें सीमा के प्रश्न पर बातचीत हो सके । हमने इस सुझाव का हां में उत्तर दे दिया है और कहा है कि युद्ध-विराम शीघ्र अति शीघ्र हो । इसके लिये हम अपने कराची में स्थित उच्चायुक्त से सूचना की इन्तजार कर रहे हैं ।

भारत सरकार की स्थिति उस वक्तव्य से स्पष्ट कर दी है जो गृह-कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री ने संसद में 12 अप्रैल को दिया । हम पाकिस्तान सरकार से बातचीत करने को तैयार हैं परन्तु हम इस बात पर डटे रहेंगे कि पाकिस्तान ने कंजरकोट में जो चौकी अभी बनाई है उसे समाप्त किया जावे । हमारा कंजरकोट के बारे में जो विचार है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है ।

मुझे विश्वास है कि सदन मुझसे और कुछ तब तक पूछना नहीं चाहेगा जब तक हमारे पास पाकिस्तान से कोई और समाचार इस ओर आता है । मैं शीघ्र ही इस विषय पर सदन के सम्मुख पूरा वक्तव्य दूंगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं यह जानना चाहती हूं कि कल अधिकारियों ने तो यह कहा था कि भारत ने बातचीत के लिये कोई शर्त नहीं रखी थी, परन्तु प्रधान मंत्री ने आज कहा है कि वह तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक कंजरकोट खाली न हो । हमारे वक्ता ऐसे मामलों को इस प्रकार क्यों महत्व नहीं देते ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो बात इस सदन में कही गई है वही सत्य मानी जानी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या आप उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे । मैंने सुना है कि श्री एल० के० झा ने भी इसी प्रकार इसका स्पष्टीकरण किया है ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो कोई भी कहे उसे हमारी ठीक स्थिति बतानी चाहिये ।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : पाकिस्तान माओ के उस सिद्धान्त के अनुसार चलता दिखाई देता है कि पहले किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लो फिर पूरी शक्ति से कहो कि वह हमारा है । मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इरादे क्या हैं और सरकार उसके लिये तैयार भी है चाहे आक्रमण चीन और पाकिस्तान दोनों का मिल कर हो ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : कंजरकोट के बारे में हमारी दृढ़ नीति है और कोई बातचीत हुई तो हम मांग करेंगे कि उसे वे खाली करें । बाकी मामलों में देश को तैयार रहना चाहिये । हमने पाकिस्तान को उत्तर भेज दिया है कि हम उनसे वार्ता के लिये तैयार हैं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Mr. Speaker, the Prime Minister stated in the House on 12th that we could not talk to Pakistan until they vacate Kanjarkot, may I know whether he still sticks to that question ?

Shri Lal Bahadur Shastri : We still hold that Kanjarkot should be vacated so far as talks are concerned we will tell these things when we meet them.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : उसने कहा था कि जब तक कंजरकोट खाली नहीं होता हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे ।

श्री हेम बरुआ : कंजरकोट को खाली करवाना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : सरकार के रवैये में निश्चित रूप से परिवर्तन हो गया है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much land is in the occupation of Pakistan ?

गह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : इसका उत्तर मैंने कल दिया था । उनके पास हमारी दो चौकी हैं--एक कंजरकोट और दूसरी डींग जिनका क्षेत्र 1300 गज़ तथा 2000 गज़ है ।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह तो लद्दाख जैसी स्थिति हो गई है । मेरी समझ में नहीं आता कि हम कंजरकोट और डींग को किस प्रकार खाली करवायेंगे और जो कभी कभी गोलीबारी होती है वह कहीं लगातार गोलीबारी में न परिवर्तित हो जावे उसे कैसे रोकेंगे और ऐसी स्थिति में इस बातचीत का क्या लाभ ?

श्री स्वर्ण सिंह : बातचीत होने से पूर्व मैं कैसे कह सकता हूं कि वहां क्या होगा । मैं प्रार्थना करता हूं कि यह न पूछा जावे कि वहां हमारा क्या रवैया होगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : ऐसा लगता है कि हमारी स्थिति में परिवर्तन आ गया है । उस दिन कहा था कि जब तक वे कंजरकोट खाली नहीं करते हम बातचीत नहीं करेंगे ।

श्री रंगा (चित्तूर) : कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने भिन्न भिन्न दलों के नेताओं को बातचीत के लिये बुलाया था और सहयोग की मांग की थी । परन्तु हमें बिना बताये सरकार ने अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया है । यह देश के हित के विरुद्ध है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि यह कहा जावे कि जब तक कंजरकोट खाली नहीं किया जाता उनसे बातचीत नहीं की जावेगी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कंजरकोट के बारे में हमने कहा है और फिर कहते हैं कि उनकी चौकी नहीं रहने देंगे । यदि बीच में बातचीत हुई तो हम उन से कह देंगे कि उन्हें चौकी खाली करनी होगी । हमें बातचीत से इन्कार नहीं करना चाहिये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि वे स्थिति का डट कर मुकाबला करेंगे ?

श्री स्वर्ण सिंह : जी हां ।

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : Pakistan wants unconditional talks and is not prepared to vacate Kanjarkot whereas the Prime Minister says that we will not have any talks regarding Kanjarkot. What then will be the basis for talks ?

Shri Lal Bahadur Shastri : We have as yet not received any reply from Karachi.

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpur) : Pakistan has objected to military exercises by Indian forces. What are those places to which Pakistan has objected ?

श्री स्वर्ण सिंह : पाकिस्तान सरकार ने ऐसी कसरतों को आक्रमक स्थिति कहा है परन्तु हमने यह बात मानने से इन्कार कर दिया है क्योंकि यह हमारा क्षेत्र है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Gen. Chaudhary, Chief of the Army Staff recently visited these areas and he must have submitted his report to the Defene Minister, there has been more concentration of Pak. forces in this area. Why does the Prime Minister not state frankly that any talks can be held only when the Pak. forces are removed from this area and normal conditions prevail ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जो रिपोर्ट सेना अध्यक्ष ने मुझे दी है उसके बारे में यहां कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह लोकहित में नहीं है । वैसे हमारी सेना हर प्रकार की स्थिति का मुकाबला कर सकती है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस मामले पर वैदेशिक कार्य मंत्री तथा सरकारी प्रवक्ता के परस्पर विरोधी वक्तव्य आये हैं । क्या सरकार यह बता सकेगी कि यदि पाकिस्तान ने कंजरकोट खाली नहीं किया तो पाकिस्तान को कंजरकोट खाली करने पर विवश किया जावेगा चाहे उसमें सेना का प्रयोग भी करना पड़े ?

श्री स्वर्ण सिंह : जो बात यहां मैंने कही है वही ठीक मानी जावे । माननीय सदस्यों को यहां कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जो अभी पाकिस्तान ने भी नहीं कही है । आपको वह प्रयत्न जो हम कर रहे हैं उन्हें कम नहीं समझना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : पहले जो हुआ है उसका हमें पता है । क्या सरकार देश को कोई आश्वासन नहीं दे सकती ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : हमें अपने कर्तव्य का पता है और पूरी शक्ति से उसे निभायेंगे ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : What action is government taking to counteract the propaganda of Pakistan on this issue and what scheme has the Government devised to remove the Pakistan armies ?

श्री स्वर्ण सिंह : पहले भाग का उत्तर गृह-कार्य मंत्री ने पिछली बार दिया था और सुरक्षा परिषद् को सूचित कर दिया है । दूसरे भाग का उत्तर प्रधान मंत्री ने दे दिया है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Why were we keeping silent over it for the last 1 1/2 months or so and why no action was taken?

Shri Swaran Singh: We are not silent over it.

Shri Brij Raj Singh (Bareilly): In the light of the statement to the House on 12th by the Prime Minister, I want to know whether he meant by that that if they do not vacate Kanjarkot, we will not talk to them or that we will take necessary action against them.

Shri Lal Bahadur Shastri: What I stated was that in any talks the condition would be the vacation of Kanjarkot. We still stick to it. What will come out of those talks is a separate thing. If no decision is arrived at in that we know what action we will have to take.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 19 अप्रैल, 1965/29 चैत्र, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, the April 19, 1965/Chaitra 29, 1887 (Saka).

3750

GMGIPND—LS III—692 Ai LS—21-7-65—600.